



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122020-223877  
CG-DL-E-23122020-223877

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2020/पौष 1, 1942

No. 365]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2020/PAUSHA 1, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

मामला सं. एडी-एसएसआर 10/2020

विषय: चीन जन. गण. और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "रबर अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक" के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच – अंतिम जांच परिणाम।

फा.सं. 7/15/2020-डीजीटीआर.—यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में "अधिनियम" कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां पाटनरोधी नियमावली अथवा नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. मैसर्स कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन (सीबीएमए) (जिसे यहां आगे "आवेदक" कहा गया है) ने चीन जन. गण. और रूस (जिन्हें यहां आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "रबर अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक" (जिसे यहां आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा के लिए समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में "अधिनियम" कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां नियमावली कहा गया है) के अनुसार घरेलू उत्पादकों, अर्थात् – फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, हिमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल लिमिटेड, कांटीनेंटल कार्बन इंडिया लिमिटेड और बिरला कार्बन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है। घरेलू उत्पादकों अर्थात् फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, हिमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल लिमिटेड और कांटीनेंटल कार्बन इंडिया लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे प्रतिभागी कंपनियां कहा गया है) ने आवेदन पत्र में निर्धारित सूचना उपलब्ध कराई है।
2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर चीन जन. गण. और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क निरंतर लगाए जाने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए और यह जांच करने के लिए कि क्या उपर्युक्त शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को क्षति तथा उसमें पाटन जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित 20 मई, 2020 की अधिसूचना संख्या 7/15/2020-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

**क. मामले की पृष्ठभूमि**

3. ऑस्ट्रेलिया, चीन जन. गण., ईरान, मलेशिया, रूस और थाइलैंड से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में मूल जांच प्राधिकारी द्वारा दिनांक 26 दिसंबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 14/21/2008-डीजीएडी द्वारा शुरू की गई थी। ऑस्ट्रेलिया, चीन जन. गण., रूस और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों पर दिनांक 25 मई, 2009 की अधिसूचना संख्या 14/21/2008-डीजीएडी द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी और वे दिनांक 30 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या 83/2009-सीमा शुल्क द्वारा लगाए गए थे। उसके बाद दिनांक 24 दिसंबर, 2009 की अधिसूचना संख्या 14/21/2008-डीजीएडी द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी और वे दिनांक 28 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 6/2010-सीमा शुल्क द्वारा लगाए गए थे।
4. प्राधिकारी ने दिनांक 30 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या 15/41/2010-डीजीएडी द्वारा ऑस्ट्रेलिया, चीन जन. गण., रूस और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) जांच शुरू की और दिनांक 28 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या 15/41/2010-डीजीएडी द्वारा पाटनरोधी शुल्क निरंतर लगाए जाने की सिफारिश की जो दिनांक 26 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना संख्या 9/2013-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा लगाए गए थे।
5. चीन जन. गण., रूस और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में दिनांक 15 जुलाई, 2014 की अधिसूचना संख्या 15/8/2014-डीजीएडी द्वारा एक निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) जांच शुरू की गई थी और चीन जन. गण. तथा रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में दिनांक 01 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या 15/8/2014-डीजीएडी द्वारा पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने की सिफारिश की गई थी और वे दिनांक 18 नवंबर, 2015 की अधिसूचना संख्या 54/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा लगाए गए थे।
6. सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के अनुसरण में केंद्र सरकार ने दिनांक 09 नवंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या 34/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा पाटनरोधी शुल्क 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिए।

**ख. प्रक्रिया**

7. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- क) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित 20 मई, 2020 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ख) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातक/प्रयोक्ता एसोसिएशनों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार दिनांक 20 मई, 2020 की जांच शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी गई थी कि वे निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में संगत सूचना उपलब्ध कराएं तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात अनुरोध दें।
- ग) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को तथा ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
- घ) भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने-अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति भी उन्हें संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों सहित भेजी गई थी।
- ङ) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली का उत्तर दायर करने के लिए 1 जुलाई, 2020 के पत्र द्वारा समय बढ़ाए जाने की स्वीकृति दी। अतिरिक्त समय 22 जुलाई, 2020 तक बढ़ाया गया था।
- च) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं:
- i. हेबेई डगुआंगमिंग इंडस्ट्री ग्रुप
  - ii. शंघाई कार्गोस इंटरनेशनल
  - iii. हेबेई जिंग कंट्री जिनयुआन रबर केमिकल कं. लिमिटेड
  - iv. हेबेई योंगहुई केमिकल इंडस्ट्रीज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लिमिटेड
  - v. गांसु जिनशी केमिकल कं. लिमिटेड
  - vi. शानडोंग शुआनग्यान केमिकल कं. लिमिटेड
  - vii. वेफ्रांग लोंगझोऊ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स कं. लिमिटेड
  - viii. लैवू टैशन कार्बन ब्लैक कं. लिमिटेड
  - ix. किचांग केमिकल कं. लिमिटेड
  - x. जियांगसी ब्लैक कैट कार्बन ब्लैक कं. लिमिटेड
  - xi. सुझोऊ बोहुआ कार्बन
  - xii. टियांजिन डॉल्फिन कार्बन ब्लैक लि.
  - xiii. ओम स्केचुगलरोड ओजेएससी
  - xiv. एमटेल होल्लिंग कंपनी
  - xv. सेवेगजप्रोम
  - xvi. निझनेकमास्क

## xvii. यारोस्लाव्लटेखुगलरोड

- छ) जांच की शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में किसी भी अन्य निर्यातक/ उत्पादक ने उत्तर नहीं दिया है और निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। ओएमएसके ग्रुप रूस ने प्रतिभागिता का पत्र दायर किया।
- ज) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजीं:
- (i) मेसर्स जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
  - (ii) मैसर्स बिड़ला टायर्स लिमिटेड
  - (iii) मैसर्स अपोलो टायर्स लिमिटेड
  - (iv) मैसर्स सीईएटी लिमिटेड
  - (v) मेसर्स एमआरएफ लिमिटेड
  - (vi) मैसर्स राल्सन (इंडिया) लिमिटेड
  - (vii) मैसर्स पोद्दार टायर्स लिमिटेड
  - (viii) मैसर्स ओरिएंटल रबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
  - (ix) मैसर्स हिंदुस्तान रबर इंडस्ट्रीज
  - (x) मैसर्स अग्रवाल रबर लिमिटेड
  - (xi) मेसर्स फीनिक्स यूल लिमिटेड
  - (xii) मैसर्स मोनोटोना टायर्स लिमिटेड
  - (xiii) मैसर्स टीवीएस श्रीचक्र लिमिटेड
  - (xiv) मैसर्स आहूजा कॉन्टिनेंटल प्राइवेट लिमिटेड
  - (xv) मैसर्स मिडास रबर प्राइवेट लिमिटेड
  - (xvi) मैसर्स टॉलेंस टायर्स प्राइवेट लिमिटेड
  - (xvii) मेसर्स टीएम टायर्स लिमिटेड
  - (xviii) मैसर्स हार्टेक्स रबर प्राइवेट लिमिटेड
- झ) निम्नलिखित प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिए हैं अथवा आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:
- (i) मेसर्स जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
  - (ii) मैसर्स अपोलो टायर्स लिमिटेड
  - (iii) मैसर्स सीईएटी लिमिटेड
  - (iv) मैसर्स एमआरएफ लिमिटेड
- ञ) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात एसोसिएशनों को दिनांक 20 मई, 2020 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी:
- i. ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन (एटीएमए)

- ट) जांच की शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन (एटीएमए) ने स्वयं को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया और कानूनी अनुरोध दायर किए हैं। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एआईआरआईए) ने स्वयं को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया, परंतु कोई सूचना अथवा अनुरोध दायर नहीं किए।
- ठ) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
- ड) वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 (12 माह) है। तथापि, क्षति जांच अवधि 1 अप्रैल, 2016 - 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2018 - 31 मार्च, 2019 तथा जांच की अवधि के रूप में मानी गई है।
- ढ) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे जांच की अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देन वार व्यौरे उपलब्ध कराएं जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा का परिकलन करने और लेन-देनों की उचित जांच करने के बाद अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- ण) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को ध्यान में रखते हुए भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और उपयुक्त लाभ के आधार पर क्षति रहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी कहा गया है) निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- त) नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 9 नवंबर, 2020 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर भी प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने भाग लिया, उन सभी को लिखित अनुरोध दायर करने और उसके बाद यदि कोई प्रत्युत्तर हैं, तो उन्हें दायर करने का अवसर प्रदान किया गया था।
- थ) नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के रूप में अपने जांच परिणाम का आधार बनने वाले मामले के अनिवार्य तथ्य 09.12.2020 को प्रकट किए और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी करने के लिए 15.12.2020 तक का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर संगत सीमा तक प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है और उन्हें इस जांच परिणाम में हल किया गया है।
- द) इस जांच प्रक्रिया के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर साक्ष्य के साथ समर्थित सीमा तक और वर्तमान जांच में संगत समझी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा इस जांच परिणाम में उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
- ध) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- प) जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे

हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रकटन विवरण में रिकार्ड किया है।

- फ) प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना और उठाए गए सभी तर्कों पर उस सीमा तक विचार किया है जहां तक वे साक्ष्य के साथ समर्थित हैं और वर्तमान जांच में संगत समझे गए हैं।
- ब) इस अंतिम जांच परिणाम में \*\*\* किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- प) संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 71.65 रुपए है।

## ग. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु

### ग.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

8. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- क. विचाराधीन उत्पाद "रबर अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक" है।
- ख. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः विचाराधीन उत्पाद पूर्व में निष्कर्ष निकाली गई जांच में परिभाषित किए गए अनुसार वही रहता है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं हुई हैं। अतः आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पूर्व जांचों का उल्लेख किया है और उन पर विश्वास किया है।
- ग. इसके अतिरिक्त, वर्तमान आवेदन पत्र पाटनरोधी शुल्क निरंतर लगाए जाने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच के लिए है। समान वस्तु के मुद्दे की जांच प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में की गई है। अतः, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देश से आयातित उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की समान वस्तु है।
- घ. स्पेशियलिटी ग्रेड सीबी एचपी 1107 को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग करने के संबंध में उत्तरदाता के तर्क के उत्तर में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य कि घरेलू उद्योग सीबी एचपी 1107 की समान वस्तु का विनिर्माण नहीं कर रहा है, नहीं दिया गया है। उत्पाद की विशेष किस्म भी चीन से आयातित नहीं की जाती है और यह ग्रेड कोरिया से उत्पादित तथा निर्यातित की जाती है।

### ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

9. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- क. स्पेशियलिटी ग्रेड सीबी एचपी 1107 को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाना है क्योंकि घरेलू उद्योग एक घरेलू उत्पादक नहीं है और न ही स्पेशियलिटी ग्रेड के लिए प्रतिस्थापनीय ग्रेड का घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग उन ग्रेडों को हटाने के लिए सहमत था, जिन्हें घरेलू उद्योग मौखिक सुनवाई के दौरान विनिर्मित नहीं करता।

### ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

10. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच और उसके बाद की निर्णायक समीक्षा जांच में परिभाषित है, अर्थात् "रबर अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक" है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई मूल जांच और प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच के अनुसार उत्पाद को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:

"5. विचाराधीन उत्पाद "रबर अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक" है। यह रिंफोर्सिंग फिलर के रूप में रबर (टायरों सहित) के उत्पादन/प्रसंस्करण में प्रयुक्त एक इनागैनीक रसायन है। कार्बन ब्लैक को एसीटिलीन ब्लैक, चैनल ब्लैक, फर्नेस ब्लैक, लैम्प ब्लैक, थर्मल ब्लैक और नायर डि कार्बन के रूप में भी जाना जाता है। कार्बन ब्लैक को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है – रबर और गैर-रबर अनुप्रयोग कार्बन ब्लैक। रबर अनुप्रयोगों के लिए कार्बन ब्लैक वह कार्बन ब्लैक है जिसका प्रयोग रिंफोर्सिंग फिलर के रूप में रबर (टायरों सहित) के उत्पादन और प्रसंस्करण में किया जाता है। वर्तमान जांच रबर अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक के संबंध में है। गैर-रबर अनुप्रयोगों, यथा – कॉपियर्स में इंक तथा कम्प्यूटर प्रिंटर कार्ट्रिज, पेंट, क्रेन्स और पॉलिश में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक वर्तमान जांच के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है।

6. संबद्ध सामान उप शीर्ष संख्या 28030010 के तहत अधिनियम के अध्याय 28 के तहत आते हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"

11. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जो पूर्व में की गई जांच में है।
12. जहां तक स्पेशियलिटी ग्रेड सीबी एचपी 1107 को हटाने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पाद किस्म को हटाने के लिए कोई साक्ष्य अथवा पर्याप्त औचित्य नहीं दिया है। प्राधिकारी ने आयात आंकड़ों की जांच की और पाया कि यह ग्रेड कोरिया गणराज्य से आयातित किया गया है। इसके अतिरिक्त, वेब पर खोजने पर भी यह बात सामने आई है कि यह ग्रेड किसी कोरियाई उत्पादक से संबंधित है। चूंकि इस ग्रेड का आयात चीन से नहीं किया गया है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य दर्शाया गया है कि इसका उत्पादन चीन में किया गया है, अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि उसको हटाना उपयुक्त नहीं है।
13. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं। इसके मद्देनजर, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देश से भारत में आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की समान वस्तु है।
14. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना और रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के मद्देनजर, वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है, जो मूल जांच में है।

#### घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

##### घ.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

15. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
  - क. आवेदक कंपनियों यथा फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, हिमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल लिमिटेड और कांटीनेंटल कार्बन इंडिया लिमिटेड के उत्पादन का भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है।
  - ख. आवेदक ने संबद्ध देशों से जांच की अवधि में संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। आवेदक संबद्ध देशों में किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध सामानों के आयातकों से संबद्ध नहीं है।
  - ग. इस एसोसिएशन के चार सदस्य हैं जो बाजार में बिक्री के लिए विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करते हैं।
  - घ. विचाराधीन उत्पाद के दो उत्पादक हैं जो अपने उत्पाद के उत्पादन के लिए पिछड़े एकीकरण के रूप में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करते हैं। कैप्टिव उत्पादक होने के नाते उन पर आधार, मांग और घरेलू उद्योग को क्षति सिद्ध करने के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए।
  - ड. बिरला कार्बन की कोरिया में एक संबद्ध कंपनी है जिसने भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। आवेदक कोरिया से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की मांग करते हुए अलग से याचिका दायर कर रहा है। बिरला कार्बन उस आवेदन पत्र में अपात्र घरेलू उद्योग होगा। घरेलू उद्योग के उसी क्षेत्र को दो याचिकाओं में रखना उपयुक्त होगा।
  - च. जहां तक बिरला कार्बन को हटाए जाने के संबंध में उत्तरदाता के तर्क का संबंध है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, हिमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल लिमिटेड और कांटीनेंटल कार्बन

इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर याचिका में उनका कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है और आवेदन पत्र आधार के मानदंड को पूरा करता है। एटीएमए ने बिरला कार्बन (पूर्व में हाई-टेक कार्बन के रूप में ज्ञात) को पूर्व जांचों में हटाए जाने के लिए हमेशा तर्क दिया है और वर्तमान जांच में वह इसको शामिल करने का तर्क दे रहा है। एटीएमए का इसमें कोई मामला प्रतीत नहीं होता कि घरेलू उद्योग का संघटक क्या है।

## घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

16. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. बिरला कार्बन निरंतर घरेलू उद्योग का भाग रहा है और भारत में विचाराधीन उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बिरला कार्बन को कोरिया गणराज्य से आयातों की मात्रा के आधार पर जांच से अलग करने का कोई औचित्य नहीं है, जहां कोरिया गणराज्य एक संबद्ध देश भी नहीं है।
- ख. वस्तुपरकता का अभाव है जो कि क्षति तथा संभावित विश्लेषण के लिए एक आवश्यक आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान जांच में बिरला कार्बन के प्रतिनिधि के अभाव में कार्रवाई करने की अनुमति दी गई है जिससे क्षति और क्षति की संभावना के विश्लेषण का ह्रास हो रहा है।

## घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

17. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

*"(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"*

- 18. मैसर्स कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन (सीबीएमए) ने घरेलू उत्पादकों अर्थात् फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, हिमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल लिमिटेड, कांटीनेंटल कार्बन इंडिया लिमिटेड और बिरला कार्बन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है। प्रतिभागी कंपनियों अर्थात् फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, हिमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल लिमिटेड और कांटीनेंटल कार्बन इंडिया लिमिटेड ने भी अलग-अलग पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने की मांग की है और निर्धारित सूचना उपलब्ध कराई है।
- 19. इन प्रतिभागी कंपनियों ने उल्लेख किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी उत्पादक अथवा निर्यातक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबद्ध हैं। आवेदक कंपनियों के उत्पादन का भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है।
- 20. जहां तक वर्तमान जांच में बिरला कार्बन द्वारा भाग न लेने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की सूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। इसके अतिरिक्त, बिरला कार्बन से विशेष रूप से अनुरोध किया गया था कि वे संगत सूचना दें। तथापि, बिरला कार्बन ने घरेलू उद्योग के रूप में शामिल किए जाने के लिए निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में सूचना प्रदान नहीं की। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां एक या अधिक घरेलू उत्पादक संगत सूचना के साथ प्राधिकारी के साथ सहयोग न करें, वहां प्राधिकारी के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारण करना अपेक्षित होता है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिकारों को केवल इसलिए कमजोर नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ घरेलू उत्पादकों ने सहयोग नहीं किया है और संगत सूचना नहीं दी है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए कोई सूचना और साक्ष्य नहीं दिया है कि बिरला कार्बन का निष्पादन याचिकाकर्ता कंपनियों के निष्पादन से वास्तविक रूप से भिन्न रहा है।
- 21. उपर्युक्त के मद्देनजर और उचित जांच के बाद, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक कंपनियां नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन पत्र उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार का मानदंड पूरा करता है।

**ड. गोपनीयता****ड.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध**

22. गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. आवेदक ने अनुरोध किया है कि वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर अपर्याप्त हैं और व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुसार नहीं हैं। उन्होंने प्रश्नावली में मांगी गई विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध यूनिटों के ब्यौरे, उत्पादन प्रक्रिया, निचले स्तर के बाजार में प्रयोक्ता के हिस्से, बेचे गए उत्पादों की सूची आदि जैसी महत्वपूर्ण सूचना के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- ख. हितबद्ध पक्षकारों ने सार्वजनिक पटल पर मुक्त रूप से उपलब्ध सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है। प्रयोक्ताओं ने बीजक के बाद/बिक्री दस्तावेजों से संबंधित उत्तरों की पूर्ण गोपनीयता और विचाराधीन उत्पाद के लिए आपूर्ति के अन्य स्रोतों में जाने की संभावना का भी दावा किया है।
- ग. प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तरों का अगोपनीय रुपांतर उस सूचना की सार्थक समझ नहीं बनने देता जिसे गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- घ. उत्तरों की अनदेखी की जानी चाहिए और प्रयोक्ताओं को असहयोगी घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग टिप्पणियां देने और यहां तक की सूचीबद्ध सूचना के अभाव में अपने हितों को परिभाषित करने में असमर्थ है, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।
- ड. जहां तक अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में उत्तरदाताओं के तर्क का संबंध है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि गोपनीयता के दावे व्यापार सूचनाओं की अपेक्षाओं के अनुसार हैं और घरेलू उद्योग के संघटकों का अलग-अलग निष्पादन एक गोपनीय सूचना है जो सार के लिए उत्तरदायी नहीं है।
- च. उत्तरदाताओं के इस तर्क के उत्तर में कि गोपनीयता का दावा तीसरे पक्षकार के दस्तावेजों के लिए किया गया है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े और तीसरे पक्षकार की रिपोर्ट उससे प्रकट न करने के दायित्व के साथ प्राप्त की गई है। जहां तक डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों का संबंध है, डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया विस्तृत रूप से बताकर प्राधिकारी द्वारा एक व्यापार सूचना जारी की गई है जिसके बाद हितबद्ध पक्षकार भी आंकड़े प्राप्त कर सकते थे।

**ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

23. गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. क्षमता, उत्पादन आदि के मानदंडों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है, जबकि वह सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है। याचिका के अगोपनीय रुपांतर में काफी त्रुटियां हैं और प्रति यूनिट बिक्री वसूली, मालसूची, उत्पादन दिवसों की संख्या के अनुसार मालसूची, बिक्री दिवसों की संख्या के अनुसार मालसूची के लिए गोपनीयता का दावा किया गया है और आरएंडडी व्यय, जुटाई गई निधि, औसत उद्योग मानदंडों से संबंधित कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं। बिक्री मूल्य, रोजगार, प्रति दिन उत्पादकता, मालसूची, मूल्यहास और परिशोधन व्यय के लिए एकत्रित आंकड़े देने के बजाए सूचीबद्ध आंकड़े दिए गए हैं।
- ख. अनुबंध 1.3 और अनुबंध-4.2 जैसे तीसरे पक्षकारों के दस्तावेजों के लिए गोपनीयता का दावा किया गया है। ये दस्तावेज या तो मुफ्त में या कुछ भुगतान पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। इस सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना को गोपनीय होने का दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उत्तरदाता के अवलोकन करने तथा उन दस्तावेजों के आधार पर किए गए अनुरोधों पर टिप्पणी करने के अधिकार को कम करता है।

**ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

24. गोपनीयता के संबंध में जांच प्रक्रिया के दौरान आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक जांच की गई है।

25. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

26. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के दावों की जांच की और संतुष्ट होने पर गोपनीयता संबंधी दावे की अनुमति दी। प्राधिकारी मानते हैं कि कोई भी सूचना जो प्रकृति में गोपनीय है (उदाहरण के लिए, क्योंकि इसको प्रकट करना किसी प्रतिस्पर्धी के लिए महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी लाभ की होगी अथवा क्योंकि इसको प्रकट करने से सूचना देने वाले व्यक्ति पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता अथवा उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता जिससे उस व्यक्ति ने सूचना प्राप्त की है) अथवा जो किसी जांच में पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई है, अच्छे दर्शाए गए कारण पर प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार मानी जानी चाहिए। वह सूचना उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशेष अनुमति के बिना प्रकट नहीं की जा सकती।
27. प्राधिकारी ने आवेदकों तथा विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और उनके संबंध में संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता संबंधी दावे की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार अनुरोध पर निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई।
28. जहां तक डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों को प्रकट करने का संबंध है, प्राधिकारी की दिनांक 15 मार्च, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 7/2018 में घरेलू उद्योग के लिए तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े एकत्रित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। इस प्रकार, हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार सूचना के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों को प्राप्त करने और अपने हितों की रक्षा करने की पहुँच थी। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अब लागू की जा रही प्रक्रिया सतत है, सभी पक्षकारों और जांचों के लिए एकरूप है, समान है और हितबद्ध पक्षकारों को उनके हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।

## च. विविध अनुरोध

### च.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

29. विभिन्न मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एआईआरआईए) को एक हितबद्ध पक्षकार नहीं समझा जा सकता क्योंकि उसने जांच की शुरुआत के बाद कोई अनुरोध अथवा संगत सूचना दायर नहीं की है और न ही उसके किसी सदस्य ने किसी प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं।

ख. प्रयोक्ताओं द्वारा दिए गए उत्तर अपूर्ण हैं और उनमें महत्वपूर्ण सूचना नहीं है जिससे घरेलू उद्योग अपनी टिप्पणी करने में असमर्थ है और अपने हितों की रक्षा करने में भी असमर्थ है। प्रयोक्ताओं ने बदनीयती से सूचना छिपाई हुई है।

- ग. उत्तरदाताओं के इस तर्क के उत्तर में कि वर्तमान जांच पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने के लिए एक विशेष मामला नहीं है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी द्वारा शुल्क तभी बढ़ाया जाता है जब कानूनी अपेक्षाएं पूरी की जाएं और जिस अवधि के लिए शुल्क लागू रहा हो, वह असंगत हो। पाटनरोधी शुल्क अनुचित व्यापार को रोकने के लिए होता है न कि घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए और घरेलू उद्योग को अनुचित व्यापार की परिपाटी को रोकने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। पाटन और परिणामस्वरूप क्षति होते रहने तक पाटनरोधी शुल्क निरंतर लगाए जाने का औचित्य है। शुल्क जारी रखने के लिए विशेष अथवा अपवादात्मक परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं है। शुल्क जारी रखने के लिए कानूनी आवश्यकता ही शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि दी गई सूचना कैसे जारी रखने की आवश्यकता को पूरा नहीं करता।
- घ. जहां तक इसका संबंध है कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांतों को बाद के मामलों में लागू होना चाहिए, यह अनुरोध किया गया था कि ड्राई सेल बैट्रीज एक अपवादात्मक मामला था। घरेलू उद्योग ने एक्रिलिक फाइबर (2020) और नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक (2020) और अन्य मामलों का उल्लेख किया जिनमें प्राधिकारी ने 10 वर्ष से अधिक के लिए शुल्क बढ़ाया है जो प्राधिकारी की परिपाटी को सिद्ध करता है।
- ङ. जहां तक घरेलू विनिर्माताओं से विचाराधीन उत्पाद की समय पर उपलब्धता के तर्क का संबंध है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि प्रयोक्ता एसोसिएशन ने एक भी ऐसी घटना नहीं बताई है जिसमें विचाराधीन उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा समय पर उपलब्ध कराया गया हो।

## च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

30. विभिन्न मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. घरेलू उद्योग को 2009 से 11 वर्ष तक निरंतर संरक्षण प्राप्त हुआ है और यह दर्शाते हुए याचिका में कोई अनुरोध नहीं किए हैं कि वर्तमान जांच पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने के लिए एक "विशेष मामला" बनती है। वर्तमान जांच दूसरी निर्णायक समीक्षा है और पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने की सिफारिश करने के लिए प्राधिकारी को इस मत पर आना है कि पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने से पाटन और क्षति बार-बार होगी। अतः, वर्तमान जांच रद्द की जानी चाहिए क्योंकि उसे बढ़ाना आवश्यक नहीं है।
- ख. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ड्राई सेल बैट्रीज" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच में एक सिद्धांत निर्धारित किया कि पाटनरोधी शुल्क केवल "विशेष मामले" में ही 10 वर्ष की अवधि से आगे बढ़ाए जाएंगे। ड्राई सेल बैट्री मामले और वर्तमान मामले में आयातों की मात्रा के बीच घरेलू उद्योग के परामर्शदाता द्वारा लिया गया अंतर इस सिद्धांत को लागू करने के लिए अवास्तविक है। डीजीटीआर न्यायिक न्याय के समान न्यायिक प्रकार्यों में एक अर्धन्यायिक निकाय है और इसीलिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांतों को उसके समक्ष बाद के मामलों पर लागू किया होना चाहिए।
- ग. घरेलू विनिर्माताओं से विचाराधीन उत्पाद की समय पर उपलब्धता के संबंध में कई मुद्दे हैं।

## च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

31. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के सभी तर्कों और प्रति-तर्कों को नोट किया है और किए गए अनुरोधों के सभी पहलुओं की जांच की है।
32. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सतत शुल्क के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि कितनी बार निर्णायक समीक्षा की जा सकती है और पाटनरोधी शुल्क बढ़ाया जा सकता है। नियमों में प्राधिकारी को यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क बंद करने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। यह भी नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने की सिफारिश तभी की जाती है जब अपेक्षित कानूनी अपेक्षाएं पूरी की जाएं।

33. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि उनके सामने विचाराधीन उत्पाद की समय पर उपलब्धता के कई मुद्दे आए हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार अपने दावे को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य देने में विफल रहे हैं।
34. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांत प्राधिकारी के समक्ष बाद के मामलों पर लागू होने चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अंतिम निर्धारण विगत निर्धारण तथा वर्तमान जांच पर उनकी संगतता तथा प्रयोज्यता को उचित रूप से ध्यान में रखते हुए उस जांच के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद प्रत्येक जांच में किया जाता है।
35. जहां तक प्रयोक्ताओं द्वारा दायर अपूर्ण उत्तरों का संबंध है, प्राधिकारी ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा प्राधिकारी की परिपाटी के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को माना है और स्वीकार किया है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि इन उपभोक्ताओं ने प्रश्नावली के पूर्ण उत्तर दायर नहीं किए हैं। प्राधिकारी ने, जहां हितबद्ध पक्षकार ने संगत सूचना प्रदान नहीं की है वहां, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारण किया है।

**छ. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण**

**छ.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध**

36. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. रूस के सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए रूस के घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों की बिक्री की वास्तविक लेन-देन कीमत के संबंध में साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे, परंतु चूंकि यह उत्पाद विभिन्न ग्रेडों में उत्पादित किया जाता है, अतः कोई साक्ष्य नहीं दिया जा सका। इसके अतिरिक्त, सामान्य मूल्य तीसरे देश के उपयुक्त संबद्ध देशों की निर्यात कीमत के आधार पर नहीं हो सका क्योंकि विचाराधीन उत्पाद में समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण नहीं है और उत्पाद में शामिल निर्यात आंकड़े वर्तमान जांच के अध्यधीन नहीं हैं, अतः घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों की वास्तविक उत्पादन लागत के संबंध में अधिकृत साक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया और सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उपयुक्त लाभ के साथ रूस में उत्पादन लागत निर्मित की।
- ख. निर्दिष्ट प्राधिकारी केवल तभी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुबंध-1 के पैरा 1-6 को अपनाएंगे, यदि उत्तरदाता चीनी कंपनियां यह सिद्ध करें कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना ऐसी है कि अलग सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता हो। यदि उत्तरदाता चीनी कंपनियां यह दर्शाने में असमर्थ हों कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना स्वीकार की जा सकती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अलग पाटन मार्जिन के दावे को रद्द कर देंगे।
- ग. वर्तमान जांच में किसी भी उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है।
- घ. चीन जन. गण. का सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए घरेलू उद्योग ने उस कीमत का साक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जिस पर उत्पाद तीसरे देश के बाजार में बेचा जाता है, परंतु चूंकि यह उत्पाद विभिन्न ग्रेडों में उत्पादित किया जाता है, अतः कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। अन्य देशों में उत्पादन लागत के संबंध में भी सूचना एकत्र करने का प्रयास किया गया, परंतु उसके लिए कोई प्रकाशित सूचना नहीं थी। इसके अतिरिक्त, चूंकि यह उत्पाद विभिन्न ग्रेडों में बेचा जाता है, अतः भारत सहित अन्य देशों को तीसरे देश से कीमत द्वारा सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। अतः घरेलू उद्योग ने चीन के सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उपयुक्त लाभ मार्जिन के साथ उत्पादन लागत निर्मित की है।
- ड. निर्यात कीमत समायोजनों के साथ डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन वार आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई है।
- च. पाटन मार्जिन सकारात्मक है और प्रत्येक संबद्ध देश के लिए महत्वपूर्ण है।
- छ. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि चीन जन. गण. से किसी भी निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है और रूस से उत्तरदाता निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर दायर करने में और जांच में भाग लेने में विफल होकर प्राधिकारी के

साथ सहयोग नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया कि वे उपलब्ध प्रतिकूल तथ्यों का प्रयोग करें और घरेलू उद्योग द्वारा दायर सूचना के आधार पर निर्यातकों के विरुद्ध उच्चतम शुल्क लगाएं।

- ज. संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा प्रश्नावली के उत्तर के अभाव में वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए पाटन मार्जिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।
- झ. रूस के सामान्य मूल्य के संबंध में उत्तरदाता के तर्कों के उत्तर में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य व्यापार संवेदी है और यह कि रेंज दी गई है। इसके अतिरिक्त, रूसी मंत्रालय ने खुद प्राधिकारी को कोई सूचना देने का प्रयास नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के अनुसार सूचना प्रदान की है।

## छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

37. घरेलू उद्योग के तर्कों के उत्तर में निर्यातक/उत्पादक/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. रूसी उत्पाद के सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन से संबंधित आंकड़े गोपनीय होने का दावा किया गया है। आवेदन पत्र में अनुमानित सामान्य मूल्य रेंज में प्रदान किया गया है और शेष आंकड़े गोपनीय माने गए हैं जिससे यह समझना कठिन हो जाता है कि क्या परिकलन सही है। पाटन मार्जिन परिकलन तालिका की दूसरी पंक्ति में आंकड़ों की भूमिका स्पष्ट नहीं है। गोपनीय सूचना की समझ बताने वाला कोई अगोपनीय सार नहीं दिया गया है और इसीलिए रूसी पक्ष को परिकलनों की परिशुद्धता का मूल्यांकन करने के अवसर से वंचित करता है।
- ख. आवेदक बिना यह स्पष्ट किए कि क्या प्रयास वास्तव में शामिल किए गए हैं और वे अंततः परिणाम देने में क्यों विफल रहे हैं, केवल यह उल्लेख करते हैं कि "अधिकृत साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं"।
- ग. आवेदन पत्र पर्याप्त यह स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है कि क्या आवेदक के आंकड़ा एकत्रित करने के प्रयासों में सामान्य मूल्य से गौण स्रोतों में सामान्य मूल्य के लिए आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत से कार्यवाही करने के लिए कारण थे।
- घ. आवेदक ने रूस में सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए चीन में समान उत्पादों के सामान्य मूल्य के परिकलनों से कार्यवाही की है। प्राधिकारी को रूसी उत्पादों के सामान्य मूल्य के इन परिकलनों को स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है। रूस के डब्ल्यूटीओ अभिगम नयाचार में चीन के अभिगम नयाचार में दी गई प्रतिबद्धताओं के समान कोई प्रतिबद्धताएं शामिल नहीं हैं। आवेदक द्वारा एकत्रित पाटन के साक्ष्य तब तक स्वीकार नहीं किए जा सकते, जब तक वे पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2 के अनुरूप न हों।
- ङ. आवेदन पत्र को स्वीकार करने के लिए पाटनरोधी करार में कोई औचित्य नहीं है जिसमें रूस में निर्मित मूल्य के बजाए भारत में निर्मित मूल्य पर आंकड़े शामिल हों।

## छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

38. धारा 9 क (1 ) (ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

39. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को यह सलाह देते हुए प्रश्नावलियां भेजीं कि वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में सूचना उपलब्ध कराएं। तथापि, संबद्ध देशों के किसी भी निर्यातक ने निर्धारित प्रश्नावली के उत्तर दायर कर इस जांच में सहयोग नहीं किया है।
40. संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नलिखित रूप में निर्धारित की गई है।

#### छ.4 सामान्य मूल्य का निर्धारण

##### रूस से असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि, केवल ओएमएसके ग्रुप, रूस ने वर्तमान जांच में उत्तर दिया। तथापि, निर्यातक ने निर्धारित प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए। अतः सामान्य मूल्य निर्यातकों द्वारा असहयोग के मद्देनजर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए जाने की अपेक्षा है।
42. चूंकि रूस के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने जांच में भाग नहीं लिया है और पाटन मार्जिन का निर्धारण तिमाही आधार पर ग्रेड-वार सामान्य मूल्य अपेक्षित है, अतः नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण एचजीए और लाभों के लिए उपयुक्त वृद्धि के साथ रूस में उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर किया गया है। प्रमुख कच्ची सामग्री के निमित्त लागतों का निर्धारण प्रमुख कच्ची सामग्री की खपत के कारकों और इन प्रमुख कच्ची सामग्रियों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। परिवर्तन लागत और एसजीए का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के अनुसार भारतीय अनुभव के आधार पर किया गया है। उपयुक्त लाभ 5 प्रतिशत के रूप में माना गया है। इस प्रकार, निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।
43. उचित तुलना सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए और विभिन्न ग्रेडों की उत्पादन लागत में काफी अंतर के मद्देनजर उत्पादित और बिक्री किए गए संबद्ध सामानों के प्रत्येक ग्रेड के लिए अलग सामान्य मूल्य परिकलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन लागत में काफी अंतर और परिणामस्वरूप जांच की अवधि में उस समयावधि में बिक्री कीमत के मद्देनजर जांच की अवधि की प्रत्येक तिमाही के लिए अलग सामान्य मूल्य परिकलित किया गया है। तथापि, विभिन्न ग्रेडों के लिए और प्रत्येक तिमाही के लिए निकाला गया पाटन मार्जिन पूरी "जांच की अवधि" के लिए और संबद्ध निर्यात मात्रा पर विचार करते हुए समग्र रूप से "विचाराधीन उत्पाद" के लिए औसतन भारित किया गया है।

##### चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

##### चीनी उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था स्तर

44. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

- (क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:
- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"
45. यह नोट किया जाता है कि 11.12.2016 को अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान यद्यपि समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के तहत दायित्वों के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के स्तर का दावा करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से भारत की नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को पूरा किए जाने की अपेक्षा है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि किसी भी उत्तरदाता उत्पादक, चीन जन. गण. के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। अतः सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

46. किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पाद की कीमतें अथवा निर्मित मूल्य अथवा भारत सहित अन्य देशों को ऐसे तीसरे देश से कीमतें न तो आवेदक द्वारा और न किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं और न ही प्राधिकारी के पास किसी सार्वजनिक स्रोत से उपलब्ध हैं। इस प्रकार, सामान्य मूल्य भारत में प्रदत्त अथवा देय कीमत के आधार पर लाभ सहित समायोजित करके निर्धारित किया गया है जो बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उपयुक्त लाभ जोड़ने के बाद भारत में उत्पादन लागत पर विचार करके निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में नीचे दिया गया है।
47. उचित तुलना करने के प्रयोजन के लिए और विभिन्न ग्रेडों की उत्पादन लागत में काफी अंतर के मद्देनजर उत्पादित और बिक्री किए गए संबद्ध सामानों के प्रत्येक ग्रेड के लिए अलग सामान्य मूल्य परिकलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन लागत में काफी अंतर और परिणामस्वरूप जांच की अवधि में उस समयावधि में बिक्री कीमत के मद्देनजर जांच की अवधि की प्रत्येक तिमाही के लिए अलग सामान्य मूल्य परिकलित किया गया है। तथापि, विभिन्न ग्रेडों के लिए और प्रत्येक तिमाही के लिए निकाला गया पाटन मार्जिन पूरी "जांच की अवधि" के लिए और संबद्ध निर्यात मात्रा पर उसके बाद विचार करते हुए समग्र रूप से "विचाराधीन उत्पाद" के लिए औसतन भारित किया गया है। प्राधिकारी ने तदनुसार भारित औसत सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

#### छ.5 निर्यात कीमत का निर्धारण

48. वर्तमान जांच में चीन जन. गण. और रूस के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने सहयोग नहीं किया है। अतः चीन जन. गण. और रूस के असहयोगी निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। उचित तुलना करने के प्रयोजन के लिए और विभिन्न ग्रेडों की उत्पादन लागत में काफी अंतर के मद्देनजर उत्पादित और बिक्री किए गए संबद्ध सामानों के प्रत्येक ग्रेड के लिए अलग निर्यात कीमत परिकलित की गयी है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन लागत में काफी अंतर और जांच की अवधि में उस समयावधि में बिक्री कीमत के मद्देनजर जांच की अवधि की प्रत्येक तिमाही के लिए अलग निर्यात परिकलित की गई है। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस में सूचित किए गए अनुसार आयातों पर विचार किया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समायोजन किए हैं। निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

#### छ.6 पाटन मार्जिन का निर्धारण

49. संबद्ध सामानों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाता है:

##### पाटन मार्जिन

| देश               | यूनिट               | चीन जन. गण. | रूस  |
|-------------------|---------------------|-------------|------|
| सामान्य मूल्य     | अमेरिकी डॉलर/मी. टन | ***         | ***  |
| निवल निर्यात कीमत | अमेरिकी डॉलर/मी. टन | 858         | 836  |
| पाटन मार्जिन      | अमेरिकी डॉलर/मी. टन | ***         | ***  |
|                   | %                   | ***         | ***  |
|                   | % रेंज              | 5-15        | 5-15 |

#### क्षति एवं कारणात्मक संपर्क

##### ज. क्षति की जांच

50. नियमावली के अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए..." घरेलू उद्योग की

क्षति को दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते हुए, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास होता अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती।

51. नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19 और 20 के प्रावधान समीक्षा के मामले में यथा आवश्यक संशोधन के साथ लागू होंगे। प्राधिकारी ने अपनी जांच में उन क्षति मानदंडों का मूल्यांकन किया है जो नियमावली के नियम 11 और अनुबंध-II के तहत अपेक्षित हैं और यह भी जांच की है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।
52. मैसर्स कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन (सीबीएमए) ने घरेलू उत्पादकों अर्थात् फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, हिमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल लिमिटेड, कांटीनेंटल कार्बन इंडिया लिमिटेड और बिरला कार्बन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है। प्रतिभागी कंपनियों अर्थात् फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, हिमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल लिमिटेड और कांटीनेंटल कार्बन इंडिया लिमिटेड ने निर्धारित सूचना उपलब्ध कराई है। बिरला कार्बन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। अतः नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार तीन प्रतिभागी कंपनियों को वर्तमान जांच प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग माना गया है। अतः नियम 2(ख) में परिभाषित किए गए अनुसार घरेलू उद्योग बनने वाली तीन प्रतिभागी कंपनियों की क्षति संबंधी सूचना की जांच की गई है।

#### ज.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

53. क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
  - क. संबद्ध सामानों के लिए मांग 2018-19 तक बढ़ी है और उसके बाद जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई है। मांग में गिरावट ऑटो उद्योग में गिरावट के कारण हो सकती है। तथापि, सतत पाटित आयातों से पहले ही सुभेद्य घरेलू उद्योग को क्षति बढ़ी है।
  - ख. यहां तक कि यद्यपि संबद्ध देशों से आयातों में जांच की अवधि में गिरावट आई, तथापि पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद आधार वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि हुई। आयातों में आधार वर्ष की तुलना में भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि हुई है।
  - ग. संबद्ध देशों के आयात पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद कुल आयातों में 45 प्रतिशत हैं।
  - घ. विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमतों में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के सामने आए आयातों से निरंतर कीमत दबावों के कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर था, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से सिद्ध है। यह संबद्ध देशों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद है। इसके अतिरिक्त, आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों से निरंतर और काफी कम रही हैं।
  - ङ. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और घरेलू उद्योग की कम कीमतों पर बिक्री हो रही है। इसके अतिरिक्त, आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास भी कर रहे हैं। क्षमता में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है जिसके बावजूद उत्पादन में गिरावट आई। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में भी क्षति की अवधि में गिरावट आई।
  - च. घरेलू उद्योग की बिक्री में 2017-18 में वृद्धि हुई, परंतु 2018-19 और जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई।

- छ. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि में गिरावट आई, जबकि संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई। यह संबद्ध सामानों के लिए भारतीय मांग को पूरा करने में घरेलू उद्योग के हाथों में पर्याप्त क्षमताएं होने के बावजूद है।
- ज. मालसूची में 2017-18 में गिरावट आई, परंतु 2018-19 और जांच की अवधि में उसमें काफी वृद्धि हुई।
- झ. जांच की अवधि में लाभप्रदता में गिरावट आई और वही नकद लाभ, पीबीआईटी, आरओआई में हुआ। तिमाही आधार पर लाभप्रदता में निरंतर गिरावट आई और 2019-20 की चौथी तिमाही में घरेलू उद्योग को हानियां हुई।
- ञ. घरेलू उद्योग के निष्पादन में काफी गिरावट आई है और विद्यमान पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में और गिरावट आने की संभावना है।
- ट. प्रत्येक संबद्ध देश के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और काफी है।
- ठ. उत्पादन, बिक्री, बिक्री कीमत, लाभप्रदता, नकद लाभ, पीबीआईटी, आरओआई और मालसूची के संदर्भ में वृद्धि नकारात्मक रही है।
- ड. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और कम कीमत पर बिक्री हो रही है। परिणामस्वरूप, आयातों की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है।
- ढ. पाटित आयातों के कारण हो रही कीमत कटौती से कीमत ह्रास हुआ है।
- ण. संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कीमत ह्रास प्रभाव के परिणामस्वरूप जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी अपक्षरण हुआ है।
- त. लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ में ह्रास प्रत्यक्ष रूप से पाटित आयातों के परिणाम हैं।
- थ. आयातों से घरेलू बिक्री में गिरावट आई है और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई।
- द. आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग में मालसूची में वृद्धि हुई है।
- ध. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग को वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए विवरणों के आधार पर अंतर्निहित कमियों के कारण क्षति हो रही है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि वार्षिक रिपोर्ट में सार्वजनिक विवरण इस निष्कर्ष को नहीं बदलते कि उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान हुआ है। यह गलत माना गया है कि पाटन क्षति का पूरा कारण है। वार्षिक रिपोर्ट में विवरण क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में ह्रास के संबंध में नहीं है और वे कंपनी के समग्र प्रचालनों और पाटन के कारणों से संबंधित हैं। अनुबंध-II में यह शामिल है कि आयात बाजार में उत्पाद की कीमतों का न्यूनीकरण अथवा ह्रास कर रहे हैं।
- न. इस तर्क के उत्तर में कि सीबीएफएस की कीमत में गिरावट आई है, जिससे क्षतिरहित कीमत में गिरावट आई, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि यद्यपि सीबीएफएस कीमतों में गिरावट से घरेलू उद्योग की लागत में गिरावट आएगी, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि क्षति नहीं हुई है।
- प. इस तर्क के उत्तर में कि सीबीओ कच्ची सामग्री ने समग्र आयात कीमत में गिरावट दर्शाई। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि सीबीएफएस से घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित कार्बन ब्लैक को सीबीओ से बनाए गए चीन से आयातित कार्बन ब्लैक की समान वस्तु माना गया है। दोनों उत्पादों का प्रयोग प्रयोक्ताओं द्वारा परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया जाता है। अतः सीबीओ की कीमतों और परिणामस्वरूप कार्बन ब्लैक की कीमतों में गिरावट तब तक शुल्क वापस लिए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात पाटित कीमतों पर नहीं हैं और घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचा रहे हैं।

- फ. क्षति रहित कीमतों के संबंध में उत्तरदाताओं के तर्कों के उत्तर में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि ये तर्क अवधारणाओं और पूर्वानुमानों पर आधारित हैं, आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कम कीमतों पर बिक्री हो रही है।
- ब. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि सीबीओ और सीबीएफएस के बीच बढ़ते हुए विस्तार से चीन की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो रही है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि यह तर्क वास्तविक रूप से गलत है। चीन से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और उनकी कम कीमतों पर बिक्री हो रही है।
- भ. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः निर्णायक समीक्षा जांच में आयातों में वृद्धि जारी रहने की कोई कानूनी अपेक्षा नहीं है। वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद के आयात आधार वर्ष की तुलना में बढ़े हैं और पूर्व वर्ष की तुलना में उनमें गिरावट आई है। संबद्ध देशों का भारत में कुल आयातों में प्रमुख हिस्सा है। ऑटो क्षेत्र में मंदी से घरेलू उद्योग अधिक सुभेद्य हुआ है। पाटित कीमतों पर संबद्ध देशों से आयातों ने पहले से सुभेद्य घरेलू उद्योग को क्षति बढ़ाई है।
- म. जहां तक 22 प्रतिशत आरओसीई का तर्क अवास्तविक होने का संबंध है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि प्राधिकारी की सभी स्थितियों में 22 प्रतिशत आय की अनुमति देना एक परिपाटी है और इसीलिए समानता के सिद्धांत की मांग सभी स्थितियों में लागू की जाती है। प्राधिकारी कई वर्षों से और जब पाटन नहीं था, उस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित वास्तविक आय दर पर विचार किए बिना लगभग प्रत्येक मामले में 22 प्रतिशत पर आरओसीई की अनुमति देते आ रहे हैं।
- य. जहां तक क्षमता उपयोग का संबंध है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कभी भी 90 प्रतिशत पर नहीं था। उसमें जांच की अवधि में काफी गिरावट आई।
- कक. कारणात्मक संपर्क में व्यवधान के संबंध में तर्क के उत्तर में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि अनुच्छेद 11.3 में प्राधिकारियों के लिए यह अपेक्षित है कि वे यह निर्धारित करें कि क्या शुल्कों की समाप्ति से क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना होगी। कारणात्मक संपर्क सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। घरेलू उद्योग ने संयुक्त राज्य अमेरिका - मैक्सिको से ऑयल कंट्री ट्यूबलर गुड्स (ओसीटीजी) पर पाटनरोधी उपायों में डब्ल्यूटीओ अपील की निकाय की टिप्पणियों पर विश्वास किया। जहां तक अन्य देशों से आयातों का संबंध है, वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते किसी अन्य नए देश को नहीं जोड़ा जा सकता। जहां तक मूल्यहास और परिशोधन व्यय में वृद्धि का संबंध है, मूल्यहास से पूर्व और बाद में लाभ तथा ब्याज पूर्व और ब्याज के बाद लाभ में गिरावट बहुत ही अधिक है। जहां तक उत्पादकता का संबंध है, उत्पादकता में गिरावट केवल एक सूचकांक है जो काफी नहीं है।
- खख. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि अतिरिक्त सूचना दायर किए जाने की आवश्यकता, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि अद्यतन जांच की अवधि के लिए सूचना समयावधि के अंतर्गत दायर कर दी गई है।

## ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

54. क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के संबंध में उत्पादक/निर्यातक/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. बिरला कार्बन को शामिल करना यह दर्शाएगा कि घरेलू उद्योग को अंतर्निहित कमियों के कारण क्षति हो रही है अथवा पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों से प्रभावित है। बिरला कार्बन ने जांच की अवधि में काफी अच्छा निष्पादन किया है। उसकी उत्पादन क्षमता 3,14,000 एमटीपीए की है जो अगस्त, 2020 तक 3,86,000 एमटीपीए तक बढ़ाई जाएगी और वित्तीय वर्ष 2020 में 2,78,254 मी. टन की बिक्री होगी। बिरला कार्बन की लगभग 30-34 प्रतिशत के बाजार हिस्से की अनुमानित क्षमता है और लगभग पूर्ण क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर रहा है। मूल्यहास, ब्याज और कर प्रतिशत से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ, जो 2018-19 में 15.3 प्रतिशत था, वह बढ़कर 2019-20 में 20.8 प्रतिशत हो गया। नियोजित पूंजी पर आय

2018-19 में 22.8 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 36.7 प्रतिशत हो गई। संदर्भ आईसीआरए रिपोर्ट का दिया गया है। भाग न लेने के कारण की बदनीयतों के लिए जांच की जानी चाहिए।

- ख. वास्तविक क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग का दावा पूर्णतः आधारहीन और गलत है क्योंकि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है।
- ग. चूंकि सीबीएफएस की कीमत, जो कार्बन ब्लैक की लागत की 85 प्रतिशत है, कम हुई है। घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत मूल जांच की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत तक कम हुई है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त हुई।
- घ. चीनी विनिर्माता सीबीओ का प्रयोग करते हैं और घरेलू उद्योग सीबीएफएस का प्रयोग करता है। सीबीएफएस की कीमतें सीबीओ से काफी उच्चतर दर पर गिरी हैं। संदर्भ ईडलविस द्वारा बाजार रिपोर्ट का दिया गया है, चीनी कोल तार कीमतें 2017 में बढ़ी हैं, नवंबर, 2016 से लगभग तिगुनी हुई हैं जिससे कच्चा तेल आधारित सीबीएफएस सीबीओ की तुलना में प्रतिस्पर्धी हुआ है। चीन में प्रदूषण संबंधी चिंताओं के संभावित रूप से बढ़े रहने से कोल तार कीमतें भविष्य में अधिक रहेंगी। पीसीबीएल ने अपनी अक्तूबर, 2020 की निवेशक प्रस्तुति में स्वीकार किया है कि सीबीओ और सीबीएफएस कीमतों के बीच बढ़ता हुआ अंतर जांच की अवधि के बाद में भी जारी रहा है। सीबीओ कच्ची सामग्री की कीमत ने समग्र आयात कीमत में गिरावट दर्शाई। आयात कीमत में गिरावट बढ़े हुए पाटन से संबंध नहीं बना सकती क्योंकि आयात कीमतों में गिरावट के साथ कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट का सह-संबंध है।
- ङ. घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच की जांचावधि में काफी कम है और आयात कीमतें क्षति रहित कीमत से अधिक होनी चाहिए। घरेलू उद्योग ने मौखिक सुनवाई में स्वीकार किया है कि वर्तमान जांच में क्षति रहित कीमत विचाराधीन उत्पाद के विरुद्ध मूल पाटनरोधी जांच की तुलना में कम है।
- च. घरेलू उद्योग खुद स्वीकार करता है कि सीबीओ और सीएफएस के बीच बढ़ता हुआ विस्तार चीन की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करता है। आयात जांच की अवधि के बाद में भी, सीबीओ और सीबीएफएस कीमतों के बीच बढ़ते अंतर के कारण घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से अधिक उच्च पहुँच मूल्य पर आने जारी रहेंगे।
- छ. अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद की आयात मात्रा में काफी वृद्धि है। संबद्ध देशों से आयात मात्रा में गैर-संबद्ध देशों से आयातों में गिरावट की तुलना में जांच की अवधि के दौरान मांग में गिरावट के कारण तेजी से गिरावट आई। संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के बाजार हिस्से में उसी अवधि के दौरान केवल थोड़ी सी 18 प्रतिशत तक वृद्धि हुई और पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान 59 प्रतिशत तक काफी गिरावट आई है, जबकि उसी वर्ष के दौरान अन्य देशों के बाजार हिस्से में 22 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।
- ज. घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2017-18 के दौरान नकारात्मक कीमत कटौती थी, जब संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत 75,136 भारतीय रुपये/मी. ट. थी। घरेलू उद्योग अब 73,473 भारतीय रुपये/मी. टन की पहुँच कीमत पर जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक कीमत कटौती का दावा कर रहा है, जो कि 2 प्रतिशत से अधिक का अंतर है। घरेलू बिक्री कीमत में जांच की अवधि के दौरान 52 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई है और बिक्री लागत में आधार वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई है। इसके अतिरिक्त, उसी अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों का पहुँच मूल्य भी 47 प्रतिशत तक बढ़ा और इसीलिए कोई कीमत न्यूनीकरण अथवा ह्रास नहीं है। पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत में 2 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत की गिरावट जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में गिरावट के कारण हो सकती है जिससे घरेलू बाजार में उसका निष्पादन प्रभावित हुआ है। मांग में गिरावट के बावजूद घरेलू बिक्री कीमत अब भी आधार वर्ष की तुलना में 52 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्शाती है।

- झ. जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि में कम कीमत पर बिक्री नकारात्मक है। एनआईपी परिकलन गलत है क्योंकि घरेलू उद्योग 22 प्रतिशत आरओसीई की उम्मीद करता है और यह अनुमान अवास्तविक है तथा उद्योग मानदंडों के अनुसार नहीं है और उसके लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। नियोजित पूंजी पर आय के लिए औसत उद्योग मानदंड 10 प्रतिशत है और उस पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना चाहिए। संदर्भ भारतीय स्पिनर एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और मैसर्स ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी का दिया गया है जिसमें सेसटेट ने माना है कि 22 प्रतिशत पर निर्धारित आरओसीई निर्धारित करना कृत्रिम था और बाजार की वास्तविकता के विरुद्ध था।
- ञ. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जांच की अवधि में 90 प्रतिशत अथवा उससे अधिक था और कोई थोड़ी सी गिरावट ऑटोमोबाइल उद्योग में मांग में गिरावट के कारण है। घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता में क्षति की पूरी अवधि में वृद्धि हुई है जो पिछले पांच वर्षों में घरेलू उद्योग के निष्पादन में प्रगति दर्शाती है। संस्थापित क्षमता आधार वर्ष से जांच की अवधि तक 6,76,000 मी. टन से बढ़कर 7,90,000 मी. टन हुई है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान अपनी क्षमता में 1,14,000 मी. टन की वृद्धि की है। घरेलू उद्योग का उत्पादन आधार वर्ष में 5,17,272 मी. टन से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 5,51,774 मी. टन हुआ। घरेलू बिक्री भी आधार वर्ष में 4,27,128 मी. टन से बढ़कर 2018-19 में 4,28,317 मी. टन हो गई। थोड़ी सी गिरावट मांग में गिरावट के कारण है। निर्यात बिक्री बढ़ी है जो यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग जानबूझकर निर्यात पर जोर दे रहा है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू बिक्री में गिरावट आ रही है।
- ट. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता बढ़ी है क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान 52 प्रतिशत तक बढ़ी है। उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का लाभ 191 प्रतिशत तक बढ़ा, उसका ब्याज एवं कर पूर्व लाभ 637 प्रतिशत तक बढ़ा, घरेलू उद्योग का नकद लाभ 303 प्रतिशत तक बढ़ा और नियोजित पूंजी पर आय 562 प्रतिशत तक बढ़ी।
- ठ. तथाकथित क्षति एवं संबद्ध देश के आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क में कटाव है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण क्षति का आरोप लगाने में तीसरे देशों से आयातों तथा संबद्ध देश के आयातों के कारण क्षति को अलग-अलग नहीं किया है। घरेलू उद्योग को कोई क्षति भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आर्थिक मंदी के कारण विचाराधीन उत्पाद की मांग/खपत में गिरावट जैसे अन्य कारकों के कारण है। घरेलू उद्योग को क्षति गैर-संबद्ध देशों से आयातों के कारण काफी बढ़ी है। मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय 2016-17 में 100 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 148 सूचकांक तक हो गई और हानि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण नहीं हो सकती। कर्मचारियों की प्रति दिन उत्पादकता में 2016-17 में 100 सूचकांक से जांच की अवधि में 99 सूचकांक तक गिरावट आ जाना घरेलू उद्योग की उत्पादन मात्रा में गिरावट के कारण है।
- ड. यद्यपि प्राधिकारी ने तुलनीय अवधियों पर विश्वास करना चुना, तथापि आवेदक ने 1 जनवरी, 2020 - 31 मार्च, 2020 के लिए आंकड़े प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं कराए हैं। अतः समीक्षा के आरंभ में प्राधिकारी के पास इस अवधि के लिए व्यापक एवं विश्वसनीय आंकड़े न होना प्रतीत होता है। 1 जनवरी, 2020 - 31 मार्च, 2020 के अतिरिक्त आंकड़े एकत्रित किए जाने हैं।
- ढ. क्षमता, उत्पादन, ब्याज एवं कर पूर्व लाभ, नकद लाभ, मजदूरी, कर्मचारियों की संख्या और प्रति दिन उत्पादकता में 2016-17, 2017-18, 2018-19 के वित्तीय वर्षों में सकारात्मक प्रवृत्ति सामने आई है और इसीलिए भारतीय उद्योग को क्षति अथवा क्षति का खतरा नहीं हो रहा है।
- ण. कोई कारणात्मक संपर्क नहीं है। भारतीय उद्योग पर रूसी आयातों के प्रभाव का अभाव है क्योंकि आवेदक के निष्पादन में गिरावट आयातों में 53 प्रतिशत तक की गिरावट और अप्रैल-दिसंबर, 2019 (क) में भारतीय बाजार में रूसी सामानों का हिस्सा 11.08 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशत होने के अनुरूप है। चीन अथवा तीसरे

देशों से आयातों में वृद्धि, भारत में मांग में गिरावट जैसे अन्य कारकों ने भारतीय उद्योग को प्रभावित किया। आवेदक ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान उत्पादन क्षमताओं में भी वृद्धि की है और क्षमता उपयोग का हिस्सा गिर रहा था। यह उपाय रूसी उत्पाद के लिए नहीं दिया जाना चाहिए।

### ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

55. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा पाटित आयातों की मात्रा और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव, दोनों की वस्तुपरक जांच का प्रावधान है।
56. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(क)(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले न हटाया गया हो, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर अप्रभावी हो जाएगा, बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार का किसी समीक्षा में यह मत है कि यदि उस शुल्क को बंद करने से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, वह समय-समय पर अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए उसे लगाए जाने की अवधि बढ़ा सकती है और वह अगली अवधि उस अवधि के बढ़ाए जाने के आदेश की तारीख से शुरू होगी।
57. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को देखते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने के लिए कार्रवाई करने से पूर्व घरेलू उद्योग को यदि कोई वर्तमान क्षति है, तो उसकी जांच करने की कार्रवाई करते हैं।
58. यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदंड ह्रास दर्शाएं। कुछ मानदंड ह्रास दर्शा सकते हैं जबकि कुछ नहीं। प्राधिकारी सभी क्षति मानदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है अथवा नहीं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुपरक रूप से जांच की है।
59. जहां तक एनआईपी के निर्धारण के सिद्धांत के संबंध में आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में संगत दिशा-निर्देश पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अंतर्गत अच्छी तरह उल्लिखित हैं। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-III में उल्लिखित प्रावधानों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी निर्धारित की है।
60. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति अंतर्निहित कमियों के कारण है और वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उनके निष्पादन में गिरावट के लिए अन्य कारक हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के सतत पाटन का मामला है।
61. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा पाटित आयातों की मात्रा और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव, दोनों की वस्तुपरक जांच का प्रावधान है।
62. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(क)(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले न हटाया गया हो, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर अप्रभावी हो जाएगा, बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार का किसी समीक्षा में यह मत है कि यदि उस शुल्क को बंद करने से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, वह समय-समय पर अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए उसे लगाए जाने की अवधि बढ़ा सकती है और वह अगली अवधि उस अवधि के बढ़ाए जाने के आदेश की तारीख से शुरू होगी।
63. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को देखते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने के लिए कार्रवाई करने से पूर्व घरेलू उद्योग को यदि कोई वर्तमान क्षति है, तो उसकी जांच करने की कार्रवाई करते हैं।
64. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुपरक रूप से जांच की है।

#### ज.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

##### क. मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन

65. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री की मात्रा तथा सभी स्रोतों से आयातों के रूप में विचार किया है।

| भारत में मांग                   | यूनिट         | 2016-17        | 2017-18        | 2018-19        | जांच की अवधि   |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| घरेलू उद्योग की बिक्री          | मी. टन        | 427,128        | 429,184        | 422,082        | 393,322        |
| अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री | मी. टन        | ***            | ***            | ***            | ***            |
| संबद्ध देशों से आयात            | मी. टन        | 65,064         | 79,820         | 134,349        | 74,053         |
| अन्य देशों से आयात              | मी. टन        | 32,978         | 76,955         | 100,862        | 94,091         |
| <b>कुल भारतीय मांग</b>          | <b>मी. टन</b> | <b>806,096</b> | <b>864,657</b> | <b>949,390</b> | <b>823,902</b> |

66. यह देखा जाता है कि संबद्ध सामानों के लिए मांग 2018-19 तक बढ़ी, परंतु जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई। तथापि, समग्र मांग में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि मांग में यह गिरावट भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग की कठिनाई के कारण है।

#### ख. संबद्ध देशों से आयात मात्रा

67. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पूर्ण दृष्टि से या भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है। प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए डीजीसीआईएंडएस से लिए गए लेन-देन वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। वास्तविक स्थिति निम्नलिखित है:

| विवरण             | यूनिट  | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | जांच की अवधि |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|--------------|
| संबद्ध देश        | मी. टन | 65,064  | 79,820  | 134,349 | 74,053       |
| चीन               | मी. टन | 51,687  | 55,944  | 108,281 | 61,934       |
| रूस               | मी. टन | 13,377  | 23,876  | 26,068  | 12,119       |
| अन्य देश          | मी. टन | 32,978  | 76,955  | 100,862 | 94,091       |
| कुल आयात          | मी. टन | 98,042  | 156,775 | 235,210 | 168,144      |
| मांग/खपत          | मी. टन | 806,096 | 864,657 | 949,390 | 823,902      |
| भारतीय उत्पादन    | मी. टन | 517,272 | 517,911 | 531,853 | 507,368      |
| के संबंध में आयात |        |         |         |         |              |
| कुल आयात          | %      | 66.36%  | 50.91%  | 57.12%  | 44.04%       |
| भारतीय उत्पादन    | %      | 12.58%  | 15.41%  | 25.26%  | 14.60%       |
| कुल खपत           | %      | 8.07%   | 9.23%   | 14.15%  | 8.99%        |

68. यह देखा जाता है कि:

क. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा 2018-19 तक बढ़ी है, परंतु जांच की अवधि के दौरान उसमें गिरावट आई। आयातों की मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध देशों से आयात भारत में कुल आयातों में काफी रहे।

ग. भारतीय उत्पादन और कुल खपत की तुलना में आयातों की मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।

### ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

69. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता होती है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में आरोपित पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव कीमत वृद्धि रोकने अथवा कीमतों का ह्रास करने के लिए अन्यथा है जो अन्यथा सामान्य अवधि में हुई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास तथा कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों की पहुँच कीमत से की गई है।

### क. कीमत कटौती

70. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से भारित औसत आयात कीमत से की गई है। तदनुसार, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कीमत कटौती प्रभाव निम्नलिखित निकलते हैं:

| विवरण                             | यूनिट      | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | जांच की अवधि |
|-----------------------------------|------------|---------|---------|---------|--------------|
| घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत       | रु./मी. टन | ***     | ***     | ***     | ***          |
| प्रवृत्ति                         |            | 100     | 129     | 167     | 153          |
| चीन                               |            |         |         |         |              |
| पाटनरोधी शुल्क के बिना पहुँच कीमत | रु./मी. टन | 50,211  | 78,255  | 88,742  | 73,906       |
| पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत कटौती | रु./मी. टन | ***     | ***     | ***     | ***          |
|                                   | %          | ***     | ***     | ***     | ***          |
|                                   | रेंज       | 0-10    | (10-20) | (0-10)  | 0-10         |
| रूस                               |            |         |         |         |              |
| पाटनरोधी शुल्क के बिना पहुँच कीमत | रु./मी. टन | 49,489  | 67,827  | 89,227  | 69,286       |
| पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत कटौती | रु./मी. टन | ***     | ***     | ***     | ***          |
|                                   | %          | ***     | ***     | ***     | ***          |
|                                   | रेंज       | 0-10    | (0-10)  | (0-10)  | 10-20        |
| संबद्ध देश                        |            |         |         |         |              |
| पाटनरोधी शुल्क के बिना पहुँच कीमत | रु./मी. टन | 50,063  | 75,136  | 88,836  | 73,150       |
| पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत कटौती | रु./मी. टन | ***     | ***     | ***     | ***          |
|                                   | %          | ***     | ***     | ***     | ***          |
| पाटनरोधी शुल्क के बिना पहुँच कीमत | रेंज       | 0-10    | (0-10)  | (0-10)  | 0-10         |

71. यह देखा जाता है कि प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है। संबद्ध देशों से आयातों के कारण पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती होने की संभावना है।

**कीमत न्यूनीकरण एवं हास**

72. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का हास अथवा न्यूनीकरण कर रहे हैं तथा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का न्यूनीकरण करने तथा कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए है जो अन्यथा सामान्य अवधि में हुई होती, क्षति की अवधि में लागतों तथा कीमतों में परिवर्तनों की जांच की गई है। निम्नलिखित तालिका वास्तविक स्थिति दर्शाती है:

| विवरण          | यूनिट    | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | जांच की अवधि |
|----------------|----------|---------|---------|---------|--------------|
| बिक्री की लागत | ₹/मी. टन | ***     | ***     | ***     | ***          |
| प्रवृत्ति      |          | 100     | 114     | 142     | 140          |
| बिक्री कीमत    | ₹/मी. टन | ***     | ***     | ***     | ***          |
| प्रवृत्ति      |          | 100     | 129     | 167     | 153          |
| पहुँच कीमत     | ₹/मी. टन | 50,063  | 75,136  | 88,836  | 73,150       |
| प्रवृत्ति      |          | 100     | 150     | 177     | 146          |

73. यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि के दौरान घरेलू समान उत्पाद की बिक्री में बिक्री लागत में वृद्धि की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है। तथापि, वर्ष दर वर्ष में प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते समय यह देखा जाता है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में पूर्व वर्ष की तुलना में गिरावट उसकी बिक्री लागत में गिरावट की अपेक्षा काफी अधिक थी। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण किया है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों से पहुँच कीमत ने घरेलू उद्योग को उसकी बिक्री कीमत बढ़ाने से रोका है।

**ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड**

74. नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री में वास्तविक एवं संभावित गिरावट, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों तथा सभी संगत आर्थिक कारकों; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर संभावित नकारात्मक प्रभावों का वस्तुपरक तथा निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।
75. प्राधिकारी ने विभिन्न तथ्यों और हितवद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुपरक रूप से जांच की है।

**i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री**

76. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

| विवरण             | यूनिट  | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | जांच की अवधि |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|--------------|
| क्षमता - संयंत्र  | मी. टन | 676,000 | 692,000 | 733,000 | 785,000      |
| प्रवृत्ति         |        | 100     | 102     | 108     | 116          |
| उत्पादन - संयंत्र | मी. टन | 555,797 | 559,067 | 570,638 | 551,759      |

| प्रवृत्ति                  |        | 100     | 101     | 103     | 99      |
|----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| उत्पादन – विचाराधीन उत्पाद | मी. टन | 517,272 | 517,911 | 531,853 | 507,368 |
| प्रवृत्ति                  |        | 100     | 100     | 103     | 98      |
| क्षमता उपयोग - संयंत्र     | %      | 82.22%  | 80.79%  | 77.85%  | 70.29%  |
| प्रवृत्ति                  |        | 100     | 98      | 95      | 85      |
| घरेलू बिक्री               | मी. टन | 427,128 | 429,184 | 422,082 | 393,322 |
| प्रवृत्ति                  |        | 100     | 100     | 99      | 92      |

77. यह देखा जाता है कि:

- क) घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।
- ख) घरेलू उद्योग का उत्पादन 2018-19 तक बढ़ा, परंतु जांच की अवधि में उसमें काफी गिरावट आई। उत्पादन में आधार वर्ष तथा पूर्व वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- ग) घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में पूरी क्षति अवधि में गिरावट आई है।
- घ) घरेलू बिक्री 2017-18 तक बढ़ी है, परंतु 2018-19 में और उसके बाद जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई है। तथापि, जांच की अवधि में बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में गिरावट आई है।

## ii. मांग में बाजार हिस्सा

78. घरेलू उद्योग का निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

| विवरण                          | यूनिट | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | जांच की अवधि |
|--------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------|
| याचिकाकर्ता कंपनियों का हिस्सा | %     | 52.99%  | 49.64%  | 44.46%  | 47.74%       |
| अन्य उत्पादकों का हिस्सा       | %     | ***     | ***     | ***     | ***          |
| संबद्ध देश से हिस्सा           | %     | 8.07%   | 9.23%   | 14.15%  | 8.99%        |
| अन्य देश से हिस्सा             | %     | 4.09%   | 8.90%   | 10.62%  | 11.42%       |
| कुल                            | %     | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%      |

79. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग और घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में समग्र रूप से क्षति की अवधि में गिरावट आई है। तथापि, संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में 2018-19 तक वृद्धि हुई है, परंतु जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई है।

## iii. मालसूची

80. क्षति की अवधि में मालसूची की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

| स्टॉक        | यूनिट  | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | जांच की अवधि |
|--------------|--------|---------|---------|---------|--------------|
| आरंभिक स्टॉक | मी. टन | ***     | ***     | ***     | ***          |
| प्रवृत्ति    |        | 100     | 65      | 43      | 136          |

|             |        |     |     |     |     |
|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| अंतिम स्टॉक | मी. टन | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति   |        | 100 | 67  | 208 | 229 |
| औसत स्टॉक   | मी. टन | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति   |        | 100 | 66  | 109 | 173 |

81. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने मालसूची में 2017-18 में गिरावट आई, परंतु 2018-19 में और आगे जांच की अवधि के दौरान उसमें वृद्धि हुई। अंतिम स्टॉक जांच की अवधि के दौरान उच्चतम स्तर पर है।

**iv. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय**

82. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय नीचे तालिका में दी गई है:

| विवरण                    | यूनिट      | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | जांच की अवधि | जांच की अवधि - ति.1 | जांच की अवधि - ति.2 | जांच की अवधि - ति.3 | जांच की अवधि - ति.4 |
|--------------------------|------------|---------|---------|---------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| प्रति यूनिट लाभ / (हानि) | रु./मी. टन | ***     | ***     | ***     | ***          | ***                 | ***                 | ***                 | ***                 |
| प्रवृत्ति                |            | -100    | 170     | 303     | 100          | 137                 | 155                 | 116                 | -13                 |
| लाभ/हानि                 | रु./लाख    | ***     | ***     | ***     | ***          | ***                 | ***                 | ***                 | ***                 |
| प्रवृत्ति                |            | -100    | 171     | 300     | 92           | 137                 | 137                 | 105                 | -12                 |
| नकद लाभ                  | लाख रु.    | ***     | ***     | ***     | ***          | ***                 | ***                 | ***                 | ***                 |
| प्रवृत्ति                |            | -100    | 311     | 511     | 215          | 285                 | 286                 | 232                 | 57                  |
| नियोजित पूंजी पर आय      | %          | ***     | ***     | ***     | ***          | ***                 | ***                 | ***                 | ***                 |
| प्रवृत्ति                |            | -100    | 983     | 1,369   | 468          | 672                 | 707                 | 562                 | 87                  |

83. यह देखा जाता है कि:

- क. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में 2018-19 तक सुधार हुआ। तथापि, लाभप्रदता में जांच की अवधि में काफी गिरावट आई।
- ख. नकद लाभ पीबीआईटी और नियोजित पूंजी पर आय लाभप्रदता की तरह ही कोई प्रवृत्ति दर्शाते हैं।
- ग. तिमाही आधार पर यह देखा जाता है कि लाभप्रदता में जांच की अवधि में काफी गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को जांच की अवधि की चौथी तिमाही में हानियां हुई हैं।
- घ. पीबीआईटी और नकद लाभ में भी तिमाही आधार पर गिरावट आई है।
- ङ. घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन में ह्रास हुआ है।

**v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता**

84. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दी गई है:

| विवरण                    | यूनिट   | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | जांच की अवधि |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| मजदूरी                   | लाख रु. | ***     | ***     | ***     | ***          |
| प्रवृत्ति                |         | 100     | 118     | 135     | 165          |
| रोजगार                   | सं.     | ***     | ***     | ***     | ***          |
| प्रवृत्ति                |         | 100     | 105     | 107     | 114          |
| प्रति दिन उत्पादकता      | मी. टन  | ***     | ***     | ***     | ***          |
| प्रवृत्ति                |         | 100     | 101     | 103     | 99           |
| प्रति कर्मचारी उत्पादकता | मी. टन  | ***     | ***     | ***     | ***          |
| प्रवृत्ति                |         | 100     | 96      | 96      | 87           |

85. यह देखा जाता है कि:

क) प्रदत्त मजदूरी और कर्मचारियों की संख्या में क्षति की अवधि में और आगे जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

ख) प्रति दिन उत्पादकता 2018-19 तक बढ़ी है, परंतु उसमें जांच की अवधि में गिरावट आई।

86. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ये मानदंड घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का प्रभाव नहीं दर्शाते।

#### vi. वृद्धि

87. उत्पादन, घरेलू बिक्री मात्रा, लाभ आदि के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे तालिका में दी गई है:

| वृद्धि                       | यूनिट | 2016-17 | 2017-18  | 2018-19 | जांच की अवधि |
|------------------------------|-------|---------|----------|---------|--------------|
| उत्पादन (मी. टन)             | %     | 0.00    | 0.59     | 2.07    | -3.31        |
| घरेलू बिक्री मात्रा (मी. टन) | %     | 0.00    | 0.48     | -1.65   | -6.81        |
| बिक्री की लागत (रु./मी. टन)  | %     | 0.00    | 13.86    | 25.15   | -1.84        |
| बिक्री कीमत (रु./मी. टन)     | %     | 0.00    | 29.36    | 28.99   | -8.32        |
| लाभ/हानि (रु./मी. टन)        | %     | 0.00    | -269.77  | 78.67   | -67.17       |
| नकद लाभ (लाख रु.)            | %     | 0.00    | -410.87  | 64.53   | -57.94       |
| निवेश पर आय (%)              | %     | 0.00    | -1083.06 | 39.27   | -65.82       |

88. यह देखा जाता है कि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक रही है।

#### vii. पाटन मार्जिन की मात्रा

89. पाटन की मात्रा उस सीमा तक एक संकेतक है जहां तक आयात भारत में पाटित किए जा रहे हैं। जांच से यह पता चला है कि पाटन मार्जिन जांच की अवधि में सकारात्मक और काफी है।

#### viii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

90. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में जांच की अवधि में गिरावट आई है। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के सामने आ रही प्रतिस्पर्धा से उद्योग के प्रचालनों पर प्रभाव पड़ा है जिससे पूंजी निवेश जुटाने में उसकी क्षमता प्रभावित हुई है। यह नोट किया जाता है कि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता विद्यमान पाटनरोधी शुल्क को बंद किए जाने की स्थिति में प्रभावित होने की संभावना है।

#### viii. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

91. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पहुँच मूल्य उसकी निवल बिक्री कीमत से कम है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध आयातों की पहुँच कीमतों में घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण किया है जिससे जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता में काफी गिरावट आई। संबद्ध देशों से पाटित आयात बाजार में उत्पाद की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।

#### ix. कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन की मात्रा

92. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा दी गई और जांच की अवधि के लिए प्रैक्टिसिंग एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से पहुँच कीमत की तुलना करने के लिए एनआईपी पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में कच्ची सामग्री और यूटिलिटियों के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण एवं गैर-आवर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से अलग किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार और अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार क्षति रहित कीमत निकालने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।
93. चूंकि संबद्ध देशों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं दिया, अतः सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुँच कीमत निर्धारित की है।
94. उपर्युक्त निर्धारित पहुँच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

#### क्षति मार्जिन

| देश             | यूनिट               | चीन जन. गण. | रूस  |
|-----------------|---------------------|-------------|------|
| क्षति रहित कीमत | अमेरिकी डॉलर/मी. टन | ***         | ***  |
| पहुँच मूल्य     | अमेरिकी डॉलर/मी. टन | 1,031       | 967  |
| क्षति मार्जिन   | अमेरिकी डॉलर/मी. टन | ***         | ***  |
|                 | %                   | ***         | ***  |
|                 | % रेंज              | नकारात्मक   | 1-10 |

#### झ. कारणात्मक संपर्क और गैर-आरोप्य विश्लेषण

95. प्राधिकारी ने पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य ज्ञात कारकों की जांच की जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति पहुँच रही होती ताकि इन अन्य कारकों के कारण क्षति, यदि कोई है, पाटित आयातों के कारण न हो। इस संबंध में, जो कारक संगत हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा तथा कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास तथा निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर किन्हीं अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान हो सकता है।

**क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें**

96. यह देखा जाता है कि कोरिया गणराज्य, कोलंबिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के सिवाए अन्य देशों से आयातों पर या तो पाटनरोधी शुल्क लग रहे हैं अथवा न्यूनतम हैं अथवा उच्चतर कीमतों पर हैं। तथापि, यह देखा जाता है कि इन प्रत्येक देश के संबंध में क्षति मार्जिन नकारात्मक है और इन देशों पर वर्तमान में पाटनरोधी शुल्क नहीं लग रहा है।

**ख. मांग में संकुचन**

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की मांग आधार वर्ष की तुलना में बढ़ी है। तथापि, वर्तमान जांच की अवधि में मांग में गिरावट आई है। इससे घरेलू उद्योग की सुभेद्यता और बढ़ी है तथा घरेलू उद्योग के सामने पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में क्षति बढ़ने की संभावना है।

**ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन**

98. विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः खपत के पैटर्न में परिवर्तनों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

**घ. प्रतिस्पर्धा की शर्तें एवं व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ**

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच में यह नहीं दर्शाया गया है कि प्रतिस्पर्धा की शर्तें अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए उत्तरदायी हैं।

**ङ. प्रौद्योगिकी में विकास**

100. प्रौद्योगिकी में काफी परिवर्तनों की मौजूदगी के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य नहीं लाया गया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

**छ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन**

101. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर पर विचार किया है। अतः निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

**ज. अन्य उत्पादों का निष्पादन**

102. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन के क्षति संबंधी आंकड़े दिए हैं और उन्हें क्षति विश्लेषण के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया है। अतः आवेदक द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

**क्षति के जारी रहने संबंधी निष्कर्ष**

103. संबद्ध उत्पाद के आयात और घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच से पता चलता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप से और भारतीय उत्पादन की दृष्टि से भी तथा आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई में मांग के अनुसार भी वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू समान उत्पाद की बिक्री कीमत में बिक्री लागत की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है तथापि, वर्ष दर वर्ष रूझान के विश्लेषण से यह देखा जाता है कि क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में गिरावट, उसकी बिक्री लागत से अधिक रही है। यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही है। मालसूची जो 2018-19 तक लगभग समान रही हैं, उसमें पीओआई में भारी वृद्धि हुई है। घरेलू

उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई के दौरान गिरावट आई है। मालसूची, जो 2018-19 में लगभग समान थी, में पी ओ आई के दौरान भारी वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के प्रचालन कार्य निष्पादन में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पी ओ आई के दौरान गिरावट आई है। पी ओ आई के दौरान तिमाही-वार विश्लेषण दर्शाता है कि उसे जांच अवधि के दौरान अपने प्रचालन कार्य निष्पादन में भारी घाटा उठाना पड़ा है।

104. उक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में आधार वर्ष से 2017-18 तक सुधार हुआ है। तथापि, पी ओ आई के दौरान उसमें गिरावट आई है।

**ज. पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना**

**ज.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध**

105. पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं।

ख. विदेशी उत्पादकों के सामने घरेलू मांग से कहीं अधिक काफी अधिशेष उत्पादन क्षमताओं की समस्या है।

ग. घरेलू खपत और निर्यातों पर विचार करते हुए विदेशी उत्पादकों के सामने काफी अनुपयुक्त क्षमताओं की समस्या है।

घ. निर्यातों और उत्पादों पर विचार करते हुए विदेशी उत्पादक अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं।

ङ. विदेशी उत्पादकों के क्षमता उपयोग का स्तर कार्बन ब्लैक संयंत्रों की प्रकृति को देखते हुए काफी नीचे है जहां उत्पादकों की प्रवृत्ति अर्थक्षम होने के लिए उच्च स्तरों पर संयंत्रों का प्रचालन करने की होती है।

च. कीमत कटौती पर विचार करते हुए यदि भारतीय उत्पादक कीमत कटौती की राशि (पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में) तक कीमतें कम करते हैं तो भारतीय उत्पादकों को वित्तीय हानियां और निवेश पर नकारात्मक आय होंगी।

छ. चीन में सीबीएफएस की कीमतें अतार्किक और अवास्तविक रूप से कम हैं, जिससे उत्पादन लागत कम हो रही है, और जिससे चीनी उत्पादक किसी भी कीमत पर उत्पाद का पाटन करने में सक्षम हो जाते हैं।

ज. घरेलू उद्योग की वर्तमान स्थिति पहले ही अत्यधिक दुर्बल है क्योंकि उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय में जांच की अवधि में हास हुआ है।

झ. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। बिक्री लागत पूर्व वर्ष की तुलना में कम हुई है, परंतु बिक्री कीमत में गिरावट उस अवधि के दौरान लागत में गिरावट से काफी अधिक थी। जांच की अवधि के अंतर्गत घरेलू उद्योग के सामने आई कीमत न्यूनीकरण की स्थिति स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग की सुभेद्यता सिद्ध करती है। इन परिस्थितियों में घरेलू उद्योग को विद्यमान पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में काफी क्षति होगी।

ञ. संबद्ध देशों उत्पादक पहले से ही विद्यमान अधिशेष क्षमताओं के बावजूद अपनी क्षमताएं और बढ़ा रहे हैं।

ट. रूस के संबंध में घरेलू उद्योग के संभावित दावे उपयोग में लाई गई क्षमताओं पर आधारित नहीं हैं।

ठ. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने अतिरिक्त क्षमताओं का कोई साक्ष्य नहीं दिया है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि संभावना संबंधी सूचना नॉच कंसल्टिंग रिपोर्ट के आधार पर है। जहां तक अधिशेष क्षमताओं का संबंध है, घरेलू उद्योग का संभावना का दावा पूरी तरह अधिशेष क्षमताओं के आधार पर नहीं है। साथ ही, विरोधी पक्षकारों ने घरेलू उद्योग की संभावना के दावों पर विवाद करने के लिए कोई विपरीत साक्ष्य नहीं दिया है।

- ड. जहां तक चीन से निर्यातों के हिस्से के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क का संबंध है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि चीन से भारत को समग्र निर्यातों में विचाराधीन उत्पाद के निर्यात का हिस्सा वर्तमान जांच, जो कि एक उत्पाद विशिष्ट जांच है, में अवास्तविक है। चीन से विचाराधीन उत्पाद का भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों में 37 प्रतिशत हिस्सा है जो विद्यमान पाटनरोधी शुल्क के बावजूद काफी है।
- ढ. चीन में घरेलू मांग तथा उसकी क्षमताओं के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के संबंध में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि याचिका में दिए गए साक्ष्य के अनुसार विचाराधीन उत्पाद की मांग (2018 की स्थिति के अनुसार) 50,20,000 मी. टन है। इस मांग में 7 प्रतिशत वृद्धि से 53,71,400 मी. टन की मांग हो जाएगी। 2018 में चीन में कुल क्षमताएं 77,00,000 मी. टन हैं जो अत्यधिक हैं। इसके अतिरिक्त, चीन में पहले से ही अधिशेष तथा अनुपयुक्त क्षमताएं हैं। बिरला कार्बन और जिनेंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संयंत्रों के आने से चीन के पहले से अतिरिक्त क्षमताओं में और वृद्धि होगी जो चीनी मांग को पूरा करने के लिए तथा भारत को निर्यात भेजने के लिए पर्याप्त होंगी।
- ण. इस तर्क के उत्तर में कि निर्यातोन्मुखता का अभिप्राय पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने पर निर्यात अनुकूलन नहीं है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि निर्यातोन्मुखता यह दर्शाती है कि कंपनियों ने निर्यात बाजारों के लिए अपनी क्षमताएं निर्मित की हैं और पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में भारत को निर्यातों में वृद्धि होगी। पाटनरोधी शुल्क विद्यमान रहने के बावजूद आधार वर्ष की तुलना में संबद्ध देशों से आयातों में और वृद्धि यह सिद्ध करती है कि पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से भारत को निर्यात और अधिक बढ़ेंगे।
- त. इस तर्क के उत्तर में कि घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति में सुधार होने पर प्राधिकारी ने विस्तार से इंकार किया है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि कई ऐसे मामले हैं, यथा - डिक्लोफेनाक सोडियम, जिंक ऑक्साइड, एक्रिलिक फाइबर - थाइलैंड और कोरिया, कास्टिक सोडा - जापान एसएसआर, रूस के विरुद्ध हेक्साamin एसएसआर, एसएफएस पौटेथियम कार्बोनेट, हेक्साamin - ईरान, कुमेरिन एसएसआर आदि, जिनमें प्राधिकारी ने ऐसी स्थिति में शुल्क जारी रखे हैं जब संबद्ध देश से शून्य आयात हैं और घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं है।

## अ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

106. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के संबंध में उत्पादक/निर्यातक/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदन पत्र रूसी उत्पादकों की क्षमता उपयोग दर 2018 में 100, 9 प्रतिशत पहुँचना दर्शाता है और इसीलिए रूसी उत्पादकों के पास निर्यात बढ़ाने के लिए कोई मुक्त क्षमताएं नहीं हैं। रूसी सामान विश्व के विभिन्न क्षेत्रों को निर्यात किए जाते हैं और ये प्रवाह स्थिर हैं। संदर्भ रूस के संघीय सीमा शुल्क सेवा के आंकड़ों का दिया गया है। रूसी उत्पादकों की सुपुर्दगी पहले ही आबंटित कर दी गई है और उत्पादन क्षमताओं की 100 प्रतिशत उपयोग दर के कारण रूसी विनिर्माता, यदि उपाय रद्द किए जाते हैं तो, भारत को अपनी काफी आपूर्ति नहीं बढ़ा सकते।
- ख. यदि पाटनरोधी शुल्क वर्तमान जांच में हटाए जाते हैं तो संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के कारण वास्तविक क्षति बार-बार होने की कोई संभावना नहीं है।
- ग. पीसीबीएल द्वारा स्वीकार किए गए अनुसार और अन्य कारकों के अनुसार घरेलू उद्योग को क्षति की कोई संभावना नहीं है। घरेलू उद्योग ने चीन और रूस में अतिरिक्त क्षमताओं के आरोप को सिद्ध करने के लिए बिना किसी साक्ष्य के एक कोरा विवरण मात्र ही दिया है। निर्यातकों के पास केवल अतिरिक्त क्षमता होने का ही अपने आप में यह अभिप्राय नहीं है कि यह भारत को अनुकूलित किए जाने के लिए, विशेष रूप से जब घरेलू उद्योग ने इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है, संदर्भ इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट

प्राधिकारी का दिया गया है जिसमें यह माना गया था कि केवल अधिशेष क्षमता की मौजूदगी पर क्षति के खतरे के रूप में विचार नहीं किया जा सकता।

- घ. चीन से विचाराधीन उत्पाद के निर्यात क्षति की अवधि के दौरान भारत को उसके समग्र निर्यातों का केवल 8 प्रतिशत है और नवीनतम बाजार अनुमान चीन से कार्बन ब्लैक के समग्र निर्यातों में 6.1 प्रतिशत का कम हिस्सा दर्शाते हैं। चीन का पहले ही विश्व के अन्य भागों में काफी बाजार है। इस प्रकार, उसे भारत को भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता। कार्बन ब्लैक के लिए काफी संख्या में छोटे संयंत्र 2017 में पर्यावरणीय चिंताओं के कारण चीन में बंद हो गए हैं और भविष्य में भी जारी रहने की आशा है।
- ङ. चीन में भारतीय मांग खुद ही 2021 तक 7 प्रतिशत के सीएजीआर पर बढ़ने का अनुमान है जो भारत की वृद्धि से भी अधिक है। बिरला ने सितंबर, 2017 में जिनी में अपने बड़े संयंत्र में निवेश किया और उसे आरंभ किया। यदि विचाराधीन उत्पाद का एक प्रमुख घरेलू उत्पादक घरेलू मांग को पूरा करने के लिए नया संयंत्र स्थापित करने में निवेश कर रहा है तो यह अनुपयुक्त है कि चीन से आयात विद्यमान पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने के बाद भारतीय बाजार में बढ़ें। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने उसे दर्शाने के लिए कोई दमदार साक्ष्य नहीं दिया है। संदर्भ ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मूल के अथवा वहां से निर्यातित व्हाइट सीमेंट के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच का दिया गया है जिसमें प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया था कि उत्पादक के पास अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता का सुझाव देने के लिए कुछ नहीं था जिसका लदान शुल्कों को हटाए जाने की स्थिति में भारत को पाटित आयातों पर किया जा सके।
- च. केवल इसलिए कि क्योंकि निर्यातक देश निर्यातोन्मुख हैं, स्वतः नहीं माना जाता कि ये निर्यात आवश्यक रूप से पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने पर भारत को भेजे जाएंगे।
- छ. यहां तक कि यदि संभावना है, प्राधिकारी ने विस्तार से इंकार किया है क्योंकि घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति सुदृढ़ थी और उसमें सुधार हुआ था, संदर्भ चीन जन. गण., चीनी ताइपेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नायलॉन फिलामेंट यार्न के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की निर्णायक समीक्षा जांच का दिया गया है जिसमें प्राधिकारी ने यह पाया कि पाटनरोधी शुल्क पिछले 11 वर्षों से लागू रहा है और इससे अपेक्षित प्रयोजन सिद्ध हुआ है।

### ब.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

107. प्राधिकारी की जानकारी में लाए गए सभी कारकों की यह निर्धारित करने के लिए जांच की गई है कि क्या शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, प्राधिकारी ने पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सूचनाओं पर विचार किया है।
108. प्राधिकारी ने धारा 9क(5) में उल्लिखित अपेक्षा, नियम 23 और नियमावली के अनुबंध-II(vii) के संदर्भ में वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकार्ड में लाए गए अन्य संगत कारकों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना की जांच की है। वर्तमान जांच चीन जन. गण. और रूस से संबद्ध सामानों पर पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे यह निर्धारित करें कि क्या पाटनरोधी शुल्क निरंतर लगाया जाना आवश्यक है। इसमें इस बात पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है कि क्या लगाये गये शुल्क से क्षतिकारक पाटन समाप्त करने का प्रत्याशित प्रयोजन पूरा हो रहा है। ऐसा संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशेष सिद्धांत उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ उन कारकों का प्रावधान है जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, यथा:-
  - (i) पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना दर्शाते हुए भारत को पाटित आयातों की काफी वृद्धि दर।
  - (ii) कोई अतिरिक्त निर्यात खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजारों को काफी बढ़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना दर्शाने वाली निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, अथवा आसन्न, काफी वृद्धि।

(iii) क्या आयात उन कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर काफी न्यूनीकरण अथवा हासमान प्रभाव होगा और जिनसे और आयात के लिए मांग में वृद्धि की संभावना होगी; और

(iv) जांच की जा रही वस्तु की मालसूची।

**i. सतत् एवं विद्यमान पाटन और क्षति**

109. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद काफी रहे हैं। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक है और इस प्रकार संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पाटन जारी है। यह भी देखा जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए बिना ये आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं और इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क बंद करने से सकारात्मक कीमत कटौती देखे जाने की संभावना है। रूस से संबद्ध सामानों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की एनआईपी से कम कीमत पर हैं।

**ii. संबद्ध देश में अधिशेष क्षमताएं**

110. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सूचना का सार निम्नलिखित रूप में किया है:

| चीन जन. गण.                                     |       |                  |
|-------------------------------------------------|-------|------------------|
| विवरण                                           | 2018  | 2023 पूर्वानुमान |
| क्षमता केटी                                     | 7,700 | 9,100            |
| मांग केटी                                       | 5,020 | 5,900            |
| अधिशेष क्षमताएं केटी                            | 2,680 | 3,200            |
| भारतीय मांग केटी                                | 824   |                  |
| भारतीय मांग के प्रतिशत के रूप में अधिशेष क्षमता | 325   |                  |

| रूस                                             |      |                  |
|-------------------------------------------------|------|------------------|
| विवरण                                           | 2018 | 2023 पूर्वानुमान |
| क्षमता केटी                                     | 1033 | 1153             |
| मांग केटी                                       | 300  | 350              |
| अधिशेष क्षमताएं केटी                            | 733  | 803              |
| भारतीय मांग केटी                                | 824  |                  |
| भारतीय मांग के प्रतिशत के रूप में अधिशेष क्षमता | 89   |                  |

नॉच कंसल्टिंग - कार्बन ब्लैक वर्ल्ड बुक 2019

111. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों में निर्यातकों की चीन और रूस में क्रमशः 25 प्रतिशत और 9 प्रतिशत तक की क्षमताएं अनुपयुक्त क्षमताएं हैं।

| चीन जन. गण.                                        |       |                  |
|----------------------------------------------------|-------|------------------|
| विवरण                                              | 2018  | 2023 पूर्वानुमान |
| क्षमता केटी                                        | 7,700 | 9,100            |
| उत्पादन केटी                                       | 5,806 | 7,000            |
| अप्रयुक्त क्षमताएं केटी                            | 1894  | 2100             |
| भारतीय मांग केटी                                   | 824   | 824              |
| भारतीय मांग के प्रतिशत के रूप में अप्रयुक्त क्षमता | 230   | 230              |

| रूस                                                |      |                  |
|----------------------------------------------------|------|------------------|
| विवरण                                              | 2018 | 2023 पूर्वानुमान |
| क्षमता केटी                                        | 1033 | 1153             |
| उत्पादन केटी                                       | 1042 | 1050             |
| अप्रयुक्त क्षमताएं केटी                            | -    | 103              |
| भारतीय मांग केटी                                   | 824  |                  |
| भारतीय मांग के प्रतिशत के रूप में अप्रयुक्त क्षमता | -    |                  |

112. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं और उपर्युक्त अधिशेष क्षमताएं पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में भारत को भेजी जा सकती हैं।

|                                                   | 2018  |      |
|---------------------------------------------------|-------|------|
| चीन                                               | चीन   | रूस  |
| उत्पादन केटी                                      | 5,806 | 1153 |
| निर्यात केटी                                      | 880   | 555  |
| निर्यात %                                         | 15%   | 48%  |
| भारतीय मांग केटी                                  | 824   | 824  |
| भारतीय मांग के प्रतिशत के रूप में वर्तमान निर्यात | 107   | 67   |

नॉच कंसल्टिंग - कार्बन ब्लैक वर्ल्ड बुक 2019

### iii. कीमत कटौती और बाजार के रूप में भारत की आकर्षकता

113. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान कीमत कटौती सकारात्मक है और इस प्रकार वर्तमान में लागू पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने से गहन पाटन होने की संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को बिक्री की कम मात्रा, कम बिक्री कीमत और लाभ में गिरावट के रूप में क्षति होगी।

114. प्राधिकारी के लिए यह सिद्ध करना अपेक्षित है कि घरेलू बाजार अर्थात् भारत में विद्यमान कीमत तीसरे देशों को निर्यातित मात्रा की दिशा बदलने के लिए निर्यातक के लिए आकर्षक है। यह नोट किया जाता है कि आयातों का पहुँच मूल्य जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत से कम है।
115. आवेदक ने दावा किया है कि कीमत कटौती पर विचार करते हुए यदि भारतीय उत्पादक कीमत कटौती की राशि (पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में) तक कीमतें कम करते हैं तो भारतीय उत्पादकों को वित्तीय हानियाँ और निवेश पर नकारात्मक आय होगी।

**iv. संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा आगे विस्तार**

116. रिकार्ड के साक्ष्य दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों में उत्पादक पहले से ही विद्यमान अधिशेष क्षमताओं के बावजूद अपनी क्षमताओं का और अधिक विस्तार कर रहे हैं।

| स्थान                             | क्षमता (केटीपीवाई) | अनुसूचित |
|-----------------------------------|--------------------|----------|
| वोलोग्राड (रूस)                   | 40                 | 2020     |
| ओएमएसके (रूस)                     | 40                 | 2021     |
| जिनेंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी (चीन) | 480                | 2020     |
| बिरला कार्बन (चीन)                | 120                | 2021     |

नॉच कंसल्टिंग - कार्बन ब्लैक वर्ल्ड बुक 2019

**ट. प्रकटन पश्चात टिप्पणियाँ**

117. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात के अनुरोध प्राप्त हुए हैं, इनकी निम्नानुसार जाँच की गई है :-

**ट.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध**

118. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

- क. यद्यपि, प्राधिकारी ने तिमाहीवार आधार पर पाटन और क्षति मार्जिन निर्धारित किया है, तथापि, उसका प्रकटन नहीं किया गया है। तिमाही आधार पर केवल लाभ, नकद लाभ और आर ओ आई का प्रकटन हुआ है।
- ख. क्षति मार्जिन को ग्रेड-वार और तिमाही वार भी निर्धारित करना चाहिए जैसे उत्पादन लागत में भारी अंतर को देखते हुए पाटन मार्जिन की गणना की गई है और परिणामस्वरूप क्षति अवधि में बिक्री कीमत और जाँच अवधि के भीतर तथा विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों के भीतर परिकलन हुआ है।
- ग. तिमाहीवार विश्लेषण के संबंध में चीन के लिए जाँच अवधि की पहली और आखिरी तिमाही में क्षति मार्जिन सकारात्मक रहा है जिससे सिद्ध होता है कि चीन से आयातों की क्षतिकारी कीमत पर भारत में प्रवेश करने की संभावना है।
- घ. तिमाहीवार क्षति विश्लेषण के बारे में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में जाँच अवधि की चौथी तिमाही में गिरावट आई और वह घाटे में बदल गई।
- ड. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ाना आवश्यक है।
- च. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण निरंतर पाटन और क्षति हुई है। घरेलू उद्योग को किसी अन्य ज्ञात कारक की वजह से क्षति होने या क्षति होने की संभावना नहीं है।
- छ. रूस और चीन से आयात क्षतिकारी कीमत पर हैं अर्थात् जाँच अवधि के दौरान ये घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम पर हुए हैं।
- ज. याचिकाकर्ता की चिंता केवल क्षतिकारी निर्यातों के विरुद्ध है और इसलिए कीमत कटौती को उन आयात सौदों पर विचार करते हुए ही निर्धारित किया जाना चाहिए जिनकी पहुँच कीमत क्षतिरहित कीमत से

कम है। घरेलू उद्योग ने ब्राजील से मेलिएबल कास्ट आयरन ट्यूब या पाइप फिटिंग पर ईसी-पाटनरोधी शुल्क मामले में डब्ल्यू टी ओ पैनल के निर्णय पर भरोसा किया है और अनुरोध किया है कि क्षति मार्जिन की गणना के लिए उस सिद्धांत को भी लागू किया जाए। कोठारी शुगर एंड कैमिकल्स लिमि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट के आदेश का भी उल्लेख किया गया था, जिसमें क्षति मार्जिन की गणना हेतु एनआईपी से अधिक के सौदों पर विचार करने की अनुमति दी गई थी। अतः पाटन और क्षति मार्जिन का निर्धारण केवल क्षतिकारी सौदों और घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती करने वाले सौदों के अनुसार किया जाना चाहिए।

- झ. पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना है।
- ञ. प्राधिकारी से पाटनरोधी शुल्क को उसी रूप में और अम.डॉ. के अनुसार जारी रखने का अनुरोध किया जाता है।

## ट.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

119. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नानुसार अनुरोध किए गए हैं :-

- क. मौजूदा बाजारों से निर्यात मात्राओं को भारतीय बाजारों में भेजने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि पीसीबीएल ने स्वीकार किया है कि चीन की कीमतें अब प्रतिस्पर्धी नहीं हैं और यह कि घरेलू उद्योग के पास महंगे कार्बन ब्लैक ऑयल (सीबीओ) के विरुद्ध इनपुट के रूप में कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक (सीबीएफएस) के प्रयोग का लागत लाभ है।
- ख. जनवरी, 2018 की ईडलवाइज रिपोर्ट में प्रदत्त आंकड़े दर्शाते हैं कि चीन के पास विश्व के अन्य हिस्सों में पर्याप्त बाजार है और उसे भारत भेजने का प्रश्न नहीं उठता है। केवल घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों पर संभावना विश्लेषण के प्रयोजनार्थ पर्याप्त कारणों के बिना भरोसा करना और वह भी तब जब हितबद्ध पक्षकारों ने भी आंकड़े दिए हैं, वस्तुनिष्ठ आकलन और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार नहीं माना जा सकता है।
- ग. बाजार की कीमत आकर्षकता कम कीमत पर बिक्री पर आधारित होनी चाहिए और न कि कीमत कटौती पर। भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता के मूल्यांकन में कीमत कटौती मार्जिन पर विचार करना क्षति विश्लेषण की पुनरावृत्ति की संभावना को विकृत कर देता है।
- घ. सकारात्मक कीमत कटौती पाटन के कारण क्षति निर्धारित नहीं करती है। घरेलू उद्योग को कीमत क्षति विश्लेषण की सही पद्धति पहुंच कीमत के साथ एनआईपी की तुलना है।
- ड. प्रकटन विवरण में ऋणात्मक क्षति मार्जिन का अर्थ है कि चीन से पीयूसी का पहुंच मूल्य अधिक है और घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति नहीं हो रही है। इसका यह भी अर्थ है कि यदि यह मान भी लें कि निर्यात भारत को भेजे गए, फिर भी पहुंच मूल्य एनआईपी से उच्चतर होगा और भारत कीमत आकर्षक बाजार नहीं होगा।
- च. इस निर्धारण में यह निर्णय कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए अथवा नहीं, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री से अधिक संगत कारक है। प्राधिकारी यह चर्चा करने में विफल रहे हैं कि चीन से पीयूसी की पहुंच कीमत एनआईपी से अधिक होने पर भी कीमत कटौती संभावना विश्लेषण हेतु कैसे संगत है।
- छ. प्रकटन विवरण में संभावना विश्लेषण काफी विकृत है और इसमें भारतीय एडी नियमावली के अनुबंध-II के पैराग्राफ (vii) के अंतर्गत विधिक अपेक्षाओं पर विचार नहीं किया गया है जैसे पाटित आयातों और पीयूसी की मालसूची में वृद्धि की अधिक दर आदि। चीन जन.गण, यूरोपीय संघ, कीनियां, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा ऐश के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच का उल्लेख किया गया है जिसमें यह देखा गया था कि निर्णायक समीक्षा में कीमत कटौती एकमात्र निर्धारक कारक नहीं है और सभी अन्य कारकों की समग्र रूप से जांच की जानी चाहिए।
- ज. प्राधिकारी ने इस बात की भी जांच नहीं की है कि क्या घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में विशेष ग्रेड सीबीएचपी 11007 का उत्पादन और आपूर्ति की है। चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से इस ग्रेड के

आयात असंगत हैं और ऐसे किसी उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जा सकता जो घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित न हो।

- झ. प्रयोक्ता एसोसिएशन का अनुरोध घरेलू उद्योग की स्थिति को चुनौती नहीं देता है बल्कि क्षति के वस्तुनिष्ठ आकलन के लिए बिरला कार्बन के क्षति और आर्थिक मापदंडों के संबंध में चिंता जताता है।
- ञ. घरेलू उद्योग द्वारा उनकी याचिका में गोपनीयता के दावों के विरुद्ध बिन्दुवार आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया है।
- ट. प्राधिकारी ने यह निर्धारण नहीं किया है कि क्या वर्तमान जांच विशेष मामले के रूप में पात्र है और वर्तमान जांच के लिए ड्राई सैल बैटरियों का मामला क्यों संगत नहीं है।
- ठ. प्राधिकारी ने यह नहीं बताया है कि जांच की प्रक्रिया के दौरान एटीएमए की सदस्य कंपनियों द्वारा प्रस्तुत उत्तर अधूरे हैं और उनमें विशिष्ट आंकड़ों संबंधी बिन्दु नहीं हैं जो उन्हें अपूर्ण करते हैं।
- ड. यद्यपि, निरंतर पाटन हो सकता है तथापि, उससे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है क्योंकि चीन के लिए क्षति मार्जिन ऋणात्मक है और रूस के लिए केवल 1-10 प्रतिशत है।
- ढ. कुल आयातों की दृष्टि से संबद्ध आयातों में गिरावट आई है और उत्पादन की दृष्टि से तथा खपत के अनुसार उनमें मामूली वृद्धि हुई है। तीसरे देशों से आयातों में आधार वर्ष से 2018-19 में 206 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और उपरोक्त वर्ष की तुलना में पी ओ आई के दौरान केवल 18 प्रतिशत की गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि बिक्री लागत में वृद्धि से अधिक है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के संकेतकों में ऋणात्मक से धनात्मक आंकड़ों तक भारी वृद्धि हुई है। काफी उच्च आधार से लाभप्रदता में मामूली गिरावट को घरेलू उद्योग को क्षति नहीं माना जा सकता है जबकि अन्य कार्य निष्पादन मापदंड सकारात्मक हैं और पहुंच मूल्य में भारी वृद्धि हुई है।
- ण. घरेलू उत्पादकों को पूंजी जुटाने में कोई कठिनाई नहीं है। घरेलू उद्योग के क्षमता विस्तार का अर्थ यह है कि उसके पास पूंजी निवेश जुटाने की पर्याप्त क्षमता है। बिड़ला कार्बन भी 2019 में 400 करोड़ का 72,000 एम.टी. ब्राउन फील्ड विस्तार कर रहा है।
- त. चीन के लिए ऋणात्मक क्षति मार्जिन का अर्थ है कि कमतर शुल्क नियम के अनुसार अनुशंसित शुल्क ऋणात्मक होगा। चीन जन.गण. के विरुद्ध पाटनरोधी जांच को समाप्त किया जाना चाहिए और शुल्क आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।
- थ. घरेलू उद्योग अपना निर्यात फोकस बढ़ा रहा है। यद्यपि, प्राधिकारी ने उल्लेख किया है कि उन्होंने केवल घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है तथापि, उन्होंने निर्धारित किया है कि घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन उसकी क्षति का कारण नहीं है।
- द. रूस का पक्ष सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन की गणनाओं की सत्यता के स्तर का आकलन नहीं कर पा रहा है। रूस के लिए सामान्य मूल्य की गणना की पद्धति को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है।
- ध. रूस की आपत्तियों से क्षति नहीं हुई है क्योंकि भारतीय घरेलू उद्योग विकास के सकारात्मक आयामों के कारण संपन्न स्थिति में है जैसा कि उसके आर्थिक मापदंडों, लाभप्रदता मापदंडों, आवेदकों के बाजार हिस्से में वृद्धि और पीओआई में रूस तथा चीन के आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट तथा मजदूरी और रोजगार में वृद्धि से स्पष्ट है।
- न. घरेलू उद्योग को क्षति अन्य कारकों की वजह से हुई है जैसे चीन अथवा तीसरे देशों से आयातों में वृद्धि परंतु इसके लिए रूस से आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है और वर्तमान जांच समाप्त करने योग्य है।
- प. आवेदक व्यापार उपचारात्मक उपायों के बावजूद घरेलू बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाए हैं अतः भारतीय कार्बन ब्लैक की गुणवत्ता और लागत विशेषताओं की जांच की जाए ताकि आवेदकों की कीमत अस्थिरता के कारण निर्धारित किए जा सकें।

### ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

120. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और यह नोट करते हैं कि अधिकांश टिप्पणियां दोहराई गई हैं जिनकी अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में पहले ही उचित जांच और पर्याप्त समाधान किया जा चुका है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणी/अनुरोध में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है।

- क. घरेलू उद्योग के इस तर्क के बारे में कि क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन को तिमाही आधार पर निर्धारित करना चाहिए, प्राधिकारी ने पहले ही क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन का तिमाहीवार विश्लेषण किया है और इन मार्जिनों के भारित औसत को इस अंतिम जांच परिणाम में संगत पैराग्राफों में दिया गया है।
- ख. प्रतिवादियों के इस तर्क के बारे में कि वर्तमान जांच में क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना का अभाव है। प्राधिकारी ने पहले ही संभावना मापदंडों का वस्तुनिष्ठ आकलन किया है और उसे सूचना के स्रोतों के साथ संगत पैराग्राफों में दर्शाया गया है।
- ग. यह तर्क दिया गया है कि अकेले अतिरिक्त क्षमता का यह आशय नहीं है कि घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना है। हालांकि यह नोट किया जाता है कि ऐसी स्थिति में जहां (क) विदेशी उत्पादकों को अतिरिक्त क्षमताओं का सामना करना पड़ा है (ख) कीमत में कटौती बिना किसी पाटनरोधी शुल्क बहुत अधिक हद तक सकारात्मक है और पाटनरोधी शुल्क के साथ यह नकारात्मक है (ग) बहुत अधिक मात्रा में निर्यात भारत और तीसरे देशों को उन कीमतों पर किए गए जो भारत में प्रचलित कीमत से कम हैं, इस बात की संभावना है कि विदेशी उत्पादक पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में भारत को अपने निर्यात में वृद्धि करेंगे। पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी में कीमत में नकारात्मक कटौती और पाटनरोधी शुल्क के वापस लिए जाने पर कीमत में सकारात्मक कटौती स्पष्ट रूप से उसी स्थिति को दर्शाता है जहां आयात किया गया उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक हो जाएगा। इसके अलावा, अतिरिक्त और उपयोग न की गई क्षमताओं का सामना करने के साथ, इस बात की संभावना है कि विदेशी उत्पादक भारत को अपने निर्यातों में वृद्धि करेंगे। इस प्रकार, अकेले अतिरिक्त क्षमता नहीं है बल्कि भारत और तीसरे देशों को निर्यात के संबंध में कीमत में सकारात्मक कटौती के साथ-साथ अतिरिक्त क्षमताओं के फलस्वरूप भी पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में आयातों में वृद्धि होगी।
- घ. जहां तक तीसरे देशों को निर्यात और व्यापार विपठन की संभावनाओं के विश्लेषण का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि ऐसी स्थिति में जहां तीसरे देशों को निर्यात भारत को जिस कीमत पर निर्यात किया गया है उसकी तुलना में कमतर कीमत पर किया गया हो और जहां भारत को निर्यात की कीमत पहले से ही भारत में प्रचलित कीमत की तुलना में कम हो, इस बात की संभावना है कि चीन के उत्पादकों को भारत में इन तीसरे देश से निर्यात के विपठन की स्थिति में अपेक्षाकृत अधिक राजस्व प्राप्त होगा।
- ड. चीन का सीमा शुल्क आंकड़ा तीसरे देशों को इस उत्पाद की बहुत अधिक मात्रा में निर्यात भारत में प्रचलित कीमत की तुलना में कम कीमत पर किया जाना दर्शाता है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातकों की प्रश्नावली के भाग-II जिसमें प्राधिकारी निर्यातकों को तीसरे देशों को अपने निर्यातों का बीजक वार ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक बनाता है, ने प्राधिकारी द्वारा एक विस्तृत आवश्यकता का निर्धारण किया गया है। सूचना का उद्देश्य पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में चीन के उत्पादकों का संभावित व्यवहार सुनिश्चित करना है। हालांकि, चीन के किसी भी उत्पादक ने प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है और इस कारण से प्राधिकारी नियम 6(8) के अनुसार वर्तमान निर्धारण करने के लिए उपलब्ध तथ्यों को लागू करने के लिए विवश है।
- च. जहां तक चीन के संयंत्रों को बंद करने और चीन में क्षमता में गिरावट के तर्क का प्रश्न है, चीन के सीमा शुल्क संबंधी आंकड़ों से यह देखा जाता है कि चीन के निर्यातों की वास्तविक मात्रा ने बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाई है।
- छ. जहां तक बिरला कार्बन द्वारा क्षमता में वृद्धि का प्रश्न है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि केवल यह तथ्य कि बिरला कार्बन चीन में क्षमता में वृद्धि कर रहा है, का आशय यह नहीं है कि चीन के उत्पादकों को अतिरिक्त क्षमता का सामना करना पड़ा है। हितबद्ध पक्षकार चीन में अतिरिक्त क्षमताओं का न होना

दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हुए हैं। यह भी जोड़ा जाता है कि अपेक्षित रूप में और तरीके से संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए उन्हें भेजे गए पत्र के बावजूद, बिरला कार्बन ने प्राधिकारी को इस सूचना के साथ उत्तर नहीं दिया है।

- ज. जहां तक इस तर्क का प्रश्न है कि कीमत आकर्षकता का निर्धारण क्षति मार्जिन पर विचार करते हुए और न कि कीमत में कटौती पर विचार करते हुए किया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कीमत आकर्षकता का निर्धारण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है कि क्या विदेशी उत्पादक भारतीय बाजार में बेहतर कीमत प्राप्त करने में सक्षम होंगे। भारतीय बाजार की आकर्षकता उस कीमत से नियंत्रित होती है जिस पर भारतीय उत्पादक इस उत्पाद की बिक्री कर रहे हैं और घरेलू उद्योग के एनआईपी से यह नियंत्रित नहीं होता है। एनआईपी के निर्धारण का उद्देश्य क्षति की मार्जिन की मात्रा बताना और न कि इस बारे में निर्णय लेना है कि क्या विदेशी उत्पादक को भारतीय बाजार में आकर्षक कीमत मिलेगी। यदि भारतीय उद्योग की बिक्री कीमत उस कीमत से अधिक हो, जिस पर चीन के उत्पादक भारतीय बाजार अथवा तीसरे देश के बाजारों में बिक्री कर रहे हैं, यह माना जाता है कि चीन के उत्पादक पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में भारतीय बाजार को आकर्षक पाएंगे।
- झ. इस तर्क के संबंध में कि हितवद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, यह नोट किया जाता है कि वास्तव में घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन जांच की अवधि में बहुत अधिक गिरावट को दर्शाया है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि यदि घरेलू उद्योग आयात कीमत पर बिक्री करते हैं तब इसे वित्तीय हानि होगी। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग आयात कीमत के अनुरूप कीमत पर इस उत्पाद की बिक्री करने की स्थिति में लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं होंगे। इस प्रकार से प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन कमजोर है।

#### लाभ/हानि – संभावना

| विवरण                 | इकाई      | जांच की अवधि | जांच की अवधि- प्रथम तिमाही | जांच की अवधि- द्वितीय तिमाही | जांच की अवधि- तृतीय तिमाही | जांच की अवधि – चौथी तिमाही |
|-----------------------|-----------|--------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| बिक्री की लागत        | रु./मी.टन | ***          | ***                        | ***                          | ***                        | ***                        |
| प्रवृत्ति             |           | 140          | 149                        | 146                          | 135                        | 128                        |
| संभावित बिक्री कीमत   | रु./मी.टन | ***          | ***                        | ***                          | ***                        | ***                        |
| प्रवृत्ति             |           | 146          | 151                        | 155                          | 143                        | 130                        |
| लाभ/(हानि) प्रति इकाई | रु./मी.टन | ***          | ***                        | ***                          | ***                        | ***                        |
| प्रवृत्ति             |           | -73          | -132                       | -49                          | -49                        | -108                       |
| लाभ/हानि              | रु./लाख   | ***          | ***                        | ***                          | ***                        | ***                        |
| प्रवृत्ति             |           | -68          | -132                       | -43                          | -44                        | -97                        |
| नकद लाभ               | रु./लाख   | ***          | ***                        | ***                          | ***                        | ***                        |
| प्रवृत्ति             |           | -47          | -127                       | -14                          | -19                        | -85                        |
| लगाई गई पूंजी पर लाभ  | %         | ***          | ***                        | ***                          | ***                        | ***                        |
| प्रवृत्ति             |           | -74          | -182                       | -38                          | -42                        | -130                       |

- ज. हितबद्ध पक्षकारों ने कोठारी सुगर्स के मामले में सेस्टैट के निर्णय का हवाला दिया है। हालांकि प्राधिकारी यह मानते हैं कि कोठारी सुगर्स के मामले में सेस्टैट का निर्णय वास्तव में यह दर्शाता है कि यदि आयात एनआईपी से कम और उससे अधिक कीमत पर हो रहे हैं तब यह केवल एनआईपी से कम पर आयात है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति होती है और इन आयातों पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार से, हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत, कोठारी सुगर्स के मामले में सेस्टैट का निर्णय यह दर्शाता है कि औसत क्षति मार्जिन भ्रामक है और यह केवल क्षतिकारक आयात है जो इस तथ्य के बारे में निर्णय लेने के लिए संगत है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। इस मामले में, यह ध्यान दिया जाता है कि भारत में उन विषयों से महत्वपूर्ण मात्रा में सामान आयात होता है जो घरेलू उद्योग के एनआईपी से नीचे हैं। यह भी ध्यान दिया जाता है कि घरेलू उद्योग के एनआईपी से कम कीमत पर विषय वस्तुओं का महत्वपूर्ण मात्रा विषय देशों से दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है।
- ट. इस तर्क के बारे में कि इस प्रकार कीमत कटौती पाटन के कारण क्षति निर्धारित नहीं करती है, यह नोट किया गया है कि सकारात्मक कीमत कटौती घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना का एक संकेतक है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर एडीडी को समाप्त किया जाए अथवा नहीं। कीमत क्षति और कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन से संबंधित अन्य मापदंडों के बारे में प्राधिकारी ने कीमत संबंधी सभी मापदंडों का वस्तुनिष्ठ आकलन किया है और तत्पश्चात किए गए निर्धारण संगत पैराग्राफों में रिकॉर्ड किए गए हैं।
- ठ. इस तर्क के बारे में कि घरेलू उद्योग को क्षति अन्य कारकों की वजह से हुई है, प्राधिकारी ने ऐसे अन्य कारकों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया है जिनसे आयातों से इतर घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो और इसके निर्धारण को इस अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराग्राफों में दिया गया है।

### ठ. भारतीय उद्योग के हित

121. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना होता है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध देश/क्षेत्र से आयात किसी भी प्रकार प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
122. ऐसा माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने से संबद्ध वस्तु के प्रयोग से विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामस्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, चूंकि पाटनरोधी उपाय से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी, विशेष रूप से यदि पाटनरोधी शुल्क की राशि घरेलू उद्योग को हुई क्षति की भरपाई की राशि तक सीमित हो। इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लगाने से पाटन की प्रथाओं द्वारा अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट पर रोक लगेगी और उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

### निष्कर्ष तथा सिफारिशें

123. प्राधिकारी के समक्ष दिए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और किये गये अनुरोधों और इन जांच परिणामों में रिकार्ड किये गये अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि :
- क. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का निरंतर पाटन जारी है और शुल्क समाप्त होने की स्थिति में आयातों का पाटन कीमत पर भारतीय बाजार में प्रवेश होने की संभावना है।
- ख. यद्यपि, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में आधार वर्ष से 2017-18 तक सुधार हुआ है तथापि, पी ओ आई के दौरान उसमें गिरावट आई है और घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण संवेदनशील बना हुआ है।

- ग. रिकॉर्ड में सूचना इस स्तर पर लागू पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना दर्शाती है।
124. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच की शुरुआत की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबद्ध के पहलू पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए समुचित अवसर दिया गया था।
125. इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त होता है तो पाटन और क्षति की संभावना के सकारात्मक साक्ष्य हैं, प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को आगे जारी रखना अपेक्षित है। ऊपर यथासिद्ध मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस जांच में संबद्ध देशों के किसी भी निर्माता और निर्यातक का कोई सहयोग नहीं था, निर्दिष्ट प्राधिकारी चीन जन.गण. और रूस से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की समयावधि बढ़ाने की सिफारिश करना उचित समझते हैं जो पिछले निर्णायक समीक्षा जांच परिणाम के दौरान निर्धारित की गई अन्य दर / अवशिष्ट दर के अनुसार है। तदनुसार, संबद्ध देशों से पाटनरोधी शुल्क को यथा विनिर्दिष्ट रूप से नीचे शुल्क तालिका के अनुसार अनुशंसित किया जाता है। इस प्रकार प्राधिकारी नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को आगे और पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

### शुल्क तालिका

| क्र.सं. | उप-शीर्षक | वस्तुओं का विवरण                            | उद्गम का देश                     | निर्यातक देश            | उत्पादक | राशि  | माप की इकाई | मुद्रा |
|---------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------|-------|-------------|--------|
| 1       | 2         | 3                                           | 4                                | 5                       | 6       | 7     | 8           | 9      |
| 1       | 28030010  | रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक* | चीन जन.गण.                       | चीन जन.गण. सहित कोई देश | कोई     | 494.0 | मी.ट.       | अम.डॉ. |
| 2       | - वही -   | - वही -                                     | संबद्ध देश से इतर कोई अन्य देश   | चीन जन.गण.              | कोई     | 494.0 | मी.ट.       | अम.डॉ. |
| 3       | - वही -   | - वही -                                     | रूस                              | रूस सहित कोई देश        | कोई     | 36.17 | मी.ट.       | अम.डॉ. |
| 4       | - वही -   | - वही -                                     | संबद्ध देश से इतर से इतर कोई देश | रूस                     | कोई     | 36.17 | मी.ट.       | अम.डॉ. |

\* नोट : सेमी कंडक्टिंग कंपाउंड अनुप्रयोगों के लिए लक्षित थर्मल ब्लैक और कार्बन ब्लैक ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

126. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमाशुल्क शामिल होंगे।
127. इस सिफारिश के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जायेगी।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**New Delhi, the 22<sup>nd</sup> December, 2020**Final Findings****Case No. AD-SSR-10/2020**

**Subject: - Sunset Review investigation concerning imports of “Carbon Black used in Rubber Applications” originating in or exported from China PR and Russia- Final Findings**

**F. No. 7/15/2020-DGTR** - Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended (hereinafter referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred as the Anti-Dumping Rules or Rules) as amended from time to time.

1. M/s Carbon Black Manufacturers Association (CBMA) (hereinafter referred to “Applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), on behalf of the domestic producers namely, Phillips Carbon Black Limited, Himadri Speciality Chemicals Limited, Continental Carbon India Limited and Birla Carbon India Private Limited, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Rules”), for sunset review of Anti-Dumping duty imposed on imports of “Carbon Black used in Rubber applications” (hereinafter referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from China PR and Russia (hereinafter referred to as the “subject countries”). The domestic producers namely, Phillips Carbon Black Limited; Himadri Speciality Chemicals Limited and Continental Carbon India Limited (hereinafter referred to as “Participating Companies”) have provided the prescribed information in the Application.
2. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide Notification No. 7/15/2020-DGTR dated 20<sup>th</sup> May, 2020, published in the Gazette of India, initiating the sunset review investigation in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Anti-Dumping Rules to review the need for continued imposition of the anti-dumping duty in respect of the subject goods, originating in or exported from China PR and Russia, and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

**A. BACKGROUND OF THE CASE**

3. The original investigation concerning imports of the subject goods from Australia, China PR, Iran, Malaysia, Russia and Thailand was initiated by the Authority vide Notification No. 14/21/2008-DGAD dated 26<sup>th</sup> December, 2008. The provisional anti-dumping duties were recommended vide Notification No. 14/21/2008-DGAD dated 25<sup>th</sup> May, 2009 on subject goods, originating in or exported from Australia, China PR, Russia and Thailand, and the same were imposed vide Notification No. 83/2009-Customs dated 30<sup>th</sup> July, 2009. Thereafter, definitive anti-dumping duties were recommended vide Notification No. 14/21/2008- DGAD dated 24<sup>th</sup> December, 2009 and the same were imposed vide Notification No.6/20 I O-Customs dated 28<sup>th</sup> January, 2010.
4. The Authority initiated a mid-term review (MTR) investigation on subject goods, originating in or exported from Australia, China PR, Russia and Thailand vide Notification No. 15/41/2010-DGAD dated 30<sup>th</sup> August, 2011 and recommended continued imposition of the anti-dumping duties vide notification No. 15/41/2010-DGAD dated 28<sup>th</sup> February, 2013 which were imposed vide Notification No. 9/2013-Customs (ADD) dated 26<sup>th</sup> April, 2013.
5. A Sunset Review (SSR) investigation was initiated vide Notification No. 15/8/2014-DGAD dated 15<sup>th</sup> July, 2014 in respect of the subject goods, originating in or exported from the China PR, Russia and Thailand, and the extension of anti-dumping duties was recommended vide Notification No. 15/8/2014-DGAD dated 1<sup>st</sup> October, 2015 in respect of the subject goods, originating in or exported from China PR and Russia, and the same were imposed vide Notification No. 54/2015-Customs (ADD) dated 18<sup>th</sup> November, 2015.
6. In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act and in pursuance of Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Central Government vide Notification No. 34/2020-Customs (ADD) dated 9<sup>th</sup> November, 2020 extended the Anti-dumping duties till 31<sup>st</sup> December, 2020.

**B. PROCEDURE**

7. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:
- a. The Authority issued a public notice dated 20<sup>th</sup> May, 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating sunset review investigation concerning import of subject goods from the subject countries.
  - b. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 20<sup>th</sup> May, 2020, to the Embassy of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, known importers, importer/user Associations and other interested parties, as per the addresses made available by the Applicant. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.
  - c. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules.
  - d. The Embassy of the subject countries in India was also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to it along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
  - e. The Authority, upon request made by the interested parties, granted extension of time to the interested parties to file their Questionnaire Responses vide communication dated 1<sup>st</sup> July, 2020. Additional time was extended up to 22<sup>nd</sup> July, 2020.
  - f. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
    - i. Hebei Daguangming Industry Group
    - ii. Shanghai Kargos International
    - iii. Hebei jing country xinyuan rubber chemical Co. Ltd.
    - iv. Hebei Yonghui Chemical Industries Import and Export Co., Ltd.
    - v. Gansu Jinshi Chemical Co., Ltd
    - vi. Shandong Shuangyan Chemical Co., Ltd
    - vii. Weifang Longzhou Industry and Commerce Co., Ltd.
    - viii. Laiwu Taishan Carbon Black Co., Ltd
    - ix. Qichang Chemical Co., Ltd
    - x. Jiangxi Black Cat Carbon Black Co., Ltd
    - xi. Suzhou Boahua Carbon
    - xii. Tianjin Dolphin Carbon Black Ltd.
    - xiii. Omsktechuglerod OJSC
    - xiv. Amtel Holding Company
    - xv. Severgazprom
    - xvi. Nizhnekamsk
    - xvii. Yaroslavltekhnuglerod
  - g. In response to the initiation notification, none of the other exporters/ producers have responded or submitted exporter's questionnaire responses. Omsk Group, Russia filed a letter of participation.
  - h. The Authority sent questionnaires to the following known importers and users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
    - i. M/s JK Tyre and Industries Limited
    - ii. M/s Birla Tyres Limited
    - iii. M/s Apollo Tyres Limited
    - iv. M/s CEAT Limited

- v. M/s MRF Limited
- vi. M/s Ralson (India) Limited
- vii. M/s Poddar Tyres Limited
- viii. M/s Oriental Rubber Industries Private Limited
- ix. M/s Hindustan Rubber Industries
- x. M/s Agarwal Rubber Limited
- xi. M/s Phoenix Yule Limited
- xii. M/s Monotona Tyres Limited
- xiii. M/s TVS Srichakra Limited
- xiv. M/s Ahuja Continental Private Limited
- xv. M/s Midas Rubber Private Limited
- xvi. M/s Tolins Tyres Private Limited
- xvii. M/s TM Tyres Limited
- xviii. M/s Hartex Rubber Private Limited
- i. The following users have responded or submitted importer/user questionnaire responses:
  - i. M/s JK Tyre and Industries Limited
  - ii. M/s Apollo Tyres Limited
  - iii. M/s CEAT Limited
  - iv. M/s MRF Limited
- j. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 20<sup>th</sup> May, 2020 to the following known Associations of the subject goods in India:
  - i. Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA)
- k. In response to the initiation notification, Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA) registered itself as an interested party, and have filed legal submissions. All India Rubber Industries Association (AIRIA) registered itself as an interested parties but did not file any information or submissions.
- l. Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- m. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1<sup>st</sup> April, 2019 to 31<sup>st</sup> March, 2020 (12 months). The injury examination period has however been considered as the period from 1<sup>st</sup> April 2016-31<sup>st</sup> March 2017, 1<sup>st</sup> April 2017-31<sup>st</sup> March 2018, 1<sup>st</sup> April 2018-31<sup>st</sup> March, 2019 and the period of investigation.
- n. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigation, which has been received by the Authority. The Authority has relied upon DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- o. The non-injurious price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the cost of production and reasonable profits the subject goods in India, having regard to the information furnished by the domestic industry in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules, has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- p. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 9<sup>th</sup> November, 2020. All the parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions, followed by rejoinders, if any.
- q. In accordance with the Rules the Authority disclosed the essential facts of the case that would form the basis of its findings in the form of a disclosure statement on 09.12.2020 and the interested parties were

allowed time up-to 15.12.2020 to comment on the same. The comments of the interested parties, to the extent relevant, have been considered by the Authority and have been addressed in this finding.

- r. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this final finding.
- s. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- t. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the disclosure statement on the basis of the facts available.
- u. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- v. ‘\*\*\*’ in this final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- w. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$= 71.65.

## **C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC) AND LIKE ARTICLE**

### **C.1 Submissions of the domestic industry**

- 8. The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:
  - a. The product under consideration is ‘Carbon Black used in rubber applications’.
  - b. Since the present investigation is a sunset review investigation, the PUC remains the same as defined in the previously conducted investigation. Further, no significant developments have taken place over the period. Therefore, the Applicants have referred to and relied upon the previous investigation with regard to the PUC.
  - c. Further, the present Application is for SSR investigation for continued imposition of ADD. The issue of like article has been examined by the Authority in the original investigation as well. Therefore, the Applicants have submitted that product imported from subject country is like article to product produced by the Domestic Industry.
  - d. In response to the contention of the respondent regarding the exclusion of Speciality grade CB HP 1107 from scope of PUC, the domestic industry has submitted that no evidence to established that the Domestic industry is not manufacturing like article to CB HP 1107 has been provided. This particular type of the product is not even imported from China and this is the grade produced and exported from Korea.

### **C.2 Submissions of other interested parties**

- 9. The submissions made by the other interested parties with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:
  - a. Speciality grade CB HP 1107 is to be excluded from the scope of PUC as domestic industry is not a domestic producer nor are the grades produced by the domestic industry substitutable for the speciality grade. Further, domestic industry had agreed to the exclusion of grades which the domestic industry does not manufacture during the oral hearing.

### **C.3 Examination by the Authority**

- 10. The product under consideration in the present sunset review investigation is the same as defined in the original investigation and subsequent sunset review investigation, i.e., “Carbon Black used in Rubber Applications”. As per the original investigation and first sunset review investigation carried out by the Designated Authority earlier, the product has been defined as under:

*“5. The product under consideration is ‘Carbon Black used in rubber applications’. It is an inorganic chemical used in production/ processing of rubber (including tyres), as reinforcing filler. Carbon Black is also known as acetylene black, channel black, furnace black, lampblack, thermal black, and noir de carbone. Carbon black can be divided into two categories – rubber and non-rubber applications Carbon black. Carbon black for rubber applications is the Carbon black that is used in production/ processing of rubber (including tyres), as a reinforcing filler. The present investigation is in respect of Carbon black used in rubber applications. Carbon black used in non-rubber applications, such as inks in copiers and computer printer cartridges, paints, crayons and polishes, is not within the scope of the present investigation.*

*6. The subject goods fall under Chapter 28 of the Act under subheading no. 28030010. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.”*

11. The present investigation, being a sunset review investigation, the product under consideration remains the same as in the previously conducted investigation.
12. As regards exclusion of speciality grade CB HP 1107, the Authority notes that the opposing interested parties have not provided any evidence or sufficient justification for exclusion of the product type. The Authority examined the import data and found that this grade has been imported from Korea RP. Further, the web search undertaken also shows that the grade pertains to some Korean producer. Since the grade has not been imported from China, nor any evidence shown that it is produced in China, the Authority considers that its exclusion is not appropriate.
13. The subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. In view of the same, the Authority holds that the product manufactured by the Applicant constitutes like article to the subject goods being imported into India from the subject country.
14. In view of the information filed by various interested parties and information on record, the scope of the product under consideration in the present review investigation remains the same as that in the original investigation

#### **D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY& STANDING**

##### **D.1 Submissions of the domestic industry**

15. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing:
  - a. The production of applicant companies, namely, Phillips Carbon Black Limited, Himadri Speciality Chemicals Limited and Continental Carbon India Limited constitute a major proportion in Indian production.
  - b. The Applicant has not imported the subject goods in the period of investigation from the subject countries. The Applicant is not related to any exporters in the subject countries or importers of the subject goods in India.
  - c. There are 4 members of the association, who produce the product under consideration for sale in the market.
  - d. There are 2 producers of the product under consideration, who produce the product under consideration as a backward integration for production of their product. Being captive producers, they should not be considered for establishing standing, demand and injury to the domestic industry.
  - e. Birla Carbon has an affiliate in Korea who has exported the product under consideration to India. The applicant is filing a petition separately seeking imposition of ADD on imports from Korea. Birla Carbon will be an ineligible domestic industry in that application. It would be appropriate to keep the same scope of the domestic industry in the two petitions.
  - f. As regards the respondent’s contention regarding the exclusion of Birla Carbon, the domestic industry submitted that the petition filed by Phillips Carbon Black Limited, Himadri Speciality Chemicals Limited and Continental Carbon India Limited constitute major proportion in the total Indian production and the application satisfies criteria of standing. ATMA has always argued for exclusion of Birla Carbon (formerly known as Hi-Tech Carbon) from scope of domestic industry in previous investigations, and in the present investigation, it is arguing for its inclusion. ATMA seems to have issues no matter what the constituent of domestic industry is.

**D.2 Submissions of the other interested parties**

16. The following submissions have been made by the other interested parties regarding scope and standing of domestic industry.
- a. Birla carbon has consistently been part of the domestic industry and is the second largest manufacturer of PUC in India. There is no justification to exclude Birla Carbon on the ground of quantum of imports from Korea RP, from an investigation where Korea RP is not even a subject country.
  - b. There is lack of objectivity, which is a necessary requirement for injury and likelihood analysis, since the present investigation has been allowed to proceed in the absence of Birla Carbon's representation, thereby distorting the injury and likelihood of injury analysis.

**D.3 Examination by the Authority**

17. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:
- “(b) ‘domestic industry’ means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.*
18. M/s Carbon Black Manufacturers Association (CBMA) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), on behalf of the domestic producers namely, Phillips Carbon Black Limited, Himadri Speciality Chemicals Limited, Continental Carbon India Limited and Birla Carbon India Private Limited. The participating companies namely Phillips Carbon Black Limited, Himadri Speciality Chemicals Limited, and Continental Carbon India Limited have also individually sought extension of antidumping duty and have provided the prescribed information.
19. These participating companies have stated that they have neither imported the subject goods from the subject countries nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject countries or an importer of the product under consideration in India. The production of the applicant companies constitute a major proportion in Indian production.
20. As regards non participation by Birla Carbon in the present investigation, the authority notes that the notice of initiation was published in the Gazette of India. Further, Birla Carbon was specifically requested to provide relevant information. Birla Carbon has however not provided information in the form and manner prescribed for inclusion as a domestic industry. The authority notes that in a situation where one or more domestic producers do not cooperate with the authority with relevant information, the authority is required to make a determination based on facts available. Further, rights of petitioning companies cannot be undermined only because some domestic producer has not cooperated and has not provided relevant information. Further, the interested parties have not provided any information and evidence to show that performance of Birla Carbon has been materially different from the performance of the petitioner companies.
21. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the applicant companies constitute eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3), or the Rules supra.

**E. CONFIDENTIALITY****E.1 Submissions by the domestic industry**

22. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality issues:
- a. The Applicant has submitted that user questionnaire responses filed by the interested parties to the present investigation are insufficient and not in adherence to Trade Notice No. 10/2018. They have claimed excessive confidentiality regarding vital information such as details of units linked to PUC, production process, share of user in downstream market, list of products sold, etc. sought for in the questionnaire.
  - b. The interested parties have claimed information that is freely available in the public domain as confidential. The users have also claimed complete confidentiality of responses relating to post-invoicing/ sale discounts and the possibility of switching to other sources of supply for the PUC.
  - c. The non-confidential version of the user questionnaire responses do not allow a meaningful understanding of the information that has been claimed confidential.

- d. The responses should be disregarded and the users must be declared as non-cooperative since the domestic industry is handicapped from offering comments and defending its interests in the absence of even indexed information, thereby violating principles of natural justice.
- e. As regards the contention of the respondents regarding excessive confidentiality, the domestic industry has submitted that the confidentiality claims are as per requirements of the Trade notice and that individual performance of the constituents of the domestic industry is a confidential information not amenable to summarization.
- f. In response to the contention of the respondents that confidentiality has been claimed for third party documents, the domestic industry submitted that the DGCI&S data and third party report have been procured with an obligation of not disclosing the same. As regards DGCI&S data, there is a Trade Notice issued by the Authority elaborating the process for obtaining DGCI&S data, following which, the interested parties also could have procured the data.

## **E.2 Submissions by the other interested parties**

23. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality issues:
  - a. Excessive confidentiality claimed by domestic industry for parameters of capacity, production, etc. when the same is available in the public domain. Non-confidential version of petition has significant errors and confidentiality claimed for Sales Realization per unit, Inventories, Inventory as number of days of production, Inventory as number of days of sales and has not provided any data pertaining to the R&D expenses, funds raised, average industry norms. Indexed data has been provided for Sales value, Employment, Productivity per day, Inventory, Depreciation and Amortization Expenses instead of providing the aggregated data.
  - b. Confidentiality claimed for third party documents like Annexure 1.3 and Annexure 4.2. These documents are publicly available either freely or on a certain payment. Such publicly available information cannot be claimed as confidential as it abridges the right of the respondent to peruse and comment on the submissions made based on such documents.

## **E.3 Examination by the Authority**

24. Various submissions made by the Applicant as well as other interested parties during the course of the investigation with regard to confidentiality, to the extent considered relevant by the Authority, have been examined.
25. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the AD Rules provides as follows:
 

*“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”*
26. The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties and on being satisfied, allowed the claim on confidentiality. The Authority considers that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.
27. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the Applicants and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claim on confidentiality. The Authority made available to all interested parties the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7).

28. As regards disclosure of DGCI&S data, the Authority's Trade Notice No. 7/2018 dated 15<sup>th</sup> March, 2018, prescribes the procedure for collecting DGCI&S data for Domestic Industry as well as for other interested parties. The interested parties, thus, had access to procure DGCI&S data by following the procedure prescribed as per the Trade Notice and defend their interests. The Authority thus notes that the procedure now being applied is consistent, uniform across parties and investigations, equitable and provides adequate opportunity to the interested parties to defend their interests.

## **F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**

### **F.1 Submissions by the Domestic Industry**

29. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to various issues:
- All India Rubber Industries Association (AIRIA) cannot be considered as an interested party as it has not filed any submissions or relevant information after initiation of investigation nor has any of its members filed any questionnaire responses.
  - The responses provided by the users are incomplete and do not contain crucial information thereby disabling the domestic industry from offering its comments and is handicapped in defending its interests. The users have also withheld information on malafide grounds.
  - In response to the contention of the respondents that the present investigation is not a special case for extension of ADD, the domestic industry has submitted that the duty is extended by the Authority only when the legal requirements are met and the period for which the duty has been in force is irrelevant. Anti-dumping duty is meant to prevent unfair trade and not to protect the domestic industry and the domestic industry cannot be barred to approach the Designated Authority for prevention of unfair trade practice. There is justification of continued imposition of anti-dumping duty till the dumping and consequent injury exists. There is no requirement of special or exceptional circumstances for continuation of duties. The only legal requirement for continuation of duty is likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of cessation of duty. The opposing interested parties have not established how the information provided does not meet the requirement for continuation of duties.
  - As regards legal principles laid down by the Authority should be applicable in subsequent cases, it was submitted that Dry Cell Batteries was one of the exceptional cases. The domestic industry referred to Acrylic Fibre (2020) and Nylon Tyre Cord Fabric (2020) and other cases where the Authority has extended the duty to more than 10 years which further establishes the practice of the Authority.
  - As regards the contention of timely availability of PUC from domestic manufacturers, the domestic industry submitted that the user association has not provided a single incident wherein the product under consideration was not made available by domestic industry on time.

### **F.2 Submissions by the other interested parties**

30. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to various issues:
- Domestic Industry has received continuous protection for 11 years since 2009 and has not made any submissions in the petition demonstrating that the present investigation qualifies as a 'special case' for extension of anti-dumping duty. The present investigation is the second SSR and in order to recommend extension of ADD, the Authority has to come to an opinion that cessation of anti-dumping duty will lead to recurrence of dumping and injury. Therefore, present investigation must be terminated as extension is not warranted.
  - The Authority laid down a principle in the SSR investigation of the Antidumping duty on imports of 'Dry Cell Batteries' originating in or exported from China PR that anti-dumping duties will be extended beyond a period of 10 years only in 'special cases'. The differentiation that the domestic industry's counsel drew between the quantum of imports in the Dry Cell Batteries case and the present one is immaterial for applying this principle. DGTR is a quasi-judicial body with adjudicatory functions akin to that of a judicial body and therefore the legal principles laid down by the Authority should be applicable on subsequent cases before itself.
  - There are certain issues with respect to timely availability of PUC from domestic manufacturers.

### **F.3 Examination by the Authority**

31. The Authority has noted all the arguments and counter-arguments of the interested parties and has examined all aspects of the submissions made.

32. With regard to the issue of continued duty raised by the interested parties, the Authority notes that there is no bar on the number of times a sunset review can be conducted, and antidumping duty extended. The rules require the Authority to determine whether cessation of ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. It is further noted that the recommendation for extension of anti-dumping duty is made only when the requisite legal requirements are met.
33. With regard to the contention of the interested parties that they faced certain issues with timely availability of PUC, the Authority notes that the interested parties have failed to provide sufficient evidence to substantiate their claim.
34. With regard to the contention of the interested parties that the legal principles laid down by the Authority should be applicable on subsequent cases before the Authority, the Authority notes that the final determination is made in each investigation after also taking into consideration the facts and circumstances of that investigation, while giving due regard to the past determination and their relevance and applicability on the present investigations.
35. As regards incomplete responses filed by the users, the Authority has acknowledged and accepted the submissions made by the interested parties, on the basis of the facts and circumstances of the case and the practice of the Authority. It is however noted that these consumers have not filed complete questionnaire response. The Authority has made determination on the basis of facts available wherever an interested party has not provided relevant information.

#### **G. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN**

##### **G.1. Submissions of the domestic industry**

36. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to the normal value, export price and dumping margin:
  - a. For determination of normal value of Russia, efforts were made to get evidence with regard to actual transaction price of sale of subject goods in the domestic market of Russia, but since the product is produced in various grades, no evidence could be collected. Further, normal value could not be based on export price of subject countries to appropriate third country as the product under consideration does not have a dedicated customs classification and the export data included products not subject to the present investigation. Therefore, the domestic industry made efforts to get authentic evidence with regard to actual cost of production of the subject goods in the subject countries and constructed the cost of production in Russia with reasonable profits for determining the normal value.
  - b. The Designated Authority shall follow Para 1-6 of Annexure I for determination of normal value only if the responding Chinese companies establish that their costs and price information is such that individual normal value and dumping margin can be determined. If the responding Chinese companies are not able to demonstrate that their costs and price information can be adopted, the Designated Authority shall reject the claim of individual dumping margin.
  - c. In the present investigation none of the responding producers/ exporters have filed response to the Market Economy Treatment questionnaire.
  - d. For determination of normal value of China PR, the domestic industry made efforts to get evidence of the price at which the product is sold in the third country market, but since the product is produced in various grades, no evidence could be collected. Efforts were also made to collect information with regard to cost of production in other countries but there was no published information for the same. Further, since the product is sold in various grades, the normal value could not be determined by the price from third country to other country, including India. Therefore, the domestic industry has constructed the cost of production with reasonable profit margin for determination of normal value of China.
  - e. Export price has been calculated on the basis of DGCI&S transaction wise import data with adjustments.
  - f. The dumping margin is positive and substantial for each of the subject countries.
  - g. The domestic industry submitted that none of the exporters from China PR have responded and the responding exporter from Russia has not cooperated with the Authority by failing to file questionnaire response and participating in the investigation. The domestic industry requested the Authority to use adverse facts available and apply the highest duty against the exporters on the basis of the information filed by the Domestic Industry.

- h. In the absence of the questionnaire response by the exporters from subject countries, the dumping margin for the purpose of the present investigation is required to be determined on the basis of the facts available.
- i. In response to the contentions of the respondents regarding the normal value of Russia, the domestic industry submitted that the normal value based on cost of production of the domestic industry is business sensitive and that range has been provided. Further, the Russian ministry themselves have made no efforts to provide the Authority any information. The domestic industry has provided information to the best of its abilities.

## **G.2. Submissions of other interested parties**

37. The following submissions have been made by the by the exporter/ producer/ other interested parties in response to the arguments of the domestic industry:
  - a. Data relating to Normal value and dumping margin of Russian product claimed confidential. The application provides the estimated normal value in range and the rest of the data is treated confidential, thereby making it difficult to understand if the calculation was correct. The role of data in second row of the dumping margin calculation table is not clear. No Non-confidential summary providing an understanding of the confidential information has been furnished and hence deprived the Russian side of the opportunity to assess the accuracy of the calculations.
  - b. The Applicant merely states that “efforts have been made to get authentic evidence”, without explaining what these efforts actually included, and why they ultimately failed to bear fruit.
  - c. The Application fails to provide sufficient explanation whether the Applicant had reasons to proceed from the primary source of data for normal value to secondary sources in its efforts of data collection.
  - d. The Applicant has proceeded from the calculations of the normal value of the like products in China in order to calculate the normal value in Russia. The Authority had absolutely no right to accept such calculations of normal value of Russian products. Russia’s WTO accession protocol includes no commitments similar to the ones provided for in China’s Accession Protocol. Evidence of dumping collected by Applicant cannot be accepted unless it conforms to Article 2 of the Anti-Dumping Agreement.
  - e. There is no justification in the Anti-Dumping Agreement for accepting the Application which includes data on constructed value in India instead of constructed value in Russia.

## **G.3. Examination by the Authority**

38. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:
  - i) *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
  - ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*
    - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*
    - (b) *Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*
39. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. However, none of the exporters from the subject countries have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses.

40. The normal value and export price for all producers/exporters from the subject countries have been determined as below:

#### **G.4 Determination of normal value**

##### **Normal Value for Non-Cooperative Exporters from Russia**

41. The Authority notes that, only Omsk Group, Russia responded to the present investigation. However, the exporter has not filed prescribed questionnaire response. Therefore, the normal value is required to be determined based on facts available in view of non-cooperation by the exporters.
42. Since none of the producers/exporters from Russia have participated in the investigation and the determination of dumping margin requires grade wise normal value on quarterly basis, the normal value has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value has been determined on the basis of estimates of cost of production in Russia, with reasonable addition for SGA and profits. Costs on account of major raw materials has been determined on the basis of facts available with regard to major raw material consumption factors and international price of these major raw materials. Conversion costs and SGA have been determined on the basis of Indian experience, as facts available. Reasonable profit has been considered as 5%. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table.
43. For the purposes of ensuring fair comparison and in view of significant difference in the cost of production of different grades, separate normal value has been calculated for each grade of subject goods produced and sold. Further, in view of significant difference in cost of production and resultantly selling price over time period within the POI, separate normal value has been calculated for each quarter of the period of investigation. However, the dumping margins so arrived for different grades and for each quarter have been weighted averaged for the entire 'period of investigation' and for the 'product under consideration' as a whole by considering associated export volumes.

##### **Normal Value for China PR**

##### **Market Economy Status for Chinese Producers**

44. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

*"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*

*(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*

*(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

*(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

*(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

*(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of*

*subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

45. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a)(ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a)(i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the none of the producers/ exporters from China PR have submitted response to questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules.
46. The prices or constructed value of the product in an appropriate market economy third country or the prices from such third country to other countries, including India, has neither been made available by the Applicant or an interested party, nor is available with the Authority from any public source. Thus, normal value has been determined on the basis of price paid or payable in India, duly adjusted to include profit, which has been determined considering cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits. The normal value so determined is given below in dumping margin table.
47. For the purposes of conducting a fair comparison and in view of significant difference in the cost of production of different grades, separate normal value has been calculated for each grade of subject goods produced and sold. Further, in view of significant difference in cost of production and resultantly selling price over time period within the POI, separate normal value has been calculated for each quarter of the period of investigation. However, the dumping margins so arrived for different grades and for each quarter have been weighted averaged for the entire 'period of investigation' and for the 'product under consideration' as a whole thereafter by considering associated export volumes. The Authority has determined the weighted average normal value accordingly.

#### **G.5. Determination of export price**

48. None of the exporters/producers from China PR and Russia have co-operated in the present investigation. Therefore, export price in respect of non-co-operative exporters from China PR and Russia has been determined as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. For the purposes of conducting a fair comparison and in view of significant difference in the cost of production of different grades, separate export price has been calculated for each grade of subject goods produced and sold. Further, in view of significant difference in cost of production and selling price over time period within the POI, separate export price has been calculated for each quarter of the period of investigation. For the purpose, the Authority has considered imports as reported in the DGCI&S and adjustments as per facts available. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

#### **G.6 Determination of dumping margin**

49. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins for all producers/exporters of the subject goods from the subject countries is determined as follows:

##### **Dumping margin**

| Country          | Unit    | China PR | Russia |
|------------------|---------|----------|--------|
| Normal Value     | USD/MT  | ***      | ***    |
| Net Export Price | USD/MT  | 858      | 836    |
| Dumping Margin   | USD/MT  | ***      | ***    |
|                  | %       | ***      | ***    |
|                  | % Range | 5-15     | 5-15   |

#### **INJURY AND CAUSAL LINK**

##### **H.EXAMINATION OF INJURY**

50. Rule 11 of the Rules read with Annexure–II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, ".... taking into account all relevant facts, including

*the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.*

51. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19 and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. The Authority in its examination has evaluated the injury parameters which are required under Rule 11 and Annexure II of the Rules and has also examined as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
52. M/s Carbon Black Manufacturers Association (CBMA) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), on behalf of the domestic producers namely, Phillips Carbon Black Limited, Himadri Speciality Chemicals Limited, Continental Carbon India Limited and Birla Carbon India Private Limited. The participating companies namely Phillips Carbon Black Limited; Himadri Speciality Chemicals Limited, and Continental Carbon India Limited have provided the prescribed information. Birla Carbon India Private Limited has not provided relevant information. Therefore, in terms of Rule 2(b) of the Rules, the three participating companies have been treated as the domestic industry for the purpose of the present investigation. Therefore, the injury information of the three participating companies, constituting the domestic industry as defined in Rule 2(b), have been examined.

### **H.1. Submissions of the domestic industry**

53. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link:
  - a. The demand for subject goods increased till 2018-19 and thereafter declined in the period of investigation. The decline in demand can be attributed to the decline in the auto industry. However, the continued dumped imports have aggravated the injury suffered by the already vulnerable domestic industry.
  - b. Even though the imports from subject countries declined during the POI, it has increased as compared to base year despite the existence of anti-dumping duty. The imports have increased in relation to production and consumption in India as compared to base year.
  - c. The imports from subject countries constitute 45% of the total imports despite the existence of anti-dumping duty.
  - d. The import prices of the PUC have declined during the period of investigation. Due to continued price pressures from imports faced by the domestic industry, the domestic industry was forced to reduce their prices, as is evident from the table below. This is despite the existence of the anti-dumping duty against the subject countries. Further, the prices of imports have constantly and significantly been lower than the prices of the domestic industry.
  - e. The imports are undercutting and underselling the prices of the domestic industry. Further, the imports are also depressing the prices of the domestic industry. The capacity has increased over the injury period despite which the production declined. Capacity utilization of the domestic industry also declined over the injury period.
  - f. Sales of the domestic industry increased in 2017-18 but declined in 2018-19 and POI.
  - g. Market share of the domestic industry declined over the injury period while the market share of subject countries increased as compared to base year. This is despite ample capacities in the hands of the domestic industry to cater to the Indian demand for the subject goods.
  - h. Inventories declined in 2017-18 but increased substantially in 2018-19 and the POI.
  - i. Profitability declined in the POI and so did cash profits, PBIT and ROI. On a quarterly basis, the profitability declined consistently and the domestic industry suffered losses in the fourth quarter of 2019-20.
  - j. Performance of domestic industry has declined significantly and will likely deteriorate in the event of cessation of the existing anti-dumping duty.
  - k. The dumping margin for each of the subject countries is more than de-minimis and significant.
  - l. Growth has been negative in terms of production, sales, selling price, profitability, cash profits, PBIT, ROI and inventories.

- m. Imports are undercutting and underselling the prices of the domestic industry. Resultantly, the volume of imports has increased significantly;
- n. Price undercutting being caused by the dumped imports has led to the price depression.
- o. The price depression effect of dumped imports from subject countries has resulted in significant erosion in profitability of the domestic industry in the period of investigation.
- p. Deterioration in profits, return on capital employed and cash profits are directly a result of dumped imports;
- q. Imports have resulted in decline in domestic sales, and consequently production and capacity utilisation of the domestic industry.
- r. Increase in imports has resulted in increase in inventories with the domestic industry.
- s. As regards the argument that the domestic industry is suffering injury due to inherent deficiencies based on statements made in Annual Reports, the domestic industry submitted that public statements in the annual report do not alter the conclusion that dumping of the product has contributed to the injury to the domestic industry. It has been wrongly assumed that dumping is the sole cause of injury. The statements in the annual report are not with regard to deterioration in performance of domestic industry over the injury period and they are concerned with overall operations of the company and the reasons for dumping. Annexure II covers whether imports are suppressing or depressing the prices of the product in the market.
- t. In response to the contention that the price of CBFS has declined leading to decline in non-injurious price, the domestic industry submitted that though the decline in CBFS prices would lead to decline in cost of the domestic industry, it does not imply that injury has not occurred.
- u. In response to the contention that the decline in CBO raw material price reflected decline in overall import price, the domestic industry submitted that, Carbon black manufactured by domestic industry from CBFS has been considered as like article to the carbon black imported from China made from CBO. Both the products are used interchangeably by the users. Therefore, despite decline in prices of CBO and consequent prices of Carbon black is not sufficient to withdraw the duty until it is proved that imports of the product under consideration from subject countries are not at dumped prices and are not causing injury to the domestic industry.
- v. In response to the contentions of the respondents regarding the non-injurious price, the domestic industry submitted that the arguments are based on assumptions and presumptions. The imports are underselling the prices of the domestic industry.
- w. As regards the argument that the widening spread between CBO and CBFS reduces China's competitiveness, the domestic industry submitted that the argument is factually incorrect. The imports from China are undercutting and underselling the prices of the domestic industry.
- x. The present investigation being a sunset review investigation, there is no legal requirement of continuation of increase in imports in a sunset review investigation. In the present case, the imports of the product under consideration has increased as compared to base year and has declined as compared to the previous year. Subject countries hold major share in the total imports into India. Slowdown in Auto sector made the domestic industry more vulnerable. Imports from subject countries at dumped prices have aggravated the injury to an already vulnerable domestic industry.
- y. As regards the argument of 22% ROCE being unrealistic, the domestic industry submitted that the Authority has a practice to allow 22% return in all situations and therefore principles of equity demand is applied to all situations. The Authority has been allowing the ROCE at 22% for so many years and almost in every case without considering the actual rate of return earned by the domestic industry during the period when there was no dumping.
- z. As regards capacity utilization, the domestic industry submitted that the capacity utilization of the domestic industry was never at 90%. It declined significantly in the POI.
- aa. In response to the argument with regard to a break in causal link, the domestic industry submitted that Article 11.3 only requires authorities to determine whether the expiry of duties would be likely to lead to continuation or recurrence of injury. There is no requirement to establish causal link. The domestic industry has relied upon the WTO Appellate Body's observations in United States – Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Goods (OCTG) from Mexico. As regards imports from other countries, the present investigation being a sunset review investigation, any new country cannot be added. As regards increase in depreciation and amortization expenses, the decline in profits before and

after depreciation and profits before and after interest is far higher. As regards productivity, the decline in productivity is only 1 index point which is not significant.

- bb. As regards the argument that additional information needs to be filed, the domestic industry submitted that the information for updated POI has been filed within time period.

## H.2. Submissions of other interested parties

54. The following submissions have been made by the producer/ exporter/ other interested parties with regard to Injury and causal link:

- a. Inclusion of Birla Carbon will show that the domestic industry is suffering injury due to inherent deficiencies or is affected by factors other than dumped imports. Birla Carbon has performed significantly well in the POI. It has production capacity of 3, 14,000 MTPA which will be augmented to 3, 86,000 MTPA by August 2020 and sales of 2, 78,254 MT in FY2020. Birla Carbon has an estimated capacity market share of approximately 30-34% and is operating at almost full capacity utilization. The Operating Profit before Depreciation, Interest and Taxes % increased from 15.3% in 2018-19 to 20.8% in 2019-20. Return on capital employed has increased from 22.8% in 2018-19 to 36.7% in 2019-20. Reference has been made to ICRA Report. The reason for non-participation should be examined for malafides.
- b. Claim of the domestic industry concerning material injury is completely baseless and incorrect as there is no material injury suffered by the domestic industry on account of import of PUC from the subject countries.
- c. Since the price of CBFS, which constitutes 85% of the cost of carbon black has reduced, the non-injurious price of the domestic industry has reduced by nearly 50% as compared to the Original Investigation, thereby removing injury to the domestic industry.
- d. Chinese Manufacturers use CBO and the domestic industry uses CBFS. CBFS prices have fallen at a much higher rate than CBO. Reference has been made to a market Report by Edelweiss, Chinese coal tar prices rallied in 2017, almost tripling since November 2016 making crude based CBFS competitive vis-à-vis CBO. With pollution concerns in China likely to remain elevated, coal tar prices will remain high in the future. PCBL in its investor presentation dated October 2020 has admitted that the increasing gap between CBO and CBFS prices has continued even in the post-POI period. Decline in CBO raw material price reflected in the decline in overall import price. Decline in import price cannot relate to increased dumping as there is a clear co-relation with decline in raw material prices with decline in import prices.
- e. Non-injurious price of the domestic industry is much lower in the POI of the present SSR investigation, and the import prices should be higher than the non-injurious price. The DI has admitted in the oral hearing that non-injurious price in the present investigation is lower as compared to the original Anti-Dumping investigation against the PUC.
- f. The domestic industry itself admits that the widening spread between CBO and CBFS reduces China's competitiveness. The imports will continue to come at high landed prices above the non-injurious price of the domestic industry on account of the widening difference between CBO and CBFS prices, even in the post POI period.
- g. There is a substantial increase in import volume of PUC from other countries. Import volume from subject countries declined steeply due to the decline in demand during POI as compared to the decline in imports from non-subject countries. The market share of imports of PUC from subject countries has only slightly increased by 18% during the same period and has declined considerably during the POI by 59% as compared to previous year while the market share of other countries during the same year increased by 22%.
- h. As per the data provided by the domestic industry, there was negative price undercutting during 2017-18 when the landed price of imports from subject countries was INR 75,136/MT. Domestic industry is now claiming positive price undercutting during the POI at the landed price of INR 73,473/MT, which is a difference of mere 2%. The domestic selling price has seen an increase by 52% during the POI and the cost of sales has seen an increase by 40%, as compared to the base year. Moreover, during the same period, the landed value of imports from subject countries also increased by 47% and therefore there is no price suppression or depression. The decline in cost of sales and selling price of the domestic industry by 2% and 8% during the POI as compared to previous year can be attributed to the decline in demand for the PUC during the POI which has impacted its performance in the domestic market. Despite the drop in demand, the domestic selling price still shows an increase of 52% against the base year.
- i. Price underselling is negative in POI and Post POI period. NIP calculation is incorrect as domestic industry expects 22% ROCE and such estimate is unrealistic and not as per industry norms and no evidence has been provided for the same. Average industry norm for return on capital employed is 10%

and the same should be considered by the Authority. Reference has been made to Indian Spinners Association v. Designated Authority and M/s Bridgestone Tyre Manufacturing v. Designated Authority wherein CESTAT held that fixing a fixed ROCE at 22% was artificial and against market reality.

- j. Capacity utilization of domestic industry was 90% or more in the POI and any slight decline is on account of decline in demand in the automobile industry. Installed capacity of the DI has increased throughout the injury period which shows progress in the performance of the DI for last few years. The installed capacity has increased from 6, 76,000 MT to 7, 90,000 MT from the base year, leading up to the POI. The DI has added 1, 14,000 MT to its capacity during the POI. Production of the DI has increased from 5, 17,272 MT in the base year to 5, 51,774 MT during the POI. Domestic sales have also increased from 4, 27,128 MT in the base year to 4, 28,317 MT in 2018-19. Slight decline is due to drop in demand. The export sales have increased indicating that the domestic industry is voluntarily focussing on exports resulting in decline in domestic sales.
- k. The Profitability of the domestic industry has increased because the selling price of the domestic industry has increased by 52% during the POI in comparison to the base year. During the same period, the domestic industry's profit increased by 191%, its profit before interest and tax increased by 637%, cash profit of the domestic industry increased by 303% and return on capital employed increase by 562%.
- l. There is a break in the causal link between alleged injury and subject country imports. The domestic industry, in alleging injury due to imports of the PUC from subject countries, has not segregated the injury on account of imports from third countries and the subject country imports. Any injury to domestic industry to be attributable to other factors such as fall in demand/consumption of PUC due to economic slowdown in automobile sector in India. Injury to domestic industry has substantially increased due to imports from non-subject countries. The depreciation and amortization expense has increased from 100 indexed points in 2016-17 to 148 indexed points during the POI and loss cannot be attributed to the imports of PUC from the subject countries. The decrease in productivity per day of the employees from 100 indexed points in 2016-17 to 99 indexed points in POI and is attributable to decrease in production quantity of the domestic industry.
- m. Although the Authority chose to rely on comparable periods, the Applicant has not provided the Authority with the data for 1st January 2020 – 31st March 2020. Therefore, at the beginning of the review, the Authority appears not to have comprehensive and reliable data for the period. Additional data for 1st January 2020 – 31st March 2020 to be collected.
- n. Capacity, production, profit before interest and tax, cash profit, wages, number of employees and productivity per day has shown positive trend in 2016-17, 2017- 18, 2018-19 financial years and therefore Indian Industry is not suffering or threatened by injury.
- o. There is no causal link. There is lack of influence of Russian imports on Indian Industry as the decrease in performance of Applicant coincides with decrease in imports by 53% and share of Russian goods from 11, 08% to 6,99% in Indian market in April – December 2019 (A). Other factors such as increase in imports from China or third countries, decrease in demand in India affected the Indian Industry. Applicant also increased production capacities during period under review and the share of capacity utilization was declining. Measure not to be extended for the Russian product.

### H.3 Examination by the Authority

55. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties. Annexure-II of the Anti-Dumping Rules provides for objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact on domestic producers of such products.
56. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, 1975, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time-to-time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of the order of such extension.
57. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.

58. It is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority considers all injury parameters and, thereafter, concludes whether the domestic industry has suffered injury due to dumping or not. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.
59. As regards submission of the applicant and other interested parties concerning methodology of determination of NIP, the Authority notes that relevant guidelines in this regard is well laid down under Annexure III of Antidumping Rules. The authority has determined NIP for the domestic industry on the basis of provisions laid down under Annexure-III of the Rules.
60. As regards the submission that alleged injury to the domestic industry is due to inherent deficiencies and as per the annual report there are other factors for the decline in their performance, the Authority notes that it's a case of continued dumping of subject goods from the subject countries.
61. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties. Annexure-II of the Anti-Dumping Rules provides for objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact on domestic producers of such products.
62. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, 1975, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time-to-time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of the order of such extension.
63. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject countries.
64. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.

### H.3.1 Volume effect of dumped imports on domestic industry

#### a. Assessment of demand/ apparent consumption

65. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales if Indian Producers and imports from all sources.

| Demand in India                 | Unit      | 2016-17        | 2017-18        | 2018-19        | POI            |
|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sales of Domestic Industry      | MT        | 427,128        | 429,184        | 422,082        | 393,322        |
| Sales of other Indian producers | MT        | ***            | ***            | ***            | ***            |
| Import from Subject Countries   | MT        | 65,064         | 79,820         | 134,349        | 74,053         |
| Imports from Other Countries    | MT        | 32,978         | 76,955         | 100,862        | 94,091         |
| <b>Total Indian Demand</b>      | <b>MT</b> | <b>806,096</b> | <b>864,657</b> | <b>949,390</b> | <b>823,902</b> |

66. It is seen that the demand for the subject goods increased till 2018-19 but declined in the POI. However, the overall demand has increased in the period of investigation as compared to the base year. The domestic industry submitted that this decline in demand is attributable to the constraints of the Automobile Industry in India.

#### b. Import Volumes from subject countries

67. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in

India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S. Factual position is as follows:

| Particulars            | Unit | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | POI     |
|------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Subject Countries      | MT   | 65,064  | 79,820  | 134,349 | 74,053  |
| China                  | MT   | 51,687  | 55,944  | 108,281 | 61,934  |
| Russia                 | MT   | 13,377  | 23,876  | 26,068  | 12,119  |
| Other countries        | MT   | 32,978  | 76,955  | 100,862 | 94,091  |
| Total Imports          | MT   | 98,042  | 156,775 | 235,210 | 168,144 |
| Demand/Consumption     | MT   | 806,096 | 864,657 | 949,390 | 823,902 |
| Indian Production      | MT   | 517,272 | 517,911 | 531,853 | 507,368 |
| Imports in relation to |      |         |         |         |         |
| Total Imports          | %    | 66.36%  | 50.91%  | 57.12%  | 44.04%  |
| Indian Production      | %    | 12.58%  | 15.41%  | 25.26%  | 14.60%  |
| Total Consumption      | %    | 8.07%   | 9.23%   | 14.15%  | 8.99%   |

68. It is seen that:

- The volume of imports from the subject countries has increased until 2018-19 but declined during the POI. The volume of imports has increased in the period of investigation as compared to the base year.
- Imports from the subject countries remain significant in the total imports into India.
- The volume of imports in relation to Indian production and total consumption has increased as compared to base year.

### H.3.2 Price effect of the dumped imports

69. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

#### a. Price undercutting

70. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the weighted average import price from the subject countries. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject countries work out as follows:-

| Particular                     | Unit  | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | POI    |
|--------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------|
| Selling Price of DI            | Rs/MT | ***     | ***     | ***     | ***    |
| Trend                          |       | 100     | 129     | 167     | 153    |
| <b>China</b>                   |       |         |         |         |        |
| Landed price without ADD       | Rs/MT | 50,211  | 78,255  | 88,742  | 73,906 |
| Price undercutting without ADD | Rs/MT | ***     | ***     | ***     | ***    |
|                                | %     | ***     | ***     | ***     | ***    |
|                                | Range | 0-10    | (10-20) | (0-10)  | 0-10   |
| <b>Russia</b>                  |       |         |         |         |        |
| Landed price without ADD       | Rs/MT | 49,489  | 67,827  | 89,227  | 69,286 |

|                                |       |        |        |        |        |
|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Price undercutting without ADD | Rs/MT | ***    | ***    | ***    | ***    |
|                                | %     | ***    | ***    | ***    | ***    |
|                                | Range | 0-10   | (0-10) | (0-10) | 10-20  |
| <b>Subject Country</b>         |       |        |        |        |        |
| Landed price without ADD       | Rs/MT | 50,063 | 75,136 | 88,836 | 73,150 |
| Price undercutting without ADD | Rs/MT | ***    | ***    | ***    | ***    |
|                                | %     | ***    | ***    | ***    | ***    |
| Landed price without ADD       | Range | 0-10   | (0-10) | (0-10) | 0-10   |

71. It is seen that the landed price of the imports from each of the subject countries is significantly below the selling price of the domestic industry. The imports from the subject countries are likely to undercut the prices of the domestic industry in the event of cessation of ADD.

#### **Price suppression and depression**

72. In order to determine whether the dumped imports are depressing or suppressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period is examined. Table below shows factual position:

| Particulars   | Unit | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | POI    |
|---------------|------|---------|---------|---------|--------|
| Cost of Sales | ₹/MT | ***     | ***     | ***     | ***    |
| Trend         |      | 100     | 114     | 142     | 140    |
| Selling Price | ₹/MT | ***     | ***     | ***     | ***    |
| Trend         |      | 100     | 129     | 167     | 153    |
| Landed Price  | ₹/MT | 50,063  | 75,136  | 88,836  | 73,150 |
| Trend         |      | 100     | 150     | 177     | 146    |

73. It is noted that during the injury period, the selling price of domestic like product has increased more than increase in cost of sales. However, while analysing the trends in the year to year, it is seen that the decline in selling price of the domestic industry during the period of investigation as compared to previous year was much more than the decline in its cost of sales. It is also noted that the landed price of imports from the subject countries is lower than the cost of sales of the domestic industry during the period of investigation. Therefore, the Authority notes that the imports from the subject countries have depressed the the prices of the domestic industry during the POI. Further, the landed price from subject countries have prevented the domestic industry to raise its selling price .

### **H.3.3 Economic Parameters of the Domestic Industry**

74. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.
75. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties.
- i. Production, capacity, capacity utilization and sale**
76. The Capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

| Particulars                 | Unit | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | POI     |
|-----------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Capacity - Plant            | MT   | 676,000 | 692,000 | 733,000 | 785,000 |
| <i>Trend</i>                |      | 100     | 102     | 108     | 116     |
| Production – Plant          | MT   | 555,797 | 559,067 | 570,638 | 551,759 |
| <i>Trend</i>                |      | 100     | 101     | 103     | 99      |
| Production -PUC             | MT   | 517,272 | 517,911 | 531,853 | 507,368 |
| <i>Trend</i>                |      | 100     | 100     | 103     | 98      |
| Capacity Utilization -Plant | %    | 82.22%  | 80.79%  | 77.85%  | 70.29%  |
| <i>Trend</i>                |      | 100     | 98      | 95      | 85      |
| Domestic Sales              | MT   | 427,128 | 429,184 | 422,082 | 393,322 |
| <i>Trend</i>                |      | 100     | 100     | 99      | 92      |

77. It is seen that:

- The installed capacity of the domestic industry has increased over the injury period.
- The production of the domestic industry increased till 2018-19 but declined significantly in the POI. The production has declined in period of investigation as compared to base year as well as previous years.
- The capacity utilization of the domestic industry has declined throughout the injury period.
- The domestic sales have increased till 2017-18 but declined in 2018-19 and further in the POI. However, the sales in the period of investigation have declined as compared to base year

**ii. Market share in Demand**

78. Market share of the domestic industry is shown in table below:

| Particulars                   | Unit     | 2016-17        | 2017-18        | 2018-19        | POI            |
|-------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Share of Petitioner Companies | %        | 52.99%         | 49.64%         | 44.46%         | 47.74%         |
| Share of Other Producers      | %        | ***            | ***            | ***            | ***            |
| Share from Subject Countries  | %        | 8.07%          | 9.23%          | 14.15%         | 8.99%          |
| Share from Other Countries    | %        | 4.09%          | 8.90%          | 10.62%         | 11.42%         |
| <b>Total</b>                  | <b>%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |

79. It is seen that the market share of the domestic industry and domestic producers as a whole have declined over the injury period. However, the market share of the subject countries has increased till 2018-19 but declined in period of investigation.

**iii. Inventories**

80. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

| Stock         | Unit | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | POI |
|---------------|------|---------|---------|---------|-----|
| Opening Stock | MT   | ***     | ***     | ***     | *** |
| <i>Trend</i>  |      | 100     | 65      | 43      | 136 |
| Closing Stock | MT   | ***     | ***     | ***     | *** |
| <i>Trend</i>  |      | 100     | 67      | 208     | 229 |
| Average Stock | MT   | ***     | ***     | ***     | *** |
| <i>Trend</i>  |      | 100     | 66      | 109     | 173 |

81. It is seen that the inventories with the domestic industry declined in 2017-18 but increased in 2018-19 and further during period of investigation. The closing stock is at the highest level during the period of investigation.

**iv. Profitability, cash profits and return on capital employed**

82. Profitability, cash profits and return on investment of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

| Particulars                | Unit     | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | POI | POI - Q1 | POI - Q2 | POI - Q3 | POI - Q4 |
|----------------------------|----------|---------|---------|---------|-----|----------|----------|----------|----------|
| Profit/(Loss) per unit     | Rs./MT   | ***     | ***     | ***     | *** | ***      | ***      | ***      | ***      |
| Trend                      |          | -100    | 170     | 303     | 100 | 137      | 155      | 116      | -13      |
| Profit/Loss                | Rs/Lacs  | ***     | ***     | ***     | *** | ***      | ***      | ***      | ***      |
| Trend                      |          | -100    | 171     | 300     | 92  | 137      | 137      | 105      | -12      |
| Cash Profit                | Rs. Lacs | ***     | ***     | ***     | *** | ***      | ***      | ***      | ***      |
| Trend                      |          | -100    | 311     | 511     | 215 | 285      | 286      | 232      | 57       |
| Return on Capital Employed | %        | ***     | ***     | ***     | *** | ***      | ***      | ***      | ***      |
| Trend                      |          | -100    | 983     | 1,369   | 468 | 672      | 707      | 562      | 87       |

83. It is seen that:
- The profitability of the domestic industry improved until 2018-19. However, the profitability declined significantly in the period of investigation.
  - Cash profits, PBIT and Return on Capital Employed show the same trend as that of profitability.
  - On quarterly basis, it is seen that the profitability has declined significantly during the period of investigation and the domestic industry has faced losses in the fourth quarter of the period of investigation.
  - The PBIT and cash profits have also declined on a quarterly basis.
  - The overall performance of the domestic industry has deteriorated.

**v. Employment, wages and productivity**

84. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

| Particulars               | Unit     | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | POI |
|---------------------------|----------|---------|---------|---------|-----|
| Wages                     | Rs. Lacs | ***     | ***     | ***     | *** |
| Trend                     |          | 100     | 118     | 135     | 165 |
| Employment                | Nos.     | ***     | ***     | ***     | *** |
| Trend                     |          | 100     | 105     | 107     | 114 |
| Productivity per day      | MT       | ***     | ***     | ***     | *** |
| Trend                     |          | 100     | 101     | 103     | 99  |
| Productivity per Employee | MT       | ***     | ***     | ***     | *** |
| Trend                     |          | 100     | 96      | 96      | 87  |

85. It is seen that:
- The wages paid and the number of employees have increased over the injury period and further in the period of investigation.

b) The productivity per day has increased till 2018-19 but declined during the period of investigation.

86. The domestic industry has submitted that these parameters are not reflective of the impact of dumped imports on the domestic industry.

**vi. Growth**

87. The growth of the domestic industry in terms of production, domestic sales volume, profits, etc., is as per given in the table below-

| <b>Growth</b>              | <b>Unit</b> | <b>2016-17</b> | <b>2017-18</b> | <b>2018-19</b> | <b>POI</b> |
|----------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Production (MT)            | %           | 0.00           | 0.59           | 2.07           | -3.31      |
| Domestic Sales Volume (MT) | %           | 0.00           | 0.48           | -1.65          | -6.81      |
| Cost of Sales (Rs/MT)      | %           | 0.00           | 13.86          | 25.15          | -1.84      |
| Selling Price (Rs/MT)      | %           | 0.00           | 29.36          | 28.99          | -8.32      |
| Profit/ Loss (Rs/MT)       | %           | 0.00           | -269.77        | 78.67          | -67.17     |
| Cash profits (Rs. Lacs)    | %           | 0.00           | -410.87        | 64.53          | -57.94     |
| Return on investment (%)   | %           | 0.00           | -1083.06       | 39.27          | -65.82     |

88. It is seen that the growth of the domestic industry has been negative in the period of investigation.

**vii. Magnitude of Dumping Margin**

89. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India. The investigation has shown that dumping margin is positive and significant in the period of investigation.

**viii. Ability to raise capital investment**

90. It is seen that the profitability of the domestic industry has declined in the period of investigation. With the competition being faced by the Domestic Industry because of the dumped imports, the operations of the industry have been impacted which has affected its ability to raise capital investment. It is noted that the ability to raise capital investments is likely to be affected in the event of cessation of the existing anti-dumping duty.

**viii. Factors affecting domestic prices**

91. It is noted that the landed value of the subject goods from subject countries is below its net selling price . Further, the landed prices of subject imports have depressed the prices of the Domestic Industry leading to a significant decline in profitability during the period of investigation. Dumped imports from the subject countries are impacting the prices of the product in the market.

**ix. Magnitude of price underselling/injury margin**

92. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

93. Since none of the producers/exporters from the subject countries have cooperated in the present investigation, for all the non-cooperative producers/exporters, the Authority has determined the landed price based on facts available.

94. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters is determined by the Authority and the same is provided in the table below:

**Injury Margin**

| Country             | Unit    | China PR | Russia |
|---------------------|---------|----------|--------|
| Non-Injurious Price | USD/MT  | ***      | ***    |
| Landed Value        | USD/MT  | 1,031    | 967    |
| Injury Margin       | USD/MT  | ***      | ***    |
|                     | %       | ***      | ***    |
|                     | % Range | Negative | 1-10   |

**I. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS**

95. The Authority examined any known factors other than the dumped imports which at the same time might have been injuring the Domestic Industry, so that the injury caused by these other factors, if any, is not attributed to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. The Authority examined whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

**a. Volume and prices of Imports from Third Countries**

96. It is seen that the imports from other countries are either attracting ADD or are de minimis or are at higher prices, except Korea RP, Columbia, Saudi Arabia and UAE. It is however seen that the injury margin in respect of each of these countries is negative and these countries are at present not attracting ADD.

**b. Contraction in demand**

97. The Authority notes that demand of the product under consideration has increased as compared to base year. However, the demand has declined in the present POI. This has further increased vulnerability of the domestic industry and the domestic industry is likely to face aggravated injury in the event of cessation of ADD.

**c. Changes in Pattern of consumption**

98. There have been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration. Hence, changes in the pattern of consumption have not caused injury to the Domestic Industry.

**d. Conditions of competition and trade restrictive practices**

99. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the Domestic Industry.

**e. Developments in technology**

100. No evidence has been brought by any interested parties about existence of significant changes in the technology that could have caused injury to the Domestic Industry.

**g. Export performance of the domestic industry**

101. The Authority has considered data for the domestic operations only for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause for the injury to the Domestic Industry.

**h. Performance of other products**

102. The Domestic Industry has provided the injury data of PUC performance and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Therefore, performance of other products produced and sold by the applicant is not a possible cause of the injury to the Domestic Industry.

**Conclusion on Continuation of injury**

103. The examination of the imports of the subject product and the performance of the domestic industry shows that the volume of dumped imports from subject countries has increased in absolute terms, and also in relation to Indian production, and demand in the POI compared to the base year. The imports from the subject country are undercutting the prices of the domestic industry. It is noted that during the injury period, the selling price of domestic like product has increased more than increase in cost of sales. However, while analysing the trends in the year to year, it is seen that the decline in selling price of the domestic industry during the period of investigation as compared to previous year was much more than the decline in its cost of sales. It is also noted

that the landed price of imports from the subject countries is lower than the cost of sales of the domestic industry during the period of investigation. Inventories which have remained almost same till 2018-2019, has increased significantly during the POI. The production, sales, capacity utilization and market share of the domestic industry has declined during the POI as compared to base year. Inventories which have remained almost same till 2018-2019, has increased significantly during the POI. It is also noted that the operating performance of the Domestic Industry has deteriorated during the POI as compared to preceding year. Quarter wise analysis during the POI shows that it has suffered significant deterioration in its operating performance during the period of investigation.

104. On the basis of above analysis, it is concluded that the domestic industry's performance has improved till 2017-18 from the base year, however, it has suffered deterioration during the POI.

## **J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY**

### **J.1. Submissions of the domestic industry**

105. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:

- a. The imports are undercutting the prices of the domestic industry.
- b. The foreign producers are faced with significant surplus production capacities far beyond that domestic demand.
- c. Considering the domestic consumption and exports, the foreign producers are faced with significant unutilised capacities.
- d. Considering the exports and production, the foreign producers are highly export oriented.
- e. The level of capacity utilisation of the foreign producers is quite low considering the nature of Carbon Black plants where producers tend to operate the plants at high levels in order to be viable.
- f. Considering the price undercutting, should the Indian producers reduce the prices by the amount of undercutting (in the event of cessation of ADD), the Indian producers will suffer financial losses and negative return on investment;
- g. The prices of CBFS in China are unreasonably and unrealistically low, leading to lower cost of production, which enables the Chinese producers to dump the product at any price;
- h. The current situation of the domestic industry is already extremely fragile in as much as production, capacity utilisation, sales volumes, inventories, profit, cash profits and return on investment have deteriorated in the POI.
- i. During the POI, the landed price of imports from subject countries is lower than the cost of sales of the domestic industry. The cost of sales decreased as compared to previous year, but the decline in selling price was much more than the decline in cost during the period. The price depression faced by the domestic industry within the POI clearly establishes vulnerability of the domestic industry. Under the circumstances, the domestic industry will suffer significant injury in the event of cessation of existing anti-dumping duties.
- j. Producers in subject countries are further expanding their capacities despite already existing surplus capacities.
- k. The likelihood claims of domestic industry with respect of Russia is not based on utilized capacities.
- l. As regards the contention that the domestic industry has not provided any evidence of excess capacities, the domestic industry submitted that the likelihood information is based on Notch Consulting report. As regards surplus capacities, the likelihood claim of the domestic industry is not based solely on surplus capacities. Also, the opposing parties have not provided any contrary evidence to dispute the claims of likelihood of the domestic industry.
- m. As regards the contention of the interested parties regarding the share of exports from China, the domestic industry submitted that the share of exports of PUC in overall exports from China to India is immaterial in the present investigation, which is a product specific investigation. Imports of product under consideration from China accounts for 37% of the total imports of product under consideration in India, which is significant despite Anti-dumping duty in existence.
- n. In response to the contention of the interested parties regarding the domestic demand in China and its capacities, the domestic industry submitted that as per evidence provided in the petition the current demand of the product under consideration (as on 2018) is 50,20,000MT. 7% increase in such demand will amount to a demand of 53,71,400 MT. The total capacities with China in 2018 is 77,00,000 MT

which is in excess. Further, China is already faced with surplus and unutilized capacities. With plants of Birla Carbon and Jinneng Science & Technology coming up it will add to China's already excess capacities which will be sufficient to cater to Chinese demand as well as divert exports to India.

- o. In response to the contention that export orientation does not imply diversion of exports upon cessation of ADD, the domestic industry submitted that Export orientation indicates that the companies have built up their capacities for export markets and in the event of cessation of Anti-dumping duty, the exports to India will increase. Further increase in imports from subject countries as compared to base year despite Anti-dumping duty in existence establishes that in the event of cessation of Anti-dumping duty, the exports from subject countries to India will further increase.
- p. In response to the contention that the Authority has refused extension if domestic industry's overall health has improved, the domestic industry submitted that there are a number of cases such as Diclofenac Sodium, Zinc Oxide, Acrylic Fibre – Thailand and Korea, Caustic Soda – Japan SSR, Hexamine SSR against Russia, SFS, Potassium carbonate, Hexamine – Iran, Coumarin SSR, etc where the Authority has continued duties in a situation when there are zero imports from the subject country and no injury to the domestic industry.

## J.2. Submissions of other interested parties

106. The following submissions have been made by the producer/ exporter/ other interested parties with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:

- a. There is no likelihood of continuation or recurrence of injury. Application shows capacity utilization rate of Russian products reached 100, 9% in 2018 and therefore, No free capacities to increase exports with Russian producers. Russian goods are exported to different regions of the world and these flows are stable. Reference has been made to the data of the Federal Customs Service of Russia. Deliveries of the Russian products have already been allocated and due to 100% utilization rate of production capacities the Russian manufacturers cannot increase substantially their supplies to India should the measure be repealed.
- b. There is no likelihood of recurrence of material injury due to PUC imported from subject countries if the anti-dumping duty is revoked in the present investigation.
- c. There is no likelihood of injury to the domestic industry as admitted by PCBL and other factors. Domestic industry has merely made a blank statement without any evidence to substantiate the allegation of excess capacities in China and Russia. Merely having an excess capacity with the exporters does not in itself imply that it is meant to be diverted to India especially when the domestic industry has not provided any evidence in this regard. Reference has been made to Indian Spinners Association v. Designated Authority wherein it was held that mere existence of surplus capacity cannot be considered as threat of injury.
- d. Exports of the PUC from China accounted for only 8% of its overall exports to India during the injury period and latest market projection show an even lower share of 6.1% in overall exports of carbon black from China. China already has a significant market in other parts of the world, thus, the question of diverting the same to India does not arise. Significant number of small plants for carbon black have closed down in China on account of environmental concerns in 2017 and is expected to continue in future as well.
- e. The domestic demand in China is itself projected to increase at a CAGR of 7% by 2021 which is even higher than India's growth. Birla has invested and commissioned its largest plant in Jining in September 2017. If one of the major domestic producer of PUC is investing in setting up a new plant to cater to the domestic demand, it is inappropriate that imports from China would flood the Indian market after revocation of the existing anti-dumping duty. Further, the domestic industry has not provided any compelling evidence to demonstrate the same. Reference has been made to the Sunset Review Anti-dumping investigation concerning imports of White Cement originating in or exported from Iran and UAE wherein it was noted by the Authority that there was nothing suggestive of an excess availability of capacity with the producer which can be shipped at dumped prices to India in the event of revocation of duties.
- f. Merely because exporting countries are export oriented, does not automatically assume that these exports will necessarily be diverted to India upon cessation of ADD.
- g. Even if there is likelihood, Authority has refused extension as domestic industry's overall health was robust and had improved. Reference has been made to the SSR Investigation of the Sunset Review of Antidumping duty imposed on the imports of Nylon Filament Yarn originating in or exported from China PR, Chinese Taipei, Malaysia, Indonesia, Thailand and Korea RP wherein the Authority observed that the ADD has been in force for last 11 years and served its intended purpose.

**J.3. Examination by the Authority**

107. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the Domestic Industry and other interested parties, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury.
108. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A(5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure – II (vii) of the Rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties. The present investigation is a sunset review of ADD earlier imposed on the imports of subject goods from China PR and Russia. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of ADD is warranted. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia for factors which are required to be taken into consideration viz.:
- i. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
  - ii. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
  - iii. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
  - iv. Inventories of the article being investigated.

**i. Continued & existing dumping and injury**

109. The Authority notes that the imports of the PUC from the subject countries have remained significant despite anti-dumping duty in existence. Further, the dumping margin determined for the POI is positive, thus, there is a continuation of dumping of subject goods from subject countries. It is also seen that without adding the anti dumping duties, these imports are undercutting the Domestic Industry's prices, thus a cessation of ADD is likely see positive undercutting. The landed price of subject goods from Russia are at a price below NIP of the Domestic Industry.

**ii. Surplus capacities in subject country**

110. The Authority, on the basis of submissions made by the interested parties and evidence on record, has summarized the information as under –

| China PR                               |       |               |
|----------------------------------------|-------|---------------|
| Particulars                            | 2018  | 2023 Forecast |
| Capacity KT                            | 7,700 | 9,100         |
| Demand KT                              | 5,020 | 5,900         |
| Surplus capacities KT                  | 2,680 | 3,200         |
| Indian demand KT                       | 824   |               |
| Surplus capacity as % of Indian demand | 325   |               |

| Russia                                 |      |               |
|----------------------------------------|------|---------------|
| Particulars                            | 2018 | 2023 Forecast |
| Capacity KT                            | 1033 | 1153          |
| Demand KT                              | 300  | 350           |
| Surplus capacities KT                  | 733  | 803           |
| Indian demand KT                       | 824  |               |
| Surplus capacity as % of Indian demand | 89   |               |

111. It is seen that the exporters in subject countries has unutilized capacities to the extent of 25% and 9% of its capacities respectively in China and Russia ( *Notch consulting - Carbon Black World Book 2019*).

| China PR                                  |       |               |
|-------------------------------------------|-------|---------------|
| Particulars                               | 2018  | 2023 Forecast |
| Capacity KT                               | 7,700 | 9,100         |
| Production KT                             | 5,806 | 7,000         |
| Unutilized capacities KT                  | 1894  | 2100          |
| Indian demand KT                          | 824   | 824           |
| Unutilized capacity as % of Indian demand | 230   | 230           |

| Russia                                    |      |               |
|-------------------------------------------|------|---------------|
| Particulars                               | 2018 | 2023 Forecast |
| Capacity KT                               | 1033 | 1153          |
| Production KT                             | 1042 | 1050          |
| Unutilized capacities KT                  | -    | 103           |
| Indian demand KT                          | 824  |               |
| Unutilized capacity as % of Indian demand | -    |               |

112. On the basis of information on record, the Authority notes that the exporter are highly export oriented and the above surplus capacities can be diverted to India in the event of cessation of ADD.

|                                       | 2018  |        |
|---------------------------------------|-------|--------|
| China                                 | China | Russia |
| Production KT                         | 5,806 | 1153   |
| Exports KT                            | 880   | 555    |
| Export %                              | 15%   | 48%    |
| Indian demand KT                      | 824   | 824    |
| Current exports as % of Indian demand | 107   | 67     |

*Notch consulting - Carbon Black World Book 2019*

### iii. Price Undercutting and Attractiveness of India as a Market

113. It is noted that price undercutting is positive during the POI, and thus, cessation of ADD currently in place is likely to lead to intensified dumping causing injury in the form of low volume of sales, reduced selling price and decline in profits to the Domestic Industry.
114. The Authority is required to establish that the price prevailing in the domestic market i.e. India is attractive for the exporter to divert the quantity exported to the third countries. It is noted that the landed value of imports is below the net selling price of the Domestic Industry in the POI.
115. The Applicant has claimed that considering the price undercutting, if the Indian producers reduce the prices by the amount of undercutting (in the event of cessation of ADD), the Indian producers will suffer financial losses and negative return on investment.

**iv. Further expansions by the producers in subject countries**

116. Record evidence shows that the Producers in subject countries are further expanding their capacities despite already existing surplus capacities.

| Location                             | Capacity (KTPY) | Scheduled |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| Volgograd (Russia)                   | 40              | 2020      |
| Omsk (Russia)                        | 40              | 2021      |
| Jinneng Science & Technology (China) | 480             | 2020      |
| Birla Carbon (China)                 | 120             | 2021      |

*Notch consulting - Carbon Black World Book 2019*

**K. POST DISCLOSURE COMMENTS**

117. Post disclosure submissions have been received from the interested parties. These are examined as follows:

**K.1 Submissions by the domestic industry**

118. The submissions made by the domestic industry is as follows:

- a. While the Authority has determined dumping and injury margin on a quarterly basis, the same has not been disclosed. Only the profits, cash profits and ROI has been disclosed on quarterly basis.
- b. The injury margin should also be determined grade wise and quarter wise, same as the calculation of dumping margin, in view of the significant difference in cost of production and resultantly the selling price over injury period and within the period of investigation and within different grades of the product under consideration.
- c. On a quarter wise analysis, the injury margin with respect to China is positive in the first and last quarter of the period of investigation, therefore establishing that imports from China are likely to enter Indian market at injurious prices.
- d. On a quarter wise injury analysis, the profitability of the domestic industry has declined and turned into losses in the fourth quarter of the period of investigation.
- e. There is a need for extension of the existing anti-dumping duties on the subject goods from the subject countries.
- f. There is continued dumping and injury due to the import of subject goods from subject countries. No other known factors are causing injury or likely to cause injury to the domestic industry.
- g. The Russian and the Chinese imports are at injurious prices, i.e., below the non-injurious price of the domestic industry, during the period of investigation.
- h. The petitioner's concern is only against injurious imports and hence, price undercutting should be determined only considering those import transactions whose landed price of imports of below the non-injurious price. The domestic industry relied on the decision of the WTO Panel in EC – Anti-Dumping duties on malleable cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil and submitted that the principle applied to the calculation of injury margin also. Reference was also made to the CESTAT Order in Kothari Sugars & Chemicals Limited versus Designated Authority, which allowed considering transactions above NIP to calculate injury margin. Therefore, the dumping and injury margin should be determined considering only injurious transactions and those undercutting the domestic prices.
- i. There is likelihood of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty.
- j. Authority is requested to continue anti-dumping duty in the same form and in terms of USD.

**K.2 Submissions by other interested parties**

119. The submissions made by other interested parties are as follows:

- a. The question of diverting export volumes from existing markets to the Indian market does not arise as PCBL has admitted that Chinese prices are no longer competitive and that the domestic industry has the cost advantage of using Carbon Black Feed Stock ('CBFS') as the input against a pricier Carbon Black Oil ('CBO').
- b. Data provided in Edelweiss Report of January 2018 shows that China has a significant market in other parts of the world and the question of diverting the same to India does not arise. Relying of the data provided by domestic industry alone without adequate reasons for the purpose of likelihood analysis when interested parties have also provided data cannot be considered to be an objective assessment and in accordance with principles of natural justice.
- c. Price attractiveness of market should be based on price underselling and not price undercutting. Consideration of price undercutting margin while evaluating 'price attractiveness of the Indian market' distorts the likelihood of recurrence of injury analysis.
- d. A positive price undercutting does not determine injury caused by dumping. The correct methodology to analyse price injury to the domestic industry is by comparing the landed price with the NIP.
- e. Negative injury margin in the disclosure statement implies that the landed value of PUC from China is higher and the domestic industry is not suffering injury due to dumping. It also implies that, assuming the exports are diverted to India, the landed value will still be higher than NIP and India will not be a price attractive market.
- f. In a determination made deciding whether anti-dumping duty is to be imposed or not, price underselling is the relevant factor than price undercutting. The Authority has failed to discuss how price undercutting is relevant for likelihood analysis when landed price of PUC from China is higher than NIP.
- g. The likelihood analysis in the disclosure statement is highly distorted and does not take into consideration the legal requirements under paragraph (vii) of Annexure II to the Indian AD Rules such as significant rate of increase of dumped imports and inventories of PUC. Reference has been made to Sunset review investigation concerning imports of 'Soda Ash' originating in or exported from China PR, European Union, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA where it was observed that price undercutting is not the only determinative factor in a sunset review and all other factors has to be holistically examined.
- h. The Authority has not even examined whether the domestic industry has produced and supplied the speciality grade CB HP 1107 in the domestic market. The importing of this grade from China PR and Korea RP is irrelevant and anti-dumping duty cannot be levied on a product which is not manufactured by the domestic industry.
- i. The submissions of the user association did not challenge the standing of the domestic industry that was challenged, but rather raised concerns regarding the injury and economic parameters of Birla Carbon for objective assessment of injury.
- j. The point wise objections raised against the domestic industry's claims for confidentiality in its petition have not been addressed.
- k. The Authority has not made determination as to whether the present investigation qualifies as a 'special case' and why the Dry Cell Batteries case was not relevant to the present investigation.
- l. The Authority has not communicated that the responses filed by member companies of ATMA are incomplete during the course of investigation nor has the specific data points rendering it incomplete has been mentioned.
- m. While there may be continued dumping, it has not resulted in injury to the Domestic Industry as the injury margin for China is negative and for Russia is a mere 1-10%.
- n. The subject imports in relation to total imports have declined and has only increased slightly in relation to production and marginally in relation to consumption. Imports from third countries have increased by 206% in 2018-19 from base year and has declined only by 18% during POI compared to previous year. Increase in domestic industry's selling price is higher than the increase in cost of sales. The profitability indicators of the

domestic industry has seen a significant increase, from negative to positive figures. A small decline in profitability from a significant high base cannot be concluded as injury to the domestic industry when other performance parameters are positive and landed value has significantly increased.

- o. The domestic producers have no difficulty in raising capital. The domestic industry's expansion of capacity means that it has ample ability to raise capital investments. Birla Carbon is also undergoing brownfield expansion of 72,000 MT at 400 crores in 2019.
- p. Negative injury margin for China implies that, following the lesser duty rule, the duty recommended will be negative. The anti-dumping investigation against China PR is liable to be termination and duty should not be extended.
- q. Domestic industry is increasing its export focus. While the Authority has mentioned that it has only considered data for domestic operations, it has determined that export performance of the domestic industry is not the cause of its injury.
- r. The Russian side is deprived of the opportunity to assess the degree of accuracy of calculations of both normal value and dumping margin. The methodology for calculation of normal value for Russia has not been sufficiently explained.
- s. There is an absence of injury from Russian supplies as the Indian domestic industry is in a prosperous state due to the positive dynamics of development evident from the economic parameters, profitability parameters, increase in market share of applicants and decrease in market share of imports from Russia and China in POI and the increase in wages and employment.
- t. The injury to the domestic industry is caused by other factors such as increasing imports from China or third countries but not attributable to imports from Russia and the present investigation is liable to be terminated.
- u. Applicants failed to strengthen its position in the domestic market despite the trade remedial measures. Therefore, the quality and cost characteristics of the Indian carbon black is to be examined in order to determine the reasons for price volatility of Applicants.

### **K.3 Examination by the Authority**

120. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties and notes that most of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
  - a) As regards the domestic industry's argument that the injury margin and dumping margin has to be determined on a quarterly basis, the Authority has already conducted a quarter wise analysis of the injury margin and the dumping margin and the weighted average of these margins has been provided in this final finding in the relevant paragraphs.
  - b) As regards the arguments of the respondents that there is absence of likelihood of recurrence of injury in the present investigation, the Authority has already conducted an objective assessment of the likelihood parameters, and the same has been provided in the relevant paragraphs along with the sources of the information.
  - c) It has been contended that surplus capacity alone does not imply likelihood of injury to the domestic industry. It is however noted that in a situation where (a) foreign producers are faced surplus capacities, (b) price undercutting is significantly positive without ADD and is negative with ADD, (c) significant exports have been made to India and third countries at prices below the price prevailing in India, the foreign producers are likely to increase their exports to India in the event of cessation of ADD. Negative price undercutting in presence of ADD and positive price undercutting on withdrawal of ADD clearly implies a situation where imported product shall become attractive to consumers. Further, faced with surplus and unutilised capacities, foreign producers are likely to increase their exports to India. Thus, it is not surplus capacity alone, but surplus capacities coupled with positive price undercutting in respect to exports to India and third countries that would lead to increase in imports in the event of cessation of ADD.
  - d) As regards the analysis of exports to third countries and possibilities of trade diversions, it is noted that in a situation where exports to third countries are at a price lower than the price to India and where export price to

India is already lower than price prevailing in India, the Chinese producers are likely to get higher revenues in the event of diversion of these third country exports in India.

- e) The China customs data shows significant exports of the product to third countries at a price lower than price in India. The authority notes in regard that a detailed requirement has been prescribed by the authority in Exporters Questionnaire Part-II wherein the authority requires the exporters to provide invoice wise details of their exports to third countries. The purpose of the information is to ascertain the likely behaviour of Chinese producers in the event of cessation of ADD. However, none of the Chinese producers have cooperated with the authority and therefore the authority is constrained to apply facts available for making the present determination in accordance with Rule 6(8).
- f) As regards the contention of closing down of plants in China and decline in capacity in China, it is seen from China customs data that the actual volume of exports from China has shown a rising trend.
- g) As regards capacity addition by Birla Carbon, authority notes that the mere fact that the Birla Carbon is adding capacity in China does not imply that Chinese producers are not faced with surplus capacity. The interested parties have not been able to provide any evidence to show absence of surplus capacities in China. It may be added that despite letter to them asking for relevant information in the form and manner required, Birla carbon has not responded with the information to the Authority.
- h) As regards the contention that price attractiveness should be determined considering injury margin and not price undercutting, the authority notes that the price attractiveness has been determined in order to ascertain whether the foreign producers would be able to get a better price in Indian market. The attractiveness of Indian market is governed by the price at which Indian producers are selling the product and not by the NIP of the domestic industry. The purpose of determination of NIP is to quantify injury margin and not to decide whether foreign producers would find price in Indian market attractive. If the selling price of Indian industry is higher than the price at which Chinese producers are selling in Indian market or third country markets, it follows that Chinese producers would find Indian market attractive in the event of cessation of ADD.
- i) With regard to contention that the interested parties have contended that the domestic industry has not suffered injury, it is noted that performance of the domestic industry has in fact shown significant deterioration within POI. It is further noted that if the domestic industry sells at import price, it would suffer financial losses. This clearly shows that the domestic industry shall not be able to earn profit in the event of selling the product at the price matching to import price. The authority has thus concluded that the performance of the domestic industry is fragile.

#### **Profit/Loss - Likelihood**

| Particulars                | Unit     | POI    | POI - Q1 | POI - Q2 | POI - Q3 | POI - Q4 |
|----------------------------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|
| Cost of Sales              | Rs./MT   | ***    | ***      | ***      | ***      | ***      |
| <i>Trend</i>               |          | 140    | 149      | 146      | 135      | 128      |
| Potential Selling Price    | Rs./MT   | 73,150 | 75,642   | 77,572   | 71,671   | 65,118   |
| <i>Trend</i>               |          | 146    | 151      | 155      | 143      | 130      |
| Profit/(Loss) per unit     | Rs./MT   | ***    | ***      | ***      | ***      | ***      |
| <i>Trend</i>               |          | -73    | -132     | -49      | -49      | -108     |
| Profit/Loss                | Rs/Lacs  | ***    | ***      | ***      | ***      | ***      |
| <i>Trend</i>               |          | -68    | -132     | -43      | -44      | -97      |
| Cash Profit                | Rs. Lacs | ***    | ***      | ***      | ***      | ***      |
| <i>Trend</i>               |          | -47    | -127     | -14      | -19      | -85      |
| Return on Capital Employed | %        | ***    | ***      | ***      | ***      | ***      |
| <i>Trend</i>               |          | -74    | -182     | -38      | -42      | -130     |

- j) The interested parties have made reference to the decision of CESTAT in the matter of Kothari Sugars. The Authority however holds that the decision of CESTAT in the matter of Kothari Sugars has in fact shows that if imports are occurring at price below and above the NIP, it is only the imports below NIP that is the cause of injury to the domestic industry and these imports should be considered by the Authority. Thus, contrary to the

argument of the interested parties, the decision of CESTAT in the matter of Kothari Sugars shows that average injury margin is misleading and is only the injurious imports that are relevant to decide whether the domestic industry is likely to suffer injury. In this case, it is noted that there are significant volumes of subject goods imports into India from subject countries which are below NIP of the domestic industry. It is also noted that significant volumes of subject goods are exported from subject countries to other countries at a price below the NIP of the domestic industry.

- k) As regards the argument that positive price undercutting does not determine injury due to dumping, it is noted that positive price undercutting is one of the indicators of likely injury to the domestic industry should there be a cessation of ADD on the subject goods from subject countries. With regard to other parameters concerning price injury, and price underselling/injury margin, the Authority has objectively assessed all the price parameters and the determinations made thereafter have been recorded in the relevant paragraphs.
- l) As regards the argument that other factors have caused injury to the domestic industry, the Authority has objectively assessed other factors that may cause injury to the domestic industry other than imports, and the determination have been provided in the relevant paragraphs of this final finding.

#### **L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST**

- 121. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
- 122. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

#### **M. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS**

- 123. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
  - a. There is continued dumping of the subject goods from subject countries and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of expiry of duty.
  - b. Though the performance of the domestic industry has improved till 2017-18 from the base year, yet it has suffered deterioration during the POI and thus, the domestic industry remains vulnerable due to dumping of the subject goods from the subject countries.
  - c. The information on record shows likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury in case the Anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage.
- 124. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link.
- 125. Having concluded that there is positive evidence of likelihood of dumping and injury if the existing anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that the anti-dumping duty in force on imports of the product under consideration from the subject countries is required to be continued further. Considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, and keeping in view the fact that there was no cooperation from any producer and exporter from subject countries in this investigation, the Designated Authority considers it appropriate to recommend extension of the anti-dumping duties on imports of subject goods from China PR and Russia as per All others rate/residual rate determined during the last sunset review findings. Accordingly, the anti-dumping duties from subject countries as specified are recommended as per the duty table below. The Authority, thus, considers it necessary to recommend continuation of definitive anti-dumping duty, on all imports of the subject goods from the subject countries as per column 7 in the duty table below, for a further period of five years.

**Duty Table**

| S. No.<br>(1) | Sub-heading<br>(2) | Description of goods<br>(3)               | Country of origin<br>(4)                 | Country of export<br>(5)       | Producer<br>(6) | Amount<br>(7) | Unit of Measurement<br>(8) | Currency<br>(9) |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| 1             | 28030010           | Carbon Black used in rubber applications* | China PR                                 | Any country including China PR | Any             | 494.0         | MT                         | USD             |
| 2             | - do -             | - do -                                    | Any country other than subject countries | China PR                       | Any             | 494.0         | MT                         | USD             |
| 3             | - do -             | - do -                                    | Russia                                   | Any country including Russia   | Any             | 36.17         | MT                         | USD             |
| 4             | - do -             | - do -                                    | Any country other than subject countries | Russia                         | Any             | 36.17         | MT                         | USD             |

\* Note: Thermal Black and Carbon Black grade meant for semi conductive compound applications are excluded from the scope of the product under consideration.

126. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time.
127. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

B.B. SWAIN, Spl. Secy. and Designated Authority